भारत का विधि आयोग

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

लाभग्राहियों के भविष्य निधि दावों को तय करने में अत्यधिक विलम्ब से उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने के लिए लोकपाल का पद सृजित करने के साथ-साथ अन्य विधायी-प्रशासनिक उपायों की आवश्यकता पर

137 वीं रिपोर्ट

1990

एम० पी० ठक्कर
अध्यक्ष

टेलीफोन नं० 384475
विधि आयोग,
भारत सरकार,
शास्त्री भवन,
नई दिल्ली

डी० ओ० संख्या 6(3)/88–एल एस सी (एल० एस०)

5 अक्तूबर, 1990

सेवा में,

श्री दिनेश गोस्वामी,
विधि एवं न्याय मंत्री,
भारत सरकार,
शास्त्री भवन,
नई दिल्ली

प्रिय मंत्री जी,

संदर्भ : 137वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करना

आयोग को सौंपी गई सामाजिक आर्थिक विधियों को स्वेच्छा से पक्ष-जाँच करने की अधिकारिता, का प्रयोग करने के परिणामस्वरूप, जिसका इससे पहले प्रयोग नहीं किया गया था, कर्मचारियों की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाने पर उनके द्वारा नामित व्यक्तियों/आश्रितों को या सेवानिवृत्ति पर संबंधित कर्मचारियों को भविष्य-निधि में संचित उनकी राशि संवितरित किये जाने के संबंध में दुःखद स्थिति सामने आयी है। एक नमूना सर्वेक्षण में, सर्वेक्षण किए गए 62 पब्लिक सैक्टर उपक्रमों में, 8707 ऐसे मामले सामने आए, जिनमें भुगतान 6 महीने से अधिक अवधि के बाद किया गया। सामग्री एकत्र करने के लिए जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति के जवाब में गैर-भुगतान की 481 शिकायतें प्राप्त हुई, जो केवल व्यथित ही कर सकती हैं। आयोग द्वारा इस मुद्दे को उठाए जाने के लगभग 3 महीनों के भीतर; 21 वर्षों तक के विलंब की (यह टाईपिंग की गलती नहीं है, संख्या वास्तव में इक्कीस ही है) 139 शिकायतों को निपटाया गया। 139 परिवारों की व्यथा को दूर करना एक संतोषजनक बात कही जा सकती है, परन्तु सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह सामने आयी है कि इसके लिए लोकपाल के रूप में उच्च अधिकार वाली जाँच एजेंसी बनाने की तत्काल आवश्यकता है। दूसरी तरफ इससे दोषी उपक्रमों के अभिलेखों की नमूना जाँच से, भविष्य में ऐसी खौफनाक स्थिति को रोकने के लिए, अन्य उपचारात्मक उपाय खोजने की भी उतनी ही तत्काल आवश्यकता है इसलिए, इस महत्वपूर्ण समस्या और संबंधित मामलों पर "लाभग्राहियों के भविष्य-निधि दावों को तय करने में अत्यधिक विलम्ब से उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने के लिए लोकपाल का पद सृजित करने के साथ-साथ विधायी-प्रशासनिक उपायों की आवश्यकता" शीर्षक के अंतर्गत 137वीं रिपोर्ट, प्रस्तुत की जा रही है। रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद, शेष सब कुछ मंत्रालय को करना है। परन्तु व्यग्र अंतरात्मा मुझे यह भी कहने को मजबूर करती है कि जब इस रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है, पहले उल्लिखित शिकायतों के अतिरिक्त लगभग चार सौ और कर्मचारियों या उनके परिवार के सदस्यों के साथ निष्ठुरता के बर्ताव की अन्य घटनाएं (अंतिम अध्याय, अर्थात्, अध्याय vi में जोड़ा गया पश्च लेख देखें) सामने आयी हैं और संलग्न रिपोर्ट में की गई सिफारिश के अनुसार, लेखपाल की नियुक्ति एक ऐसा मामला है, जिसमें और अधिक विलम्ब नहीं किया जा सकता।

सादर,

भवदीय,
एम० पी० ठक्कर

संलग्नक : उपरोक्तानुसार

विषय-सूची

	पृष्ठ
अध्याय I—प्रस्तावना	1
अध्याय II—दावेदारों को देय भविष्य निधि के निपटाने में विलम्ब—पहचानी गई परिस्थितियाँ और कारण	3
अध्याय III समस्या का आकार—एक कानूनी लोकपाल का सृजन करने की आवश्यकता	12
अध्याय IV—लाभग्राहियों को भविष्य निधि में संचित राशियों के शीघ्र भुगतान के लिए अन्य प्रस्तावित उपाय	16
अध्याय V—कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंधअधिनियम, 1952 के अंतर्गत नामांकनों की विधिक विवक्षा संबंधी समस्या—सुझाया गया समाधान	25
अध्याय VI—सिफारिशों के निष्कर्ष और सारांश	30
टिप्पणियां एवं संदर्भ	34
परिशिष्ट क—समस्त पब्लिक सैक्टर उपक्रमों और उनकी कर्मचारी ट्रेड यूनियनों को संबोधित ता० 24-10-1988 का पत्र	35
परिशिष्ट ख—अखिल भारतीय स्तर ट्रेड यूनियनों को संबोधित तारीख 28-11-1988 का पत्र	36
परिशिष्ट ग—सभी क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्तों को संबोधित तारीख 28-11-1988 का पत्र	37
परिशिष्ट घ I और घ II पब्लिक सैक्टर उपक्रमों में अनिर्णीत दावों के विवरण	38
परिशिष्ट ङ—तारीख 20-12-1988 की प्रेस विज्ञप्ति	46
परिशिष्ट च—आयोग द्वारा सुलझाए जा रहे मामलों में निपटाए गये भविष्य-निधि दावों का विवरण	46
परिशिष्ट छ—विवादित मामलों में हुए विलम्ब का विवरण	53
परिशिष्ट ज I से ज III नियोजकों/के०भ०नि० आयुक्त से अपेक्षित मांगी गई विवरणी का प्ररूप	54
परिशिष्ट झ I से झ VI लगभग 400 मामलों में आवश्यक/अनावश्यक/अत्यधिक विलम्ब दर्शानेवाले 400 मामलों में प्रादेशिक भविष्य-निधि आयुक्त कलकत्ता के साथ पत्राचार	55

अध्याय I

प्रस्तावना

1.1 **कर्मचारी भविष्य निधियों के संबंध में सामाजिक-आर्थिक निधियों की पक्ष-जांच से यह प्रकट होता है कि लाभग्राहियों की दशा दयनीय है और तत्काल उपचारात्मक उपाय करने की आवश्यकता है**—सामाजिक-आर्थिक निधियों की "पक्ष जाँच" की अधिकारिता (जो वर्तमान "निर्देश की शर्तों" के खण्ड I में उल्लिखित है) का प्रथम बार प्रयोग करने पर, वैध दावेदारों को भविष्य में गम्भीर समस्याएं सामने आयी हैं।

1.2 **सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सर्वेक्षण के परिणाम से समस्या के आकार का पता चलता है**—62 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों की मृत्यु या सेवानिवृत्ति के संदर्भ में उत्पन्न दावों के निपटाने के बारे में मामलों का सर्वेक्षण करने पर, आयोग को 8,707 ऐसे परिवारों का पता चला, जो छः महीनों से अधिक विलम्ब होने के कारण कठिनाइयाँ उठा रहे थे।

1.3 **अलग-अलग शिकायतों की जाँच के आधार पर किए गए सर्वेक्षण से चौंकाने वाली और दुःखद तस्वीर सामने आई है**—प्रेस विज्ञप्ति के जवाब में आयोग द्वारा प्राप्त की गई शिकायतों से, संबंधित कर्मचारियों को मिलने वाली भविष्य-निधि की संचित राशियों और सेवा-निवृत्ति लाभों के संबंध में, परोपकारी एवं उपकारी उपायों को लागू न किये जाने के बारे में दुःखद स्थिति का पता चलता है :—

(1) 481 कर्मचारियों या उनके लाभग्राहियों ने विलम्ब की शिकायत की और जाँच के दौरान, आयोग को 400 और कर्मचारियों के संबंध में विलम्ब के बारे में सूचना प्राप्त हुई। इस प्रकार दुःखी लोगों की सूची में इससे कहीं अधिक संख्या होगी, क्योंकि प्रत्येक ने न तो प्रेस टिप्पणी को पढ़ा होगा और इसे पढ़ने वालों में से भी केवल कुछ ही ने जवाब दिया होगा।

(2) विवादहीन मामलों में 21 वर्षों तक और विवादित मामलों में 35 वर्षों से अधिक तक का विलम्ब (देखें परिशिष्ट "च" और "छ") देखने को मिला।

(3) 139 मामलों में, 21 वर्षों तक का विलम्ब, स्पष्ट और प्रत्यक्ष रूप से अनुचित था और आयोग ने विलम्ब के लिए दोषी संबंधित एजेंसियों के साथ मामलों को उठाकर लगभग तीन महीनों के भीतर, इन दावों में से अधिकांश को (पूर्णतः या आंशिक रूप से) निपटा दिया गया और इन मामलों में पूरा भुगतान कर दिया गया।

1.4 **विलम्ब के कारणों का पता लगाना**—आयोग ने, ऐसे विलम्बों के कारणों का पता लगाने के लिए, कुछ पब्लिक सैक्टर के प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करने और संगत अभिलेखा की नमूना जाँच करने के लिए अपने अधिकारियों का एक दल नियुक्त किया। सर्वेक्षण से, इस स्थिति के लिए जिम्मेदार बहुत से कारणों का पता चला है।

1.5 **विलम्ब के घातक परिणाम**—संवितरण में विलम्ब से होने वाली कठिनाईयों पर डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह समस्या मुख्यतः दो संभव परिस्थितियों में उत्पन्न होती है—किसी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति, या अधिवर्षिता की तारीख से पहले उसकी मृत्यु। उसके कार्यकाल की समाप्ति पर सेवा-निवृत्ति की घटना से उसके सामने अचानक एक डरावनी स्थिति आ जाती है। उसकी सेवानिवृत्ति के बाद वाले महीने से ही उसकी आय समाप्त हो जाती है। वह किस आधार पर जीएगा ? वह केवल भविष्य निधि के लाभों को ले सकता है, जिनका प्रयोग वह (1) किसी उद्यम में या (2) किसी लाभप्रद निवेश में या (3) आवासीय स्थान खरीदने में कर सकता है। या उसे इस निधि की आवश्यकता अपने बच्चों की शिक्षा पूरी करने या उनके विवाह के लिए हो सकती है। स्वाभाविक ही है कि वितरण में विलम्ब से असहनीय कठिन परिस्थिति पैदा हो जाती हैं। उसकी मृत्यु हो जाने पर, उसकी विधवा, बच्चों या माता-पिता की दशा को आसानी से समझा जा सकता है। विभाग की उदासीनता के कारण, विधवा को देय राशियों के निपटान में 2½ वर्षों के विलम्ब के संदर्भ में दिये गये (पी०के० मट्टियानी बनाम क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त) गुजरात उच्च न्यायालय के निर्णय में उद्धृत शिकायती पत्र से उनकी दशा को और अधिक स्पष्ट रूप से समझने में सहायता मिलेगी :—

> "यह न्याय के हित में है कि कोर्ट्टायम की श्रीमती पी० के० मट्टियानी का सितम्बर 1979 के टाइम्स ऑफ इंडिया के अहमदाबाद संस्करण में छपा पत्र दि० 25-9-1979, जो नीचे दिए अनुसार पठित है, भारतीय संविधान

लाभग्राहियों के भविष्य निधि दावों को तय करने में अत्यधिक विलम्ब से उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने के लिए लोक पाल का पद सृजित करने के साथ-साथ अन्य विधायी-प्रशासनिक उपायों की आवश्यकता पर एक सौ सैंतीसवीं रिपोर्ट

के अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत, इस न्यायालय की अधिकारिता में आने वाली याचिका के रूप में माना जाए (उक्त पत्र की कतरन इसके साथ संलग्न है और इसे परिशिष्ट "क" अंकित किया गया है।)

"महोदय, मैं पिछड़े समुदाय की एक अभागी निराश्रय महिला हूँ। मेरे पति श्री टी० के० थांकप्पन की मृत्यु 8 अप्रैल, 1977 को कैंसर से हुई थी जो उस समय पेंटर के रूप में गुजरात रिफायनरी में कार्य कर रहे थे। उन्होंने अपने पीछे मुझे और हमारे तीन बच्चों को छोड़ा है। हमारे पास जीविका का कोई साधन न होने के कारण हमें मात्र अस्तित्व के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है।

मेरे पति, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, अहमदाबाद की अधिकारिता के अधीन, भविष्य निधि पारिवारिक पेंशन योजना के सदस्य थे। उनका खाता संख्या जी० जे० 4951/55166 है। योजना के अंतर्गत, मैं जमा राशि से सम्बद्ध बीमों के रूप में 7,000/– रु० से अधिक और पारिवारिक पेंशन के लिए अप्रैल 1977 से 150/– रु० प्रतिमाह की राशि की हकदार हूँ। परन्तु विडम्बना यह है कि मुझे अभी तक क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त से एक भी पैसा प्राप्त नहीं हुआ है। मेरे दावे से संबंधित कागज-पत्र भविष्य–निधि आयुक्त, अहमदाबाद और गुजरात रिफायनरी के बीच, किसी न किसी बहाने से शटलकॉक की तरह उछाले जा रहे हैं।

मैं पिछले 2½ वर्षों से भविष्य निधि आयुक्त से धन प्राप्त करने की व्यग्रता से प्रतीक्षा कर रही हूँ, परन्तु मुझे इस बात से घोर निराशा हुई है कि ऐसा अभी तक नहीं हो सका है। जाने क्यों मुझे अब यह डर लगता है कि मैं अपनी अंतिम सांस तक एक पैसा भी नहीं ले पाऊँगी। क्योंकि मेरा स्वास्थ्य भी खराब है और दो वक्त की रोटी जुटाने के लिए मुझे कठिन संघर्ष करना पड़ता है। मुझे जल्दी या कुछ समय बाद अपने तीन असहाय बच्चों को छोड़ कर इस संसार से कूच करना पड़ सकता है।

अंतिम उपाय के रूप में, मैं यह पत्र आपको इस निवेदन के साथ लिख रही हूँ कि आप अपने शलूख से भविष्य निधि आयुक्त से देय राशि दिलवाने में सहायता कर सकें। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अहमदाबाद से हजारों मील की दूरी पर रहती हूँ। ऐसा होते हुए भी, मैंने दो बार अपने प्रतिनिधि भविष्य निधि आयुक्त के कार्यालय में भेजे परन्तु उस पर कुछ असर नहीं हुआ। कृपया मेरी सहायता करें। ईश्वर आपकी सहायता करेगा।"

इसलिए यह समस्या उन कर्मचारियों या उनके आश्रितों के लिए अत्यधिक महत्व रखती है, जो अभी कष्ट उठा रहे हैं और भविष्य में भी इससे परेशान होंगे। और यह उस समुदाय के लिए भी अत्यधिक महत्व रखती है जिसने कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि लाभों के सुरक्षा साधनों की उदार परियोजना को, उन्हें सहायता प्रदान करने के लिए, बनाया है।

1.6 **वर्तमान कार्य**—इस पृष्ठभूमि में, आयोग ने, तीन मुख्य उद्देश्यों से, वर्तमान कार्य स्वतः किया है, अर्थात्:—

(1) कर्मचारियों और लाभग्राहियों के दावों के निपटान में 6 महीने से अधिक से लेकर 20 वर्षों तक के विलम्ब के कारण, उनके द्वारा सहन की जा रही अत्यधिक कठिनाइयों को सामने लाना।

(2) उनके दावों के शीघ्र निपटान के लिए, एक तंत्र बनाने के लिए सिफारिशें करना। "कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकिर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (संक्षेप के लिए अधिनियम) में और उसके अधीन बनाई गई योजना के सुसंगत उपबंधों में संशोधन सहित अन्य उपायों का सुझाव देना ताकि ऐसे विलम्बों को समाप्त किया जा सके या इन्हें भविष्य में कम से कम किया जा सके।"

(3) नामांकनों की विधिक विवक्षाओं से गंभीर समस्या का पता लगाकर, जो न केवल पहले से ही विद्यमान है, बल्कि यह भविष्य में भी मृत कर्मचारियों के लाभग्राहियों के सामने गंभीर परिणाम ला सकती है, इस समस्या को हल करने के लिए, उचित सिफारिशें करना।

और इसके बाद जो कुछ भी दिया गया है वह उक्त कार्य का परिणाम है।

अध्याय II

दावेदारों को देय भविष्य निधि के निपटाने में विलम्ब—पहचानी गई परिस्थितियां और कारण

2.1 अनिर्णीत दावों की संख्या के संबंध में पब्लिक सैक्टर उपक्रमों से सूचना एकत्र करना—विधि आयोग ने, 24 अक्तूबर, 1988 को पेंशन संबंधी लाभों और भविष्य निधि लाभों के निपटान में विलम्ब की समस्या का अध्ययन करने के लिए, सभी पब्लिक सैक्टर उपक्रमों और संबंधित ट्रेड यूनियनों से निम्नलिखित तीन विषयों पर तथ्यात्मक सूचना मांगते हुए एक पत्र (परिशिष्ट क) लिखा:—

(क) किसी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति या मृत्यु के बाद, छः महीने से अधिक समय तक अंतिम निर्णय के लिए लंबित भविष्य-निधि और सेवा निवृत्ति की देय राशियों के मामलों की संख्या,

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान के उन मामलों के संबंध में सूचना, जिन्हें, यथास्थिति, कर्मचारी की मृत्यु या सेवा-निवृत्ति के छः महीनों बाद निपटा दिया गया हो और संबंधित कर्मचारी या उसके द्वारा नामित व्यक्ति या कानूनी वारिस को उसका भुगतान कर दिया गया हो, और

(ग) किसी कर्मचारी के भविष्य-निधि संबंधी दावों और सेवानिवृत्ति पर देय राशियों के संबंध में अंतिम निर्णय लेने और उसे उसका भुगतान करने में लगने वाला औसत समय। 28 नवम्बर, 1988 को इसी प्रकार का एक पत्र (परिशिष्ट ख) अखिल भारतीय स्तर की ट्रेड यूनियनों को लिखा गया। 28 नवम्बर, 1988 के पत्र द्वारा सभी क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्तों से भी इसी प्रकार की सूचना मांगी गई। (परिशिष्ट ग)

2.2 पब्लिक सैक्टर के उपक्रमों की खराब छवि—उपर्युक्त जांच से मिली सूचना द्वारा यह पता चला कि केन्द्र सरकार के कुछ पब्लिक सैक्टर के उपक्रम उचित समय के भीतर अंशदान न करने के लिए दोषी थे। आयोग द्वारा एकत्रित किए गए आंकड़ों से पता चलता है :—

ऐसे निगमों की संख्या जिन्होंने 6 महीनों से अधिक अवधि तक दावों का निपटान नहीं किया है		जन दावेदारों की संख्या जिनके दावे 6 महीने से अधिक समय से बकाया हैं
I. जिनमें एक हजार से अधिक कर्मचारी भुगतान न होने से परेशान हैं।		
2		6833(3639+3144)
II. जिनमें 250 से अधिक कर्मचारी भुगतान न होने से परेशान हैं		
2		757(497+260)
III. जिनमें 100 से अधिक कर्मचारी भुगतान न होने से परेशान हैं		
2		234(130+104)
IV. जिनमें 50 से अधिक कर्मचारी भुगतान न होने से परेशान हैं		
4		333(98+96+79+59)
शेष		
52	550	
कुल 62	8707	

यह किसी भी तरह बढ़ा-चढ़ा कर नहीं बताए गए हैं (पूरी जानकारी परिशिष्ट घ I और घ II के विवरण में दी गई है)

अभिलेखों की संवीक्षा—पब्लिक सैक्टर उपक्रमों, क्षेत्रीय भविष्य-निधि आयुक्तों और ट्रेड यूनियनों से एकत्रित सूचना के आधार पर, मामलों के निपटान में विलम्ब के मुख्य कारणों का पता लगाने और समस्याओं का बारीकी से अध्ययन

करने के लिए, निम्नलिखित तीन उपक्रमों में निपटान के लिए लम्बित मामलों से संबंधित अभिलेखों का अनुसंधान-कर्ताओं का एक दल नियुक्त करके मौके पर अध्ययन किया गया :—

(1) सेन्ट्रल वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन, दिल्ली कार्यालय,
(2) नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कार्पोरेशन लिमिटेड, दिल्ली कार्यालय और
(3) स्टील आथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, राउरकेला कार्यालय ।

2.3 अध्ययन द्वारा प्रकाश में आए विलम्ब के कारण—सभी स्रोतों से प्राप्त उत्तरों के अध्ययन और नमूना सर्वेक्षण के रूप में किए गए अभिलेखों के निरीक्षण के परिणामस्वरूप भविष्य-निधि और सेवानिवृत्ति संबंधी अन्य देय राशियों के निपटान में विलम्ब के लिए जिम्मेदार बहुत से कारणों का पता चला । उन कारणों को सुविधा के लिए तीन मुख्य शीर्षों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है, अर्थात् :—

(1) ऐसे कारण जिनके लिए नियोजक को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है,
(2) ऐसे कारण जिनके लिए क्षेत्रीय भविष्य-निधि आयुक्तों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है और
(3) अन्य कारण ।

2.4 ऐसे कारण जिनके लिए नियोजकों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है—भविष्य-निधि और सेवानिवृत्ति पर देय अन्य राशियों के निपटान और निर्णय में विलंब करने वाले निम्नलिखित ऐसे कारणों का पता चला है जिनके लिए नियोजक को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है :—

(1) नियोजक की ओर से निष्क्रियता और उदासीनता,
(2) तीसरे पक्ष की आपत्ति मात्र पर भविष्य-निधि की देय राशि के दावे के निपटान को रोक देना,
(3) क्षेत्रीय भविष्य-निधि आयुक्त के कार्यालय या न्यास को गलत और अपूर्ण कागजात प्रस्तुत करना/अग्रेषित करना,
(4) कर्मचारियों के कदाचार संबंधी जाँच की कार्यवाहियां पूरी न करना,
(5) नियोजकों द्वारा अपने हिस्से और/या कर्मचारियों के अंशदानों को भविष्य-निधि में जमा न करना,
(6) गैर-प्रशिक्षित कर्मचारियों को नियुक्त करना,
(7) उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए अनावश्यक आग्रह करना,
(8) "बेबाकी प्रमाण पत्र" प्रस्तुत करने के लिए अनावश्यक जोर देना ।

2.5.1 नियोजक की ओर से निष्क्रियता या उदासीनता—देखने में आया है कि बहुधा भविष्य-निधि और सेवा-निवृत्ति पर देय अन्य राशियों के मामलों को अंतिम रूप देने में विलम्ब नियोजक की निष्क्रियता के कारण होता है । सेवा-निवृत्त होने वाला कर्मचारी, या उसका नामित व्यक्ति या कानूनी लाभग्राही व्यक्ति आवश्यक दावा अवेदन-पत्र समय पर प्रस्तुत करता है, परन्तु नियोजक द्वारा उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है । यह देखा गया है कि सामान्यतया शीघ्र कार्रवाई नहीं की जाती । सैंट्रल वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन के श्री एम० डी० पांडारबोले के मामले से यह बात स्पष्ट हो जाएगी । श्री पांडारबोले की मृत्यु के संबंध में सूचना सैंट्रल वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन कर्मचारी भविष्य-निधि न्यास को 1 जनवरी, 1981 को प्राप्त हो गई थी । 18 अगस्त 1986 तक 5 वर्षों से भी अधिक समय तक, इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की गई । 18 अगस्त 1986 को न्यास ने, निगम के क्षेत्रीय कार्यालय से मृतक कर्मचारी के सेवा विवरण मांगे । दावेदारों ने मार्च/अप्रैल 1987 में किसी समय, तहसीलदार द्वारा जारी उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए । उत्तराधिकार प्रमाण पत्र को न्यास ने यह कहकर स्वीकार नहीं किया कि यह सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नहीं किया गया है । और 19 फरवरी, 1989 को, दावेदारों से क्षतिपूर्ति बंध पत्र, शपथ पत्र और उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने को कहा गया ।

मार्च 1989 में आयोग के अधिकारियों द्वारा अभिलेख का मौके पर अध्ययन करने के समय भी मामले का निपटान नहीं हुआ था । इस प्रकार 1 जनवरी, 1981 से 18 अगस्त, 1986 तक की अवधि तक 5 वर्ष से भी अधिक का विलम्ब और फिर मई, 1987 से 10 फरवरी, 1989 तक की अवधि का विलम्ब नियोजक की ओर से निष्क्रियता या उदासीनता के कारण हुआ ।

2.5.2 तृतीय पक्षकार की आपत्ति मात्र के कारण अदायगी रोकना—नियोजक प्रायः तृतीय पक्षकार की आपत्ति मात्र पर भविष्य-निधि और सेवानिवृत्ति संबंधी लाभों की राशि की अदायगी रोक देते हैं तथा इस प्रकार उठाए गए मुद्दे पर निर्णय लेने के बजाय वे पक्षकारों को अपने विवाद का निपटारा न्यायालय से कराने का निदेश देते हैं । इस बात को स्पष्ट

करने के लिए सैंट्रल वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन के श्री एम० कृष्णन के मामले का उदाहरण दिया जा सकता है । कर्मचारी की सेवा में रहने के दौरान 3 मार्च, 1988 को मृत्यु हुई थी । नामित व्यक्तियों, अर्थात्, मृतक के दो पुत्रों, ने दावे के फार्म प्रस्तुत किए । मामले पर कार्यवाही हो रही थी तभी मृतक की दूसरी पत्नी ने 23 जुलाई, 1988 को भविष्य निधि की राशि प्राप्त करने के लिए नामितों की हकदारी के संबंध में विवाद उठाया । इस पर नियोजकों ने अक्तूबर, 1988 में आपत्ति-कर्ता को मुकदमा दायर करने और यदि वे चाहें तो स्थगन आदेश प्राप्त करने की इजाजत देने के बजाय, नामित व्यक्तियों को उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने का निदेश दिया । आयोग के अधिकारियों द्वारा मार्च, 1989 में अभिलेख के निरीक्षण के समय मामला अनिर्णीत पाया गया ।

2.5.3 नियोजकों द्वारा दोषपूर्ण कागज-पत्र प्रस्तुत करना—नियोजकों द्वारा छूट-प्राप्त संगठनों के मामले में न्यास को या क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को गलत या अधूरे कागज-पत्र प्रस्तुत करने के कारण भी मामलों का निपटान होने में विलम्ब हो जाता है । इस संबंध में श्रीमती इन्दिराबाई पी० देसाई का मामला उद्धृत किया जा सकता है जिसने अपने मृतक पति के संबंध में अपने दावे के कागज-पत्र 15 नवम्बर, 1987 को प्रस्तुत किए । यह क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को भेजे गए थे लेकिन ठीक नहीं पाए गए । यह कागज-पत्र नियोजक द्वारा सत्यापित भी नहीं थे जिसके परिणामस्वरूप दावे का निपटान मई 1989 में ही, अर्थात्, लगभग डेढ़ वर्ष बितने के बाद ही किया जा सका । इस प्रकार नियोजक की गलती के कारण निर्दोष कर्मचारी को अनावश्यक रूप से कठिनाई उठानी पड़ी ।

कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के उपबंधों और उनके अन्तर्गत बनाई गई योजना के अधीन नियोजकों को कानूनी विवरणियां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त को देनी होती हैं जो कभी-कभी दोषपूर्ण, गलत या अधूरी होती हैं जिसके परिणामस्वरूप मामलों के अंतिम निपटान में विलम्ब होता है । इस संबंध में श्रीमती लिली जोसफ के मामले का उदाहरण देना उपयुक्त होगा । उसने स्ट्रेडेन्ट्स अकादमी महेन्द्र एज्यूकेशनल सोसाइटी, बम्बई की सेवा से जून, 1985 में त्याग पत्र दिया । उसका मामला अन्तिम रूप से मई, 1989 में 4 वर्ष बीतने के बाद ही निपटाया जा सका जब उसे राशि का भुगतान किया गया । क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने बताया कि विलम्ब नियोजक द्वारा उचित विवरणियां प्रस्तुत न करने के कारण हुआ । यह पता चला है कि उन स्थायी अनुदेशों के अनुसार उचित विवरणियां प्राप्त करने के लिए स्थापनों में भविष्य निधि निरीक्षक को तैनात किया जाना चाहिए था जिनका अनुपालन नहीं किया गया था ।

2.5.4 अनुशासनिक कार्यवाहियां अनिर्णीत होने के अनुचित आधार पर अदायगी रोकना—कर्मचारी को अपनी सेवा की अवधि में कभी-कभी कदाचार के अभिकथित कार्य के लिए आरोप-पत्र दिया जाता है । प्रारम्भ की गई जांच सम्बन्धी कार्यवाहियां कर्मचारी की सेवानिवृत्ति से पहले पूरी नहीं हो पातीं और उसके बाद भी जारी रहती हैं । ऐसी जांच होने तक भविष्य निधि और अन्य लाभों संबंधी दावे का निपटान नहीं किया जाता हालांकि ऐसा करना अधिनियम और योजना के अन्तर्गत अनुज्ञेय नहीं है ।

2.5.5 नियोजक द्वारा कर्मचारियों के वेतन और/या उनके अपने हिस्से से की गई कटौतियां जमा न किया जाना—कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकिर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 के अधीन बनाई गई 1952 की योजना के पैरा 29 के अन्तर्गत नियोजक और कर्मचारी दोनों को भविष्य निधि में अधिकतम 8.33% की सीमा तक बराबर अंशदान करना होता है । पैरा 32 में कर्मचारी के हिस्से या अंशदान की वसूली का तरीका बताया गया है । इसमें उपबंध है कि कर्मचारी के अंशदान की राशि, 1952 की योजना या तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि के उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी या किसी भी संविदा में किसी विपरीत बात के होते हुए भी, कर्मचारी की मजदूरी में से कटौती करके वसूल की जाएगी । 1952 की योजना के पैरा 38(1) के अन्तर्गत, प्रत्येक नियोजक को, प्रत्येक माह की समाप्ति के पन्द्रह दिन के भीतर, निधि में अपने स्वयं के अंशदान और प्रशासनिक प्रभारों, यदि कोई हो, के साथ कर्मचारियों का अंशदान जमा करना होता है और ऐसे अंशदानों और प्रशासनिक प्रभारों मद्दे अलग-अलग बैंक ड्राफ्ट या चैक जमा करने होते हैं । पैरा 38 के उप-पैरा (2) में यह और भी उपबंध है कि नियोजक आयुक्त को माह की समाप्ति के पच्चीस दिन के भीतर प्रत्येक कर्मचारी की मजदूरी में से की गई वसूलियां और प्रत्येक कर्मचारी के संबंध में नियोजक द्वारा किए गए अंशदान की राशि दर्शाते हुए आयुक्त द्वारा यथानिर्दिष्ट फार्म में एक मासिक समेकित विवरण भेजेगा । यद्यपि नियोजक पर माह की समाप्ति के पन्द्रह दिन के भीतर निधि में अपना और कर्मचारी का अंशदान जमा करने तथा माह की समाप्ति के पच्चीस दिन के भीतर अपेक्षित विवरणी आयुक्त को प्रस्तुत करने की कानूनी बाध्यता है तथापि व्यवहारतः यह देखा गया है कि नियोजक प्रायः अपना अंशदान निधि में नियमित रूप से और, कभी कभी लगातार कई महीनों तक, जमा नहीं कराते हैं । वे प्रायः कर्मचारियों की मजदूरी में से की गई कटौतियां जमा कराने में भी चूक करते हैं जिसके परिणामस्वरूप नियोजक से बकाया

राशि प्राप्त करने तक मामलों का अंतिम रूप से निपटान नहीं किया जा सकता। उदाहरण के रूप में, नारनौल के श्री आर० ए० स्वामी के मामले का उल्लेख किया जा सकता है। यह जादोरा शुगर मिल्स से 3 जून, 1987 को सेवानिवृत्त हुए थे। भविष्य निधि से उनका स्वयं का अंशदान तो वापस कर दिया गया किन्तु उसे नियोजक के अंशदान की केवल 65 प्रतिशत राशि ही अदा की गई। नियोजक के अंशदान की शेष 35 प्रतिशत राशि उसे इस आधार पर नहीं दी गई कि नियोजक ने यह अभी तक जमा नहीं कराई थी। श्री स्वामी की सेवानिवृत्ति से लगभग ढाई वर्ष बीतने के बाद भी मामले का अंतिम निपटान नहीं हो पाया है। वह इस दृष्टि से असहाय है कि इस समय वह नियोजक के विरुद्ध कोई भी विधिक कार्रवाई नहीं कर सकते; प्राधिकारी उदासीन रवैया अपनाते हैं और ऐसी कार्रवाई नहीं करते जो केवल वे ही कर सकते हैं।

2.5.6 नियोजकों द्वारा अप्रशिक्षित कर्मचारियों को लगाया जाना—भविष्य निधि से संबंधित मामलों और सेवानिवृत्ति की देय राशियों के अन्य मामलों पर कार्रवाई करने के लिए नियुक्त कर्मचारी प्रायः अक्षम होते हैं जिसके फलस्वरूप ऐसे मामलों के अंतिम निपटान में परिहार्य विलम्ब होता है। अप्रशिक्षित होने के कारण ऐसे कर्मचारियों को विषय से सुसंगत नियमों की जानकारी नहीं होती जिसके परिणामस्वरूप अभिलेख तैयार करने में गलतियां होती हैं जिससे दावों के निपटान में विलम्ब होता है। कलकत्ता की श्रीमती शान्ति घोष का मामला स्पष्ट उदाहरण है जिसमें सात वर्ष से अधिक समय के बाद भी उसके उपदान और पेंशन के दावे का निपटान नहीं किया गया है। श्रीमती घोष एस० एन० गर्ल्स हाई स्कूल, कलकत्ता से 28 फरवरी, 1982 को अध्यापिका के रूप में सेवानिवृत्त हुई। स्कूल के प्राधिकारियों ने उपदान और पेंशन से संबंधित सुसंगत कागज-पत्र जिला स्कूल निरीक्षक को 1983 में प्रस्तुत किए। जिला स्कूल निरीक्षक द्वारा कागज-पत्र स्कूल के प्राधिकारियों को यह निदेश देते हुए 1986 में लौटा दिए गए कि दावा पुनरीक्षित नियमों के अनुसार तैयार किया जाए। स्कूल प्राधिकारियों द्वारा कागज-पत्र फिर से तैयार करने के बाद ये जिला स्कूल निरीक्षक को पुनः प्रस्तुत किए गए थे। निदेशक, पेंशन, भविष्य निधि और सामूहिक बीमा, पश्चिमी बंगाल, ने फिर 1988 में कागज-पत्र आपत्तियों के साथ स्कूल के प्राधिकारियों को लौटा दिए। इस प्रकार उठाई गई आपत्तियां दूर की गई और कागज-पत्र स्कूल प्राधिकारियों द्वारा दिसम्बर, 1988 में फिर प्रस्तुत किए गए। मामला निदेशक पेंशन, भविष्य निधि और सामूहिक बीमा, पश्चिमी बंगाल के पास जून, 1989 तक अनिर्णीत रहा और अंततः लगभग पांच वर्षों के विलम्ब के बाद निपटाया गया। स्कूल के प्राधिकारियों ने बताया कि विलम्ब का प्रमुख कारण उनके द्वारा अप्रशिक्षित कर्मचारियों की नियुक्ति थी जिन्हें विषय से सुसंगत नियमों की जानकारी नहीं थी। इस प्रकार विलम्ब नियोजक की गलती या प्राधिकारियों की गलती से होता है जबकि केवल कर्मचारियों को अपनी कोई गलती न होने पर भी परेशानी उठानी पड़ती है और वे मामलें में अपने को असहाय महसूस करते हैं।

2.5.7 उत्तराधिकार प्रमाणपत्र पर अनावश्यक आग्रह करके संवितरण रोकना—1952 की स्कीम के पैरा 72 (i) में यह उपबंध है कि यदि सदस्य के खाते में जमा राशि या पैरा 69 के अन्तर्गत कटौती के बाद उसकी शेष राशि देय हो जाती है तो आयुक्त का यह कर्तव्य होगा कि इस स्कीम के उपबंधों के अनुसार तत्काल अदायगी करे। यदि इस स्कीम के अनुसार कोई नामित व्यक्ति न हो या पैरा 70 के अन्तर्गत ऐसी राशि प्राप्त करने के लिए कोई व्यक्ति हकदार न हो तो आयुक्त, यदि निधि में जमा राशि 10,000/– रुपए से अधिक न हो और यदि दावेदार के हक के बारे में जांच करने के बाद उसे तसल्ली हो गई हो, तो ऐसी राशि दावेदार को अदा कर सकता है। पैरा 72(i) के उपबंधों को सीधा पढ़ने से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि आयुक्त निम्नलिखित कर्तव्य करने के लिए आबद्ध है :—

(1) यदि वैध नामांकन है तो नामित व्यक्ति को राशि अदा करना; या

(2) यदि कोई वैध नामांकन नहीं है या नामांकन राशि के केवल कुछ ही भाग से संबंधित है तो पैरा 70 के खण्ड (ii) के अनुसार परिवार के सदस्यों को राशि अदा करना।

आयुक्त, नामित व्यक्ति या पैरा 70 के खण्ड (ii) में वर्णित परिवार के सदस्यों को, उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए नहीं कह सकता। उत्तराधिकार प्रमाणपत्र केवल तभी मांगा जा सकता है जब पैरा 79 के खण्ड (ii) के अन्तर्गत राशि प्राप्त करने के लिए कोई नामित व्यक्ति और हकदार व्यक्ति नहीं है। दूसरे शब्दों में, आयुक्त उत्तराधिकार प्रमाणपत्र केवल पैरा 70 के खण्ड (iii) के अन्तर्गत आने वाले मामलों में और ऐसी स्थिति में ही मांग सकता है जब दावेदार के हक के संबंध में सन्देह हो या कोई प्रतिस्पर्धी दावेदार हो। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, लेखाकरण कार्यविधि नियम-पुस्तक (खण्ड I) भाग (II) के अध्याय III के पैरा 115, 116 और 117 इस प्रकार पठित हैं :—

"115. यदि कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 के अनुसार कोई नामित व्यक्ति न हो या स्कीम के पैरा 70 के उप पैरा (ii) के अन्तर्गत ऐसी राशि प्राप्त करने के लिए कोई व्यक्ति हकदार न हो तो दावे की स्कीम के पैरा 70 (iii) के अनुसार निपटारा करना अपेक्षित होगा। ऐसे मामलों में क्षेत्रीय आयुक्त, यदि निधि में जमा राशि 10,000 रुपए से अधिक न हो और यदि वह दावेदार की हकदारी के संबंध में जांच करने के बाद संतुष्ट हो तो, ऐसी राशि स्कीम के पैरा 70 (iii) के अन्तर्गत दावेदार को अदा कर सकता है। इस प्रयोजन के लिए क्षेत्रीय आयुक्त उपयुक्त राज्य (सामान्यतया राजस्व) प्राधिकारियों को लिख सकता है।

116. यदि उपर्युक्त पैराओं में बताए अनुसार सिविल प्राधिकारियों को निर्देश करने के बाद भी दावेदार के हक के संबंध में सन्देह हो या यदि प्रतिस्पर्धी दावेदार सामने आए तो उत्तराधिकार प्रमाणपत्र की मांग करना आवश्यक होगा।

117. इसके अतिरिक्त, जिन मामलों में स्कीम के पैरा 70 के उपपैरा (ii) के अन्तर्गत देय कर्मचारी की भविष्य निधि की राशि प्राप्त करने के लिए कोई नामित व्यक्ति न हो या हकदार व्यक्ति न हो तो और दावे की राशि 10,000 रुपए से अधिक हो तो वारिस होने का प्रमाण मांगना होगा। ऐसे मामलों में दावेदार को उपयुक्त न्यायालय से उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा जा सकता है। जिन व्यक्तियों के नाम से उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्रदान किया गया हो उन्हें स्कीम के पैरा 70(iii) के अनुसार अदायगी करना वैध अदायगी होगी। जिन मामलों में दावेदारों को उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में कठिनाई हो और यदि क्षेत्रीय आयुक्त को यह संतोष हो जाए कि कठिनाई वास्तविक है तो वह पूर्ण ब्यौरे के साथ मामला केन्द्रीय कार्यालय को निर्दिष्ट कर सकता है। वास्तविक कठिनाई वाले उपयुक्त मामलों में केन्द्रीय कार्यालय, यदि आवश्यक हो तो, केन्द्रीय सरकार के परामर्श से पर्याप्त संख्या में ऋणशोधन प्रतिभूतिकर्ताओं सहित क्षतिपूर्ति बंध-पत्र निष्पादित करने पर दावेदारों को अदायगियां करने के लिए क्षेत्रीय आयुक्त को प्राधिकार दे सकता है।"

इस विषय पर उपर्युक्त स्पष्ट उपबंधों के होते हुए भी यह देखा गया है कि प्राधिकारी मामूली बहाने से, और स्कीम के पैरा 70 के खण्ड (i) या खण्ड (ii) के अन्तर्गत आने वाले मामले में भी, उत्तराधिकार प्रमाणपत्र की मांग करते हैं। उदाहरण के रूप में नैशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कार्पोरेशन के श्री के० गांधी के मामले का उल्लेख किया जा सकता है। श्री गांधी, जिनकी 17 अक्तूबर, 1986 को मृत्यु हो गई, ने अपनी दो बहनों और एक भाई के नाम से नामांकन किया था। दोनों बहनों को बराबर हिस्सों में पचास प्रतिशत राशि प्राप्त करनी थी जबकि शेष 50 प्रतिशत राशि उनके भाई को प्राप्त होनी थी। नामित व्यक्तियों में से एक भाई की कर्मचारी से पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। दोनों बहनों द्वारा प्रस्तुत किए गए दावे के कागज-पत्रों पर प्राधिकारियों ने जुलाई 1988 में यह निर्णय किया कि दावेदारों से पूरी राशि के संबंध में उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की मांग की जाए। इस मामले में राशि का पचास प्रतिशत पैरा 70 के खण्ड (i) के अन्तर्गत दोनों बहनों को अदा किया जा सकता था। शेष पचास प्रतिशत राशि पैरा 70 के खण्ड (ii) के अनुसार संवितरित की जानी थी। परन्तु ऐसा मार्ग अपनाने के बजाय प्राधिकारियों ने दावेदारों से पूरी राशि के संबंध में उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की मांग की। इस मामले का अभी भी निपटारा नहीं हुआ है।

आप चाहे इसे पुनरावृत्ति ही कहें, पर यह बताना आवश्यक होगा कि क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के कार्यालय की ओर से साधारण से बहाने से, और स्कीम के पैरा 70 के खण्ड (i) और (ii) के अन्तर्गत आने वाले मामलों में भी, उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर जोर दिया जा रहा है। मुद्दे पर बल देने के लिए इमामभाई बनाम क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त का उल्लेख करना उचित होगा जिसमें हालांकि किसी उत्तराधिकार प्रमाणपत्र पर जोर नहीं दिया जा सकता था फिर भी नामित व्यक्ति के दावे को एक शब्द के आदेश "अस्वीकृत" द्वारा रद्द किया गया था। उच्च न्यायालय का कहना है कि :—

"4. अभिलेख की जांच करने से यह पता चलता है कि हालांकि आवेदक का दावा अन्त में अस्वीकार कर दिया गया था फिर भी उसे अपने दावे के समर्थन में उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए कहा गया। अभिलेख में रखे हुए दस्तावेज यह दर्शाते हैं कि आवेदक को एक हजार से अधिक रुपए का खर्च वहन करना पड़ा। उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए 900 रुपए के न्यायालय शुल्क स्टाम्प लेने पड़े। कुछ राशि उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए विधिक फीस की अदायगी में अवश्य खर्च की गई होगी। इस संबंध में एक हजार से अधिक रुपए अवश्य खर्च किए गए होंगे। इस तथ्य को ध्यान में रखकर यह नहीं समझा गया कि मृतक कर्मचारी ने कर्मचारी निक्षेपसह बीमा स्कीम, 1976 के पैरा 23(i) (इसके नीचे उद्धृत) के अन्तर्गत नामांकन किया था जिसमें नामित व्यक्ति को देय राशि के भुगतान के लिए स्पष्ट उपबंध है, इसलिए उत्तराधिकार प्रमाणपत्र आवश्यक नहीं था।"

पैरा 23(i) इस प्रकार है :—

"कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 के अन्तर्गत कर्मचारी द्वारा किए गए नामांकन इस स्कीम के अन्तर्गत नामांकन समझे जाएंगे और बीमे की राशि ऐसे नामित व्यक्ति या व्यक्तियों को देय होगी।"

यह आशा की जाती है कि क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त का कार्यालय ऐसे मामलों में आवेदकों का मार्गदर्शन करेगा ताकि वे अनावश्यक खर्च करने से बच सकें। यह भी आशा की जाती है कि क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त उचित जांच करेगा, और यदि आवश्यक हो तो विधिक राय प्राप्त करेगा और उपयुक्त आदेश जारी करेगा ताकि अधिकारी दावेदार को ऐसे लाभदायी अधिनियम के सुसंगत उपबंध और स्कीम के अन्तर्गत देय राशियां प्राप्त करने के लिए न्यायालय का दरवाजा न खटखटाना पड़े।

इसलिए स्कीम में ही यह व्यवस्था की जानी चाहिए कि पैरा 70(i) और पैरा 70(ii) के अन्तर्गत आने वाले मामलों में उत्तराधिकार प्रमाणपत्र पर जोर नहीं दिया जाए। केवल पैरा 70(iii) के अन्तर्गत आने वाले मामलों में और उन मामलों में भी इसकी मांग तभी की जाए जब दावेदार के हक के संबंध में वास्तविक सन्देह हो या प्रतिस्पर्धी दावेदार हो।

2.5.8 "बेबाकी प्रमाणपत्र" प्रस्तुत करने पर अनावश्यक आग्रह—मामलों को अन्तिम रूप देने और उनका निपटान करने में विलम्ब होने का एक अन्य कारण "बेबाकी प्रमाणपत्र" प्रस्तुत करने की मांग करना है। यह प्रमाणपत्र नियोजक द्वारा यह प्रमाणित करते हुए दिया जाता है कि कर्मचारी से वसूली योग्य कोई देय राशि बकाया नहीं है। यद्यपि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 और उसके अन्तर्गत बनाई गई स्कीम में ऐसा कोई उपबंध नहीं है जिससे ऐसे प्रमाणपत्र न होने पर भविष्य निधि की देय राशियां रोक ली जाएं तथापि प्रायः यह बहाना बना कर देय राशियां रोक ली जाती हैं। इसके अतिरिक्त कर्मचारी से सामान्यतया नियोजक के संबंधित विभाग/कार्यालय से ऐसा प्रमाणपत्र प्राप्त करके प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है जबकि कर्मचारी के अनुरोध पर यदि विभाग कई महीनों या वर्षों तक कोई ध्यान नहीं देता तो वह उसमें कुछ भी नहीं कर सकता है। इसका उदाहरण देने के लिए उल्लेख किया जा सकता है कि यद्यपि कर्मचारी (श्री ललन कुंकी) ने अप्रैल, 1988 में सेवानिवृत्ति के बाद अपने दावे के कागज-पत्र प्रस्तुत किए, फिर भी उसका मामला उसके नियोजक (नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कार्पोरेशन) द्वारा "बेबाकी प्रमाणपत्र" न देने की वजह से 18 महीनों से भी अधिक समय तक नहीं निपटाया गया।

2.6 ऐसे कारण जिनके लिए क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के कार्यालय को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है—मामलों के अन्तिम निपटारे में विलम्ब के अन्य कारणों के साथ-साथ नीचे कुछ ऐसे कारण दिये गये हैं जिनके लिए क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है :—

(क) कार्यालय/पदाधिकारियों की ओर से निष्क्रियता, उदासीनता या चूक,

(ख) कर्मचारियों की कमी,

(ग) कानूनी कर्तव्य पूरे करने में असफलता,

(घ) उत्तराधिकार प्रमाणपत्र या अनापत्ति प्रमाणपत्र जैसे दस्तावेज प्रस्तुत करने पर अनावश्यक जोर देना।

2.6.1 पदाधिकारियों की निष्क्रियता, उदासीनता या चूक—भविष्य निधि और सेवानिवृत्ति की देय अन्य राशियों के निपटान में विलम्ब के प्रमुख कारणों में से एक कारण क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के कार्यालय की ओर से निष्क्रियता या चूक होना है। मामलों पर साधारणतया तत्काल ध्यान नहीं दिया जाता। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की लेखाकरण कार्यविधि नियम-पुस्तक (खण्ड 1 भाग II) के अध्याय III के पैरा 91 में अपेक्षित है कि यह सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक प्रयास किया जाना चाहिए कि कर्मचारी भविष्य निधि की देय राशियां और कर्मचारी परिवार पेंशन/कर्मचारी निक्षेपसह बीमा स्कीमों के अन्तर्गत अन्य लाभों की अन्तिम धन वापसी के दावों का उनकी प्राप्ति से 20 दिन के भीतर निपटान कर दिया जाए। लेखाओं का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न उपाय निर्धारित किये गये हैं। परन्तु व्यवहार में मामलों के निपटान में सामान्यतया विलम्ब किया जाता है। कुछ मामले कई वर्षों बाद निपटाए जाते हैं। उदाहरण के रूप में बंगलोर के श्री इकबाल अहमद के मामले का उल्लेख किया जा सकता है। श्री अहमद ने मेसर्स रोड बर्ड (प्रा०) लिमिटेड, कलकत्ता में 1972 से अक्तूबर, 1981 की अवधि तक सेवा की। उसका भविष्य निधि और परिवार पेंशन संबंधी मामला मार्च, 1983 में निपटाया गया था। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के कार्यालय से राशियां तारीख 21 मार्च, 1983 और 30 मार्च, 1983 के चैक द्वारा भेजी गई थीं। भविष्य निधि की राशि से संबंधित चैक क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के कार्यालय को लौटा दिया गया था क्योंकि उसमें लिपिकीय त्रुटि थी। अशुद्धि को सही करने और चैक सीधा वापस कर्मचारी को भेजने के बजाय क्षेत्रीय निधि आयुक्त के कार्यालय ने अक्तूबर, 1983 में चैक को रद्द कर दिया और उसके बाद कर्मचारी को राशि का भुगतान करने के लिए उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई।

2.6.2 कर्मचारियों की कमी—आयोग द्वारा क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, कलकत्ता को मेसर्स गेस्ट कीन एण्ड विलियम, जिसने अक्तूबर, 1987 में तालाबंदी घोषित कर दी थी, के भूतपूर्व कर्मचारियों के मामलों के निपटान में विलम्ब के कारणों का पता लगाने के लिए लिखे जाने पर क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा यह सूचना दी गई कि कम्पनी के भूतपूर्व कर्मचारियों के मामलों पर कार्रवाई करने के लिए उनके कार्यालय में केवल दो पदाधिकारी ही उपलब्ध थे जिसके परिणामस्वरूप मामलों के निपटारे में विलम्ब हो रहा है।

2.6.3 उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए पदाधिकारियों की उदासीनता या चूक—भविष्य निधि और सेवानिवृत्ति की देय अन्य राशियों के निपटान में विलम्ब का अन्य कारण अधिनियम और उसके अन्तर्गत बनाई गई स्कीम के अन्तर्गत क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के कार्यालय को सौंपे गये कानूनी कर्तव्य पूरे करने में उनकी ओर से चूक करना है। अधिनियम और स्कीम के उपबन्धों के अन्तर्गत कर्मचारियों को कुछ कानूनी विवरणियां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के कार्यालय में प्रस्तुत करनी होती हैं। इस प्रकार प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियां कभी-कभी अधूरी या गलत होती हैं। उपयुक्त छानबीन न करने के कारण विवरणियों में चूक, आदि का पता नहीं चल पाता। उनका केवल तभी पता चलता है जब दावे पर कार्रवाई की जा रही हो। उसका परिणाम यह होता है कि कानूनी विवरणियों में चूक/विसंगति को दूर करने या ठीक किये जाने तक दावे के निपटान में विलंब हो जाता है। विवरणी में संवीक्षा न किए जाने का सर्वाधिक स्पष्ट उदाहरण ऐसे मामले में देखने में आता है जहां नियोजक भविष्य निधि में अपने अंशदान का हिस्सा जमा नहीं करा पाता। 1952 की स्कीम के पैरा 38(1) के अंतर्गत प्रत्येक नियोजक को हर महीने की समाप्ति के 15 दिन के भीतर निधि में कर्मचारी के अंशदान के साथ-साथ अपने अंशदान और प्रशासकीय प्रभारों, यदि कोई हो, की अदायगी, अंशदान और प्रशासनिक प्रभारों के लिए अलग-अलग बैंक ड्राफ्टों या चैकों द्वारा करनी होती है।

पैरा 38(2) में यह भी अपेक्षा की गई है कि नियोजक, आयुक्त को महीने की समाप्ति के 25 दिन के भीतर, आयुक्त द्वारा यथानिर्धारित फार्म में एक समेकित विवरण भेजेगा जिसमें प्रत्येक कर्मचारी के वेतन से की गई कटौतियां और नियोजक द्वारा प्रत्येक कर्मचारी के संबंध में दिए गए अंशदान की राशि दिखाई जाएगी। यदि ऐसी विवरणियों की भलीभांति समीक्षा की जाती है तो क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के कार्यालय को फौरन यह पता चल जाएगा कि नियोजक के किस कर्मचारी विशेष या कर्मचारियों के संबंध अपने हिस्से का अंशदान जमा नहीं कराया है। इससे नियोजक के अंशदान के हिस्से की फौरन वसूली के लिए कार्रवाई प्रारंभ करने में आसानी होगी। भले ही इस चूक का पता चल जाता है कि नियोजक ने अपने अंशदान का हिस्सा जमा नहीं कराया है तो भी क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त का कार्यालय बहुधा नियोजक के विरुद्ध कोई कार्रवाई प्रारंभ नहीं करता। नियोजक द्वारा निधि में राशि जमा करने के संबंध में चूक किये जाने पर क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को इस प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं कि वह (i) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 8 में की गई व्यवस्था के अनुसार उपर्युक्त राशि वसूल कर सकता है, (ii) 1952 के अधिनियम की धारा 14-ख के अंतर्गत नुकसानी वसूल कर सकता है, और (iii) अधिनियम की धारा 14कग के साथ पठित धारा 14 के अंतर्गत चूककर्ता नियोजक के अभियोजन के लिए दाण्डिक कार्यवाही प्रारंभ कर सकता है। इन शक्तियों का जल्दी से इस्तेमाल कभी कभार ही किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप कर्मचारियों को उनकी किसी गलती के बगैर कष्ट उठाना पड़ता है और उन्हें भविष्य निधि के लाभों से केवल नियोजकों द्वारा अपने अंशदान का हिस्सा जमा न करवाने की वजह से वंचित होना पड़ता है। उच्चतम न्यायालय को आरगैनो केमीकल इंडस्ट्रीज बनाम भारत का संघ (ए० आई० आर० 1979 उच्चतम न्यायालय 1803) के मामले में अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाई गई स्कीम पर विचार करने का मौका मिला। उच्चतम न्यायालय ने, संक्षेप में अधिनियम के अंतर्गत बनाई गई स्कीम को अध्ययन करने के बाद, जो कि सिद्धांततः और मुख्यतः फैक्टरियों और अन्य स्थापनों में नियोजित कर्मकारों के कल्याण के लिए हैं तथा जिसके अंतर्गत क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्तों पर यह देखने की भारी जिम्मेदारी है कि अधिनियम के उपबंधों और स्कीम का ठीक तरीके से पालन और अनुपालन किया जाता है, निम्नलिखित मत व्यक्त किया :—

"..... यह सामाजिक सुरक्षा संबंधी उपाय एक मानवीय सम्मान है जो राज्य संविधान के अनुच्छेद 39 और 41 को प्रदान करता है। परियोजना का सुचारू रूप से परिचालन नियोजक द्वारा कर्मकारों की मजदूरी से अंशदानों की विधिवत् कटौती करने और उसमें थोड़ा सा अपना अंशदान मिलाने तथा उस धनराशि को जल्दी से अधिनियम द्वारा स्थापित खजाने में जमा कराने पर निर्भर करता है। यदि नियोजक अपना कार्य पूरा नहीं कर पाता तो इस प्रणाली का ताना-बाना ही बेकार हो जाएगा। इस लाभकारी अधिनियम की गतिशीलता इसी बात पर निर्भर करती है कि इस निधि की तिजोरी में धनराशियां नियमित रूप से जमा होती रहें।"

3. इस संबंध में वस्तुस्थिति यह है कि मजदूरी से उचित कटौती करने के बाद नियोजक की चूक द्वारा अंशदान का आगम रोक दिया जाता है और उसका इस्तेमाल उसके अपने प्रयोजनों के लिए किया जाता है तो स्कीम के विफल होने पर जनता कुंठित होगी और लाभग्राहियों में तब बुरी तरह से मानसिक असंतोष व्याप्त होगा जब वे देखेंगे कि उनकी मजदूरी काट ली गई है और नियोजक अपना अंशदान जमा करने में चूक करने के साथ-साथ कर्मकारों के हिस्से को हड़प कर उसका भी दुरुपयोग कर रहा है। जब समाज कल्याण संबंधी कोई योजना किसी दोष के कारण असफल हो जाती है तो भुगतान न किए जाने के कारण ब्याज की अर्थिक हानि की तुलना में "नुकसानी" का सामाजिक आर्थिक दृष्टि से व्यापक अर्थ होता है। सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कानून संकल्पनाओं में भी विस्तार करता है ताकि वे प्रभावशाली ढंग से कार्य कर सकें। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय को नाथूलाल **बनाम** क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, इन्दौर (1948 लैब, आई०सी० 2438) के मामले में कर्मचारी को सुसंगत अवधि के लिए संपूर्ण राशि, अर्थात्, कर्मचारी का अंशदान और नियोजक का अंशदान, जिसे उसने निधि में जमा नहीं किया, की अदायगी के हक के प्रश्न पर विचार करना पड़ा। उच्च न्यायालय ने अधिनियम के सुसंगत उपबंधों और उसके अधीन बनाई गई स्कीम पर विचार करने के बाद उच्चतम न्यायालय (उपर्युक्त उद्धृत) के निर्णय के आधार पर निम्नलिखित मत व्यक्त किया :—

> ".....हमारी यह राय है कि प्रत्यर्थी द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण में कोई सार नहीं है क्योंकि कर्मचारी को, उसकी किसी गलती के बगैर, इस तरीके से कष्ट नहीं दिया जा सकता क्योंकि वह उस सम्पूर्ण अवधि के लिए, जिसके लिए उसने इस याचिका में दावा किया है, पूरी राशि की अदायगी का हकदार है। स्पष्ट है कि अर्जीदार इस आशय से स्कीम का सदस्य बना था कि उसे सेवानिवृत्ति पर अपनी सभी देय राशियां प्राप्त हो जाएंगी क्योंकि नियोजक द्वारा उसके वेतन से नियमित रूप से कटौती की गई थी और वह किसी भी कारण से यह कल्पना नहीं कर सकता था कि नियोजक ने उक्त निधि में उसके अंशदान जमा नहीं किया होगा क्योंकि कर्मचारी के लिए एक प्रलोभन यही होता है कि सेवानिवृत्ति पर उसे अपने अंशदान के अतिरिक्त अपने नियोजक के हिस्से के अंशदान के रूप में अधिक धन प्राप्त हो जाएगा क्योंकि ऐसे मामले में उसे नियोजक से कोई पेंशन प्राप्त नहीं होगी बल्कि उसे मात्र अपनी भविष्य निधि पर ही आश्रित रहना पड़ेगा जिस पर उसकी भावी जीविका निर्भर करती है।"

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील की है। उच्चतम न्यायालय ने ता० 3 जुलाई, 1984 को अपनी विशेष अनुमति याचिका सं० 6909/84 द्वारा अपील के निपटान होने तक उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी है जिसका परिणाम यह हुआ कि कर्मचारी लगातार कष्ट उठा रहे हैं और अधिनियम तथा उसके अधीन बनाई गई स्कीम के अंतर्गत क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के कार्यालय पर डाले गये सांविधिक कर्तव्यों को पूरा न कर पाने के कारण उन्हें विधिसम्मत अधिकार से वंचित होना पड़ रहा है। समस्या को स्पष्ट करने के लिए, इससे पहले 2.5.5 में वर्णित श्री आर० ए० स्वामी के मामले को लिया जा सकता है। श्री स्वामी को नियोजक द्वारा उक्त राशि जमा न कराने के आधार पर जून, 1987 से नियोजक के हिस्से की 35% राशि नहीं मिल पाई है।

2.7 **अन्य कारण**—ऊपर बताए गए कारणों के अतिरिक्त, कुछ अन्य कारण भी हैं जिनके परिणामस्वरूप भविष्य निधि और सेवानिवृत्ति की अन्य देय राशि संबंधी मामलों को निपटाने में विलम्ब होता है।

अन्य बातों के साथ-साथ ये कारण इस प्रकार हैं :—

(1) किसी संगठन के विभिन्न विभागों की ओर से या दो कार्यालयों की ओर से समन्वय और शीघ्र कार्रवाई की कमी;
(2) वेतनमानों का पुनरीक्षण होने के बाद वेतन निर्धारण का सत्यापन न करना;
(3) भविष्य निधि की राशि के सही होने के संबंध में विवाद; और
(4) नामित व्यक्ति या कानूनी वारिसों का निश्चय।

2.7.1 **समन्वय का अभाव**—किसी संगठन के विभिन्न विभागों या दो या दो से अधिक कार्यालयों में समन्वय के अभाव और शीघ्र कार्रवाई न करने के कारण भविष्य निधि और अन्य सेवानिवृत्ति संबंधी देय राशियों के निपटान में देरी हो जाती है। किसी विभाग/कार्यालय द्वारा मांगी गई सूचना दूसरे विभाग/कार्यालय द्वारा समय पर न दिए जाने के कारण परिहार्य विलंब हो जाता है और दावे का निपटान न होने या देर से निपटान होने के परिणामस्वरूप कर्मचारी, उसके नामित व्यक्ति या कानूनी लाभग्राही को परेशानी उठानी पड़ती है। इस संबंध में कुछ उदाहरण उद्धृत किए जा सकते हैं। श्री के० नागौरी आंध्र प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम से 31 जुलाई, 1987 को सेवानिवृत्त हुए थे। अभिलेख और सुसंगत

जानकारी के अभाव में उनके भविष्य निधि दावे का अंतिम रूप से निपटान केवल जनवरी, 1989 में ही हो सका। दुर्ग के श्री जे० आर० गुप्ता ने 28 दिसम्बर, 1987 को मैसर्स अडवाणी आक्सिलिकोन लिमिटेड, रायपुर की सेवा से त्याग-पत्र दिया था। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त इन्दौर द्वारा नियोजक और क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, बम्बई के कार्यालय से जानकारी न मिलने के कारण उनके भविष्य निधि मामलों का अंतिम रूप से निपटान केवल जून, 1989 में ही किया जा सका। श्री एस० एस० सिसाल मैसर्स सैन्ट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन की सेवा से 29 जनवरी, 1988 को सेवानिवृत्त हुए। न्यास को उनकी सेवानिवृत्ति की सूचना लगभग 4 महीने बीतने के बाद 31 मई, 1988 को दी गई। जिस यूनिट में वे काम कर रहे थे उससे जानकारी मांगने के लिए न्यास ने 24 जून को कार्रवाई प्रारंभ की। यूनिट ने यह जानकारी 3 किस्तों में क्रमशः ता० 11 जुलाई, 1988, 26 जुलाई, 1988 और 3 दिसम्बर, 1988 को दी। चूंकि न्यास को प्राप्त हुई जानकारी पूर्ण प्रतीत नहीं होती थी इसलिए 17 फरवरी, 1989 को एक टेलेक्स संदेश भेजा गया जिसमें एक निश्चित अवधि के अंशदानों और त्यौहार अग्रिम आदि के संबंध में जानकारी मांगी गई। इस प्रकार विभिन्न कार्यालयों की ओर से समन्वय और शीघ्र कार्रवाई न करने के कारण दावों को निपटाने में विलंब हुआ। ऐसे विलंब को दूर किया जा सकता था और कर्मचारियों, उनके नामित व्यक्तियों या कानूनी वारिसों को परेशान होने से बचाया जा सकता था।

2.7.2 **वेतन का पुनरीक्षण होने पर वेतन निर्धारण के सत्यापन में देरी**—वेतन पुनरीक्षण के कारण कर्मचारियों के वेतन का पुनर्निधारण करना पड़ता है। कुछ संगठनों में ऐसे वेतन निर्धारण को, लेखा परीक्षा प्राधिकारियों या किन्हीं अन्य प्राधिकारियों द्वारा सत्यापित किया जाता है। वेतन निर्धारण से सत्यापन न होने के परिणामस्वरूप, भविष्य निधि और अन्य पेंशन संबंधी देय राशियों के दावों को निपटाने में विलंब हो जाता है। इस संबंध में बड़ोदरा के श्री ए० एन० गोडबोले का मामला उदाहरण के रूप में उद्धृत किया जा सकता है। श्री गोडबोले 30 दिसम्बर, 1987 को एम०एम० विश्व-विद्यालय, बड़ौदा के विज्ञान संकाय की सेवा से सेवानिवृत्त हुए थे। उनकी पेंशन नियत नहीं की गई है हालांकि 28 जून, 1988 को उनके कागजात उच्च शिक्षा निदेशक को भेजे गए थे। इसका कारण यह बताया गया है कि 1 जनवरी, 1986 से पुनरीक्षित वेतनमानों के अनुसार उनका वेतन निर्धारण अब तक सत्यापित नहीं किया गया है और यह सत्यापन उच्च शिक्षा निदेशक के कार्यालय द्वारा किया जाना है। ऐसा बताया गया है कि वेतन निर्धारण का सत्यापन-कार्य मई, 1989 में प्रारंभ कर दिया गया था; दावा अभी तक अनिर्णीत पड़ा है।

2.7.3 **संचित राशि की मात्रा के संबंध में विवाद**—कभी-कभी एक ओर न्यास-क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के कार्यालय और दूसरी ओर दावेदार के बीच भविष्य निधि की संचित राशि के ठीक होने के संबंध में विवाद हो जाता है। ऐसे विवाद से भी दावे के अंतिम निपटारे में देरी हो जाती है।

उदाहरण के लिए, श्री एस० जैड० रहमान 1 फरवरी, 1988 को मैसर्स नेशनल प्रोजैक्ट कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन की सेवा से सेवानिवृत्त हुए। ट्रस्ट ने कर्मचारी से 11,532 रु० 50 पै० की एक स्टाम्पित रसीद मांगी। कर्मचारी ने न्यास द्वारा परिकलित की गई राशि के ठीक होने पर विवाद किया और यह दावा किया कि संचित राशि 13,080 रु० थी। कर्मचारी द्वारा न्यास को 23 अगस्त, 1988 को देय राशि के ब्यौरे भेजे गए। विवाद का समाधान नहीं हुआ है और मामले का अभी भी निपटारा होना बाकी है।

2.7.4 **लाभग्राही का निश्चित किया जाना**—दावे के निपटारे में देरी का दूसरा कारण नामित व्यक्ति या कानूनी लाभग्राहियों का निश्चित किया जाना भी है। जिन मामलों में कर्मचारी स्वयं दावेदार हों उनमें ऐसी समस्या उत्पन्न नहीं होती क्योंकि नियोजक सदैव दावेदार को बता देता है। कठिनाई उन मामलों में उत्पन्न होती है जिनमें दावेदार कर्मचारी का नामित व्यक्ति हो या उसका कानूनी लाभग्राही। अधिनियम या उसके अधीन बनाई गई स्कीम में ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कोई भी बात नहीं है। इसके परिणामस्वरूप संबंधित प्राधिकारियों, अर्थात्, नियोजक, न्यास या क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के कार्यालय द्वारा इस संबंध में अलग-अलग कार्यविधियां अपनाई जा रही हैं। जिसकी वजह से मामलों को निपटाने में विलम्ब होता है और दावेदारों को मुसीबत का सामना करना पड़ता है।

2.8 अब जबकि आयोग ने अपनी जानकारी में आए विभिन्न कारणों का पता लगा लिया है, और उचित सुझाव दे दिए गए हैं तब इस संबंध में अपनाए जाने के लिए अपेक्षित अन्य उपायों के विषय में यथाक्रम इसके बाद चर्चा की जाएगी।

अध्याय III

समस्या का आकार—एक कानूनी लोकपाल का सृजन करने की आवश्यकता

3.1 परेशान कर्मचारियों के कष्ट के संबंध में एकत्र की गई सामग्री—इस अधिनियम और उसके अधीन बनाई गई स्कीम की पश्च-परीक्षा करने के उद्देश्य से, क्योंकि ये सामाजिक आर्थिक कल्याणकारी विधि हैं, आयोग ने 20 दिसम्बर, 1988 को एक प्रेस विज्ञप्ति (परिशिष्ट "ङ") जारी की जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिन्हें एक वर्ष से अधिक समय के पश्चात् भी भविष्य निधि और सेवानिवृत्ति संबंधी देय राशियां प्राप्त नहीं हुई हैं, सुसंगत विवरण इस उद्देश्य से प्रस्तुत करने को कहा गया कि आयोग को उनकी परेशानियों का पता चल सके। जारी किए गए प्रेस नोट के प्रत्युत्तर में प्राप्त शिकायतों के आधार पर आयोग द्वारा एकत्र की गई सामग्री से भविष्य निधि की संचित राशियों आदि के संवितरण के बारे में अत्यंत दुःखद स्थिति का पता चला। आयोग को प्राप्त कुल 481 शिकायतों में से, संबंधित प्राधिकारियों के साथ आयोग द्वारा कार्रवाई किये जाने पर 139 मामले लगभग 3 महीने के भीतर सुलझा दिये गए। जिन मामलों में देरी स्पष्टतः अनुचित थी उनसे संबंधित आंकड़ों का विश्लेषण करने पर एक अत्यंत बेहूदी तस्वीर सामने आती है :—

मामलों में हुई देरी की अवधि	मामलों की संख्या
अधिकतम 21 वर्ष, न्यूनतम 10 वर्ष	7
अधिकतम 10 वर्ष, न्यूनतम 6 वर्ष	25
अधिकतम 6 वर्ष, न्यूनतम 4 वर्ष	15
अधिकतम 4 वर्ष, न्यूनतम 2 वर्ष	32
2 वर्ष से कम	60
कुल	139

(इन 139 मामलों के संबंध में पूरे ब्यौरे परिशिष्ट "च" में दिये गए हैं)

3.2 नियोजकों की श्रेणियां—विलंब के ये मामले उन नियोजकों और स्थापनों से संबंधित हैं जो (1) अधिनियम और स्कीम (छूट प्राप्त और गैर-छूट प्राप्त) के अधीन आते हैं, और जो (2) अधिनियम और स्कीम के अंतर्गत नहीं आते। इनके ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

अधिनियम या योजना के अंतर्गत आने वाले		अधिनियम या योजना के अंतर्गत न आने वाले	कुल
96		43	139
छूट प्राप्त	गैर-छूट प्राप्त		
25	71		

(ब्यौरों के लिए परिशिष्ट "च" देखा जाए)

3.3 उठने वाले प्रश्न—उपर्युक्त पृष्ठभूमि में निम्नलिखित प्रश्न सामने आते हैं :—

(1) क्या सेवानिवृत्त कर्मचारी या लाभग्राही को, जो मृत कर्मचारी के अधीन दावा कर रहा हो, कई-कई वर्षों तक (10 से अधिक वर्ष और कभी-कभी 21 वर्ष तक) प्रतीक्षा कराना न्यायसंगत या उचित है ?

(2) क्या वर्तमान तंत्र समस्या को सुलझाने के लिए पर्याप्त हैं ? प्रश्न सं० 1 और 2 के उत्तर उन्हीं में अंतर्निहित हैं। **वर्तमान स्थिति असह्य है और वर्तमान यंत्र पूर्णतया अपर्याप्त है।** तब तक क्या किया जाना चाहिए ?

3.4.1 मौनीटर करने वाला अधिकरण स्थापित करने की आवश्यकता : लोकपाल—आयोग की यह दृढ़ राय है कि यह समस्या, अनिवार्य रूप से, मौजूद संवितरण तंत्र के कार्याचालन पर नजर रखने के लिए कोई मौनीटर अभिकरण न होने के कारण उत्पन्न हुई है।

3.4.2 इस बात पर बल देना आवश्यक है कि आयोग द्वारा हाथ में लिए गए 139 मामलों का लगभग 3 महीने के भीतर ही, निपटारा कर दिया गया। इसमें निम्न दो निष्कर्ष निकलते हैं :—

(1) संवितरण प्राधिकारी की ओर से आवश्यक कार्रवाई करने में सदोष उदासीनता दिखाई गई थी। अन्यथा जो मामले, 5, 10, 15 या 20 वर्षों से अनिर्णीत पड़े थे उन्हें तकरीबन 3 महीने के भीतर कैसे सुलझा लिया गया।

(2) यदि नजर रखने के लिए और आवश्यकता होने पर अंकुश लगाने के लिए मार्गदर्शन करने के लिए और जब कभी आवश्यक हो तो उपयुक्त निर्देश जारी करने के लिए, मौनीटर अभिकरण होता तो ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती।

3.4.3 इसलिए ऐसे अभिकरण का, अर्थात्, लोकपाल का सृजन करने की आवश्यकता वास्तविक है और स्वतः स्पष्ट है।

3.4.4 भविष्य निधि लोकपाल के प्रस्तावित पद की रूपरेखा

गठन और ढांचा

I

इस पद को उपयुक्त दर्जा, प्राधिकार और गरिमा प्रदान करने के उद्देश्य से यह पद संसदीय कानून द्वारा बनाया जाएगा और बेहतर होगा कि उसका पदधारी उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या हर हालत में कम से कम उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो जो कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 3 वर्ष तक पद धारण करेगा। वह उसी पारिश्रमिक और विशेषाधिकारों का हकदार होगा जो उसकी सेवानिवृत्ति से तुरंत पूर्व उसे प्राप्त थे।

II

उसकी सहायता, उप-लोकपाल द्वारा, जो सेवानिवृत्त जिला और सत्र न्यायाधीश की रैंक का होगा; और अपेक्षित स्टाफ द्वारा, की जाएगी।

III

उसे एक कम्प्यूटर भी उपलब्ध कराया जाएगा जिससे कि वह विवरणियों में प्रस्तुत आंकड़ों का विश्लेषण कर सके और कारगर रूप से मौनीटर करने का कार्य कर सके।

शक्तियां

अधिक प्रभावशील होने के उद्देश्य से लोकपाल को निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त होंगी :—

I

भारत के संपूर्ण राजक्षेत्र में संवितरण के संबंध में हुए विलम्ब के मामलों को मौनीटर करना।

II

सभी कर्मचारियों और स्थापनों के मामलों को मौनीटर करना, अर्थात् :—

(1) अधिनियम और स्कीमों के अंतर्गत आने वाले स्थापन,

(2) ऐसे स्थापन जिन्हें अधिनियम और स्कीम के सुसंगत उपबंधों के अधीन छूट प्रदान की गई है।

(3) अधिनियम और स्कीम के अंतर्गत न आने वाले नियोजक और स्थापन,

अर्थात्, ऐसे पब्लिक सैक्टर उपक्रम जिनकी अपनी स्कीमें हों और इसी तरह के अन्य सांविधिक निगम।

III

स्वतः कार्य करने तथा अधिनियम और स्कीमों के अधीन कर्मचारियों, उनके नामित व्यक्तियों या लाभग्राहियों की शिकायतों के आधार पर भी कार्य करने की शक्ति।

IV

उसे उन मामलों के संबंध में, जिनमें संवितरण न किया गया हो या विलम्ब किया गया हो, जानकारी मांगने और निर्धारित विवरणियों के समय पर प्रस्तुत करवाने के लिए जोर देने की भी शक्ति प्राप्त होगी ।

V

उसे संबंधित प्राधिकारियों से निश्चित रूप से अनुपालन करवाने के लिए उपयुक्त निदेश जारी करने की शक्ति प्राप्त होगी ताकि वे देय राशियों का शीघ्र संवितरण सुनिश्चित करने के लिए अपने कर्तव्य का निर्वहन कर सकें ।

कर्तव्य

I

लोकपाल का यह कर्तव्य होगा कि वह (यथास्थिति) सेवानिवृत्त कर्मचारियों या उनके नामित व्यक्तियों या लाभग्राहियों और दावे के हकदार अन्य व्यक्तियों को दावे की राशि का शीघ्र संवितरण सुनिश्चित करे और इस बात पर ध्यान दिए बिना कि संबंधित कर्मचारी ने कोई विशिष्ट शिकायत की है या नहीं, उसका भुगतान हर दशा में छह माह के भीतर करवाए ।

II

उसका यह भी कर्तव्य होगा कि वह भविष्य निधि में संचित राशियों की अदायगी न किये जाने के संबंध में अपनी जानकारी के लिए, निम्नलिखित तरीकों से शिकायतें मंगवाए ताकि उसे ऐसे मामलों का पता चल सके :—

(क) प्रत्येक छः महीने में, सारे राज्य में निकलने वाले अंग्रेजी के उपयुक्त क्षेत्रीय दैनिक समाचारपत्रों और क्षेत्रीय भाषाओं के समाचारपत्रों में विज्ञापन दे कर,

(ख) प्रत्येक छः महीने में सारे राज्य में अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में रेडियो और टी० वी० पर इसकी घोषणा करा कर ।

III

ऐसी मांगों के जवाब में या अन्य प्रकार से प्राप्त हुई शिकायतों के आधार पर स्वतः संज्ञान लेना और ऐसे मामलों में शीघ्रता से संवितरण सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त प्राधिकारियों के साथ संपर्क करके उचित कार्रवाई करना, और विलम्ब के कारण के संबंध में जानकारी प्राप्त करना तथा अड़चनों को दूर करने और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए समुचित निदेश जारी करना ।

IV

यह उसका कर्तव्य होगा कि संबंधित स्थापनों में लंबित दावों के संबंध में विवरणियां और सूचना मंगाए, प्रस्तुत की गई विवरणियों की संवीक्षा करे, स्व-प्रेरणा से समुचित कार्रवाई करे और दावेदारों को शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने के लिए संबंधित प्राधिकारियों को समुचित निदेश जारी करे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी दावा 3 माह से अधिक समय तक अनिर्णीत न रहे ।

3.4.5 **लोकपाल को अपनी शक्तियों का प्रयोग करने और अपने कर्तव्यों का पालन करने में समर्थ बनाने के लिए अपेक्षित उपबंध.**—चूंकि लोकपाल यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा कि भविष्य निधि और अन्य सेवा-निवृत्ति/मृत्यु संबंधी लाभ लाभग्राही को यथासंभव, इसके देय होने की तारीख से तीन महीने के अंदर दे दिए जाते हैं, इसलिए निम्नलिखित आशय के उपबंध करना आवश्यक है :—

(1) भविष्य निधि स्कीम रखने वाला प्रत्येक नियोजक हर महीने की 15 तारीख तक लोकपाल को, निर्धारित प्ररूप में एक विवरणी (परिशिष्ट ज I और ज II) प्रस्तुत करेगा, जिसमें तीन महीने से अधिक विलंब के मामलों का विवरण दिया जाएगा, प्रत्येक मामले के संबंध में आवश्यक ब्यौरे दिए जाएंगे और विलंब के कारणों का उल्लेख किया जाएगा ।

(2) छूट प्राप्त संगठनों के मामले में, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त और भविष्य निधि न्यासों के न्यासी प्रत्येक वर्ष की 15 जनवरी, 15 अप्रैल, 15 जुलाई और 15 अक्तूबर को लोकपाल को निर्धारित प्ररूप (परिशिष्ट ज I और ज III) में एक विवरणी प्रस्तुत करेंगे, जिसमें उन मामलों का विवरण होगा, जो राशि के देय होने की तारीख से तीन माह के भीतर न निपटाए जा सके हों और विलंब के कारणों का भी उल्लेख होगा । लोकपाल को दावों का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने के लिए समुचित निदेश जारी करने का प्राधिकार प्राप्त होगा ।

(3) लोकपाल तीन माह से अधिक विलंब के मामलों में, नियोजकों द्वारा या तो अपने निजी अंशदान के संबंध में या कर्मचारियों के अंशदान के संबंध में या दोनों के अंशदान के संबंध में राशि जमा करने में चूक करने संबंधी मामलों पर नजर रखेगा और इस संबंध में संबंधित अधिकारी, प्राधिकारी अथवा नियोजक को समुचित निदेश जारी करेगा । लोकपाल को संबंधित अधिकारी, प्राधिकारी अथवा नियोजक से अपने द्वारा उचित और उपयुक्त समझी गई कोई अन्य सूचना मांगने का भी प्राधिकार होगा ।

(4) संबंधित अधिकारी या प्राधिकारी या नियोजक की ओर से, लोकपाल द्वारा मांगी गई विवरणी और/या सूचना प्रस्तुत करने में जानबूझ कर चूक करना या प्रस्तुत न करना अथवा संबंधित अधिकारी, प्राधिकारी या नियोजक द्वारा, लोकपाल द्वारा जारी किए गए निदेशों का बिना पर्याप्त कारण के निर्दिष्ट समय में अनुपालन न करना एक दंडनीय अपराध होगा, जो छः मास तक के कारावास से या 5000 रुपए तक के से या दोनों से दंडनीय होगा । इस प्रकार का अपराध जमानतीय, संज्ञेय और अधिकारिता प्राप्त मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा ।

3.4.6 **उपयुक्त विधि.**—लोकपाल के पद का सृजन करने के लिए यह सिफारिश की जाती है कि यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त विधि अधिनियमित की जाए जिससे कि इस पद को भविष्य निधि की देय राशियों के भुगतान से संबंधित दावों का शीघ्र निपटारा करने के लिए मानीटर करने, और समुचित प्रवर्तनीय निदेश जारी करने के लिए कानूनी प्राधिकार और शक्तियां प्राप्त हों, तदनुसार, हम यह सिफारिश करते हैं ।

अध्याय IV

लाभग्राहियों को भविष्य निधि में संचित राशियों के शीघ्र भुगतान के लिए अन्य प्रस्तावित उपाय

4.1.1 भविष्य निधि और अन्य पेंशन लाभों के मामलों को निपटाने में विलंब को, यदि पूरी तरह समाप्त न किया जा सके तो इसे कम करने के लिए और ऐसे विलंब के कारण कर्मचारियों, उनके नामित व्यक्तियों अथवा कानूनी हिताधिकारियों के सामने आ रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए, अध्याय III में की गई सिफारिशों के अनुसार लोकपाल का पद स्थापित करने के अतिरिक्त कुछ अन्य उपाय करना भी आवश्यक है।

4.1.1.क **कर्मचारियों को जानकारी दी जाए.**—दावे के आवेदनों के न प्रस्तुत किए जाने, देर से प्रस्तुत किए जाने अथवा उनमें कोई त्रुटि होने या उनके अपूर्ण होने के कारण हुए विलंब का मुख्य कारण कर्मचारियों, उनके नामित व्यक्तियों अथवा कानूनी उत्तराधिकारियों का अज्ञान है। ऐसे मामलों की संख्या को भी कम से कम करना आवश्यक है जिनमें या तो कोई नामांकन नहीं किया जाता है या, परिस्थितियों में बदलाव आने पर, किए गए नामांकन में परिवर्तन नहीं किया जाता है। सामान्यता, कर्मचारी किसी को नामित करना या नामांकन में परिवर्तन करना आवश्यक नहीं समझते। स्कीम के कार्यान्वयन को प्रभावी बनाने के लिए इस बात की व्यवस्था करना आवश्यक है कि सभी कर्मचारियों को इस निधि का सदस्य बनने के बाद नियोजक और कर्मचारी द्वारा किए गए मासिक अंशदान के संबंध में पास बुकें जारी की जाएं। पास बुक में कर्मचारियों को (1) नामांकनों को वापस लेने या उनमें परिवर्तन करने की शक्ति, (2) ऋण लेने की शर्तें, (3) दावा करने के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले अपेक्षित ब्यौरों के संबंध में सूचना दी जानी चाहिए, ताकि आवेदनों में कोई त्रुटि न रहे। इससे नामांकन न होने या नामित व्यक्तियों के उपलब्ध न होने के कारण होने वाले विलंब को काफी हद तक घटाया या कम किया जा सकेगा।

4.1.2 **विधि द्वारा अनपेक्षित कारणों से और धारा 10 के उद्देश्यों का उल्लंघन करते हुए, भुगतानों को रोकना अपकारपूर्ण संशोधन करने की आवश्यकता.**—विधान-मंडल ने भविष्य निधि में संचित राशि को, किसी कर्मचारी द्वारा लिए गए किसी ऋण के संबंध में कुर्क किये जाने से बिना शर्त उन्मुक्त कर दिया है और यहां तक उपबंध किया है कि उक्त राशि को समनुदेशित अथवा प्रभारित नहीं किया जा सकेगा। विधान-मंडल ने यह उपबंध भी किया है कि कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर, यदि कोई नामित व्यक्ति हो तो यह राशि उस नामित व्यक्ति को दी जाएगी और कर्मचारी की मृत्यु से पहले के उसके किसी ऋण अथवा देयता से मुक्त होगी, किंतु संबंधित भविष्य निधि के नियमों या स्कीम द्वारा प्राधिकृत कटौतियाँ की जाएंगी। अधिनियम की धारा 10 में इस उन्मुक्ति के होते हुए भी, यह देखा गया है कि भविष्य निधि राशि नियोजक द्वारा, कर्मचारी को दिए गए आवास के खाली किए जाने तक, प्रायः रोक ली जाती है। ऐसा करना विधि द्वारा प्राधिकृत नहीं है और अधिनियम तथा उसके अधीन बनाई गई स्कीम के आशय के विरुद्ध है क्योंकि, इस आधार पर राशि का रोका जाना स्पष्टतः विवादास्पद राशि की कुर्की है या अवैध दबाव डालना है।

4.1.3 यद्यपि अधिनियम में या उसके अधीन बनाई गई स्कीम में, भविष्य निधि के दावों को इस आधार पर रोकने का कोई उपबंध नहीं है, तथापि बंबई उच्च न्यायालय ने कारपैरेम्बिल बनाम एअर इंडिया 4-क उन अर्जीदारों को अपनी रिट अधिकारिता में अनुतोष देने से इन्कार कर दिया, जिनकी भविष्य निधि की राशि नियोजक (एअर इंडिया कार्पोरेशन) द्वारा इस आधार पर रोक ली गई थी कि उन्होंने उन्हें दिए गए आवास को खाली नहीं किया था। उच्च न्यायालय ने यह निर्णय किया कि यदि न्यायालय इन कर्मचारियों को संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन अनुतोष देने की अनुमति देता है तो इससे केवल बेईमानी को बढ़ावा मिलेगा। कदाचित यह बात महसूस नहीं की जाती कि यह अक्सर बेईमानी का मामला नहीं होता बल्कि यह इस जमाने में आवास की भारी किल्लत और जायदाद की कीमतों तथा किरायों में बहुत अधिक वृद्धि के कारण आवास न प्राप्त कर पाने की मजबूरी का मामला है।

बंबई उच्च न्यायालय के निर्णय का सहारा लेकर, नियोजक कर्मचारियों द्वारा सरकारी आवास खाली किए जाने तक, भविष्य निधि राशि का भुगतान रोक लेते हैं। उदाहरणस्वरूप, महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम ने बंबई उच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर यह नीति निर्धारित की है कि कर्मचारियों द्वारा निगम से संबंधित सभी सम्पत्तियों को पूर्ण रूप से सौंपे जाने तक उन्हें सेवा-निवृत्ति पर देय राशियाँ नहीं दी जाएंगी। यद्यपि, कर्मचारियों से सरकारी आवास खाली करने या नियोजक से संबंधित अन्य सम्पत्तियों को छोड़ने के लिए कहे जाने पर उसके इन्कार करने या ऐसा न करने के इस व्यवहार का समर्थन नहीं किया जा सकता किन्तु इस भविष्य निधि राशि का भुगतान इस आधार पर रोकने का भी कोई औचित्य नहीं है। इस तथ्य के अलावा कि ऐसा करना निधि द्वारा प्राधिकृत नहीं है और ऐसा करना अधिनियम की

धारा 10 की भावना का अतिक्रमण है और विधायिका के उस उद्देश्य के विरुद्ध है जो उपबंध से प्रकट होता है। इसके अतिरिक्त एक अर्थ में यह हानिकर भी होगा क्योंकि उक्त साधनों की सहायता से वैकल्पिक आवास प्राप्त करने वाले कर्मचारी के रास्ते में यह एक रूकावट बन जाएगा। इसी प्रकार बेबाकी प्रमाण-पत्र पर भी जोर देने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि जब तक निधि की स्कीम और नियमों में उपबंध न किया गया हो तब तक भविष्य निधि में संचित राशि में से कोई भी कटौती नहीं की जा सकती। इसके अलावा, यह प्रमाण-पत्र देने के लिए प्राधिकृत अधिकारी पर इसे शीघ्र या उचित समय में जारी करने की कोई बाध्यता या अनिवार्यता नहीं है। अतः, आयोग **का यह विचार है कि धारा 10 के स्पष्टीकरण के रूप में यह उपबंध किया जाए कि "कर्मचारी द्वारा सरकारी आवास खाली किए जाने तक या "बेबाकी प्रमाण-पत्र" प्रस्तुत किए जाने तक नियोजक द्वारा भविष्य निधि की राशि का कोई भी भाग रोका नहीं जाएगा"।**

4.1.4 **कर्मचारी को सीधे आयुक्त से आवेदन करने में समर्थ बनाना और दावे आयुक्त को भिजवाने के लिए समय सीमा निर्धारित करना.**—अधिनियम और उसके अधीन बनाई गई स्कीम के अधीन, भविष्य निधि की राशि के अंतिम भुगतान के लिए, यथास्थिति कर्मचारी, उसके नामित व्यक्ति अथवा कानूनी उत्तराधिकारियों को अपना दावा नियोजक को प्रस्तुत करना होता है। जिसे उसका सत्यापन एवं साक्ष्यांकन करने के बाद उसे क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अथवा न्यास को अग्रेषित करना होता है। कुछ संगठनों के अभिलेखों के मौके पर अध्ययन करने के दौरान यह पता चला है कि कई मामलों में केवल नियोजकों की निष्क्रियता के कारण विलंब होता है। इस संबंध में, कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 के पैरा 72 के उप-पैरा (5) का उल्लेख किया जा सकता है। पैरा 72 के उप-पैरा (5) के खंड (क), (ग) और (घ) इस प्रकार से हैं :—

(क) "प्रत्येक नियोजकों से, उस समय जब निधि का कोई सदस्य सेवा छोड़ता है, यह अपेक्षा की जाएगी कि वह पैरा 69 के उप-पैरा (1) के खंड (क) से खंड (घघ) तक में विनिर्दिष्ट मामलों में, भविष्य निधि के संदाय के लिए, दावा आवेदन को सम्यक् रूप से और सत्यापित कराएगा, तथा उक्त आवेदन को आयुक्त या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को अग्रेषित करेगा।

(ख) * * * * * *

(ग) किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने पर, उसके खाते में जमा राशि को प्राप्त करने के लिए आवेदन प्राप्त होने पर प्रत्येक नियोजक उस आवेदन को तुरंत आयुक्त को अथवा इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को अग्रेषित करेगा।

(घ) यदि आवेदक, किसी भी कारणवश, दावे का आवेदन नियोजक के माध्यम से या उसके द्वारा सम्यक् रूप से सत्यापित कर भेजने में असमर्थ हो तो वह उसे आयुक्त को या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को अग्रेषित कर सकता है, और जहां आवश्यक हो वहां आयुक्त अथवा इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत अन्य अधिकारी उस आवेदन को नियोजक को अग्रेषित कर सकता है और नियोजक से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह उस आवेदन की प्राप्ति से पांच दिन के भीतर उसे वापस भेज दें"।

4.1.5 पैरा 72 के उपपैरा 5 के खंड (घ) के अधीन, दावेदार से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपना दावा नियोजक को प्रस्तुत करे और वह आयुक्त अथवा न्यास को तभी सीधा आवेदन कर सकता है, जब वह नियोजक को आवेदन प्रस्तुत करने में असमर्थ हो। यह पाया गया है कि जब सीधे आयुक्त को आवेदन भेजा जाता है तो आवेदन सदैव यह कहकर आवेदक को वापस कर दिया जाता है कि आवेदन नियोजक के माध्यम से प्रस्तुत किया जाए। इससे अनावश्यक और परिहार्य विलंब होता है। आयोग का विचार है कि पैरा 72 के उप-पैरा (5) के खंड (घ) में उल्लिखित उपबंधों में संशोधन किया जाए और उसमें यह उपबंध किया जाए कि आवेदक अपना आवेदन सीधे यथास्थिति, आयुक्त अथवा न्यास को भेज सकता है। संशोधित उपबंध निम्नलिखित प्रकार से हो सकता है :—

"आवेदक अपना आवेदन आयुक्त अथवा इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को भेज सकता है, और जहां भी आवश्यक हो, वहां, आयुक्त अथवा इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत अन्य अधिकारी ऐसे आवेदन को नियोजक को अग्रेषित कर सकता है और नियोजक से यह अपेक्षित होगा कि वह प्राप्त होने से पांच दिन के भीतर उसे वापस करे।"

4.1.6 उपर प्रस्तावित संशोधन लागू हो जाने से न केवल नियोजकों की ओर से लापरवाही के कारण मामलों को निपटाने में होने वाले विलंब को ही कम किया जा सकेगा, बल्कि इससे कर्मचारियों द्वारा आवास खाली न किए जाने

और "देनेकी प्रमाण-पत्र" प्रस्तुत न किये जाने के कारण दावों के भुगतान में रुकावटों को भी दूर किया जा सकेगा, क्योंकि कर्मचारियों को आयुक्त अथवा न्यास तक सीधे पहुंचने का अधिकार प्राप्त होगा ।

4.2 न्यायालय द्वारा प्रतिषिद्ध होने के सिवाय, भुगतान को किसी अन्य की आपत्ति के कारण नहीं रोका जाना चाहिए.—1952 की स्कीम के पैरा 69 में कर्मचारी को भविष्य निधि राशि का संवितरण करने का उपबंध है और पैरा 70 में, मृत कर्मचारी की दशा में, भविष्य निधि में संचित राशि का यथास्थिति, मृत कर्मचारी के नामित व्यक्ति या कानूनी हिताधिकारी को संवितरण करने का उपबंध है । नियोजक को पैरा 69 या पैरा 70 के अनुसार हर मामले में कार्रवाई करनी होती है, इसी प्रकार, न्यास अथवा क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को, दावे का निपटान अथवा राशि का भुगतान, यथा-स्थिति, पैरा 69 या पैरा 70 के उपबंधों के अनुसार करना होता है । इस स्कीम के अंतर्गत यह राशि प्राप्त करने के हकदार दावेदार के दावे के निपटारे अथवा भुगतान को, किसी तीसरे पक्षकार को आपत्ति पर, न तो नियोजक, न ही न्यास और न क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त रोक सकता है । जैसा कि पहले कहा गया है, केवल किसी तीसरे पक्षकार की आपत्ति पर दावों की मुल्तवी रखे जाने के उदाहरणों की कमी नहीं है । इस प्रकार की कार्रवाई करने का प्राधिकार न तो अधिनियम में और न ही उसके अधीन बनाई गई स्कीम में है । आयोग का विचार है कि यद्यपि ये उपबंध बिल्कुल स्पष्ट है तथापि पर्याप्त सावधानी के तौर पर पैरा 69 तथा 70 के नीचे इस आशय का एक स्पष्टीकरण शामिल करना आवश्यक है कि न्यायालय के आदेशों के सिवाए, भविष्य निधि की राशि का भुगतान किसी तीसरे पक्षकार द्वारा आपत्ति उठाए जाने पर नहीं रोका जाएगा और, यथास्थिति, पैरा 69 और पैरा 70 के अनुसार राशि का भुगतान दावेदार को किया जाएगा ।

4.3 अनुशासनिक कार्यवाहियां लंबित होने के आधार पर भुगतान नहीं रोका जाएगा.—भविष्य निधि दावों के निपटाने में विलंब का एक कारण अनुशासनिक कार्यवाहियों का लंबित रहना भी है । नियोजक, सामान्यतः, अनुशासनिक कार्यवाहियों के समाप्त होने तक दावों पर कार्रवाई करना रोक देते हैं । यह कार्रवाई अधिनियम और उसके अधीन बनाई गई स्कीम के अनुरूप नहीं है । जांच के परिणामस्वरूप यदि कोई कर्मचारी कदाचार के लिए दोषी भी पाया जाता है और उससे कोई राशि वसूल की जानी हो तो भी यह राशि अधिनियम की धारा 10 के उल्लिखित विशेष उपबंधों के कारण उसकी भविष्य निधि राशि से नहीं काटी जा सकती यद्यपि दावेदार द्वारा न्यास अथवा क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को सीधे आवेदन करने की व्यवस्था करने के लिए पैरा 72 के उपपैरा (5) के खंड (घ) में संशोधन करने के लिए उपयुक्त पैरा 4.1.5 में आयोग द्वारा की गई सिफारिश से इस कारण से होने वाला विलंब काफी हद तक कम हो सकता है फिर भी, आयोग का विचार है कि धारा 10 के नीचे एक स्पष्टीकरण के रूप में यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि भविष्य निधि की राशि अनुशासनिक कार्यवाही के लंबित होने के आधार पर नहीं रोकी जाएगी ।

4.4 नियोजक द्वारा अपने अथवा कर्मचारियों के वेतन में पहले से काटे गए हिस्से को जमा न करने के कारण भविष्य निधि की देय राशियों को रोकना.—नियोजक की गलती और विभाग की लापरवाही के लिए कर्मचारियों को दंड देना :—कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 का उद्देश्य कर्मचारी की सेवा-निवृत्ति के पश्चात् कर्मकार के भविष्य के लिए और उसकी सेवा-निवृत्ति से पहले तथा असामयिक मृत्यु हो जाने पर उसके आश्रितों के लिए कुछ व्यवस्था करना है । इस अधिनियम और इसके अधीन बनाई गई स्कीम द्वारा पर्याप्त उपबंध किए गए हैं और भविष्य निधि आयुक्तों को इस बात की जांच करने के लिए पर्याप्त शक्तियां प्रदान की गई हैं कि उनके उपबंधों का समुचित ढंग से अनुपालन किया जा रहा है और कर्मचारी के वेतन/मजदूरी में से काटा गया उसका हिस्सा तथा नियोजक द्वारा अंशदान के रूप में दिया गया हिस्सा निधि खाते में जमा किया जाता है ताकि कर्मचारी के सेवा-निवृत्त होने पर या सेवा काल में उसकी असामयिक मृत्यु हो जाने पर उसके आश्रितों को उसका शीघ्र लाभ पहुंचाया जा सके । यह देखा गया है कि अनेक मामलों में दावों के निपटारे में इस कारण से विलंब किया जाता है कि नियोजक ने अपने अंशदान अथवा कर्मचारी के हिस्से का अंशदान निधि खाते में जमा नहीं किया है । इस संबंध में, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त का कार्यालय स्वयं को निर्दोष नहीं ठहरा सकता । क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त का कार्यालय अपने कानूनी कर्तव्यों को पूरा करने में निष्क्रिय और असफल रहता है । जैसा कि पहले बताया जा चुका है, 1952 की स्कीम के पैरा 38(1) के अधीन, प्रत्येक नियोजक का यह कानूनी दायित्व है कि वह अपने अंशदान सहित कर्मचारियों के अंशदान की राशि अलग-अलग बैंक ड्राफ्टों अथवा चैकों द्वारा निधि में जमा करे । पैरा 38(1) में आगे यह उपबंधित है कि नियोजक महीना समाप्त होने के पच्चीस दिन के भीतर आयुक्त को उसके द्वारा यथानिर्दिष्ट प्ररूप में एक मासिक समेकित विवरण भेजे, जिसमें प्रत्येक कर्मचारी के वेतन से की गई वसूलियां और प्रत्येक कर्मचारी के लिए नियोजक द्वारा अंशदान के रूप में दी गई राशि दर्शायी जाएगी । इस प्रकार प्रस्तुत की गई विवरणी कभी-कभी अधूरी अथवा गलत होती है । क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त कार्यालय में समुचित ढंग से संवीक्षा न होने के कारण गलतियों अथवा लोप का पता नहीं चल पाता । इन लोपों आदि का पता तभी

चलता है, जब दावे पर कार्रवाई की जाती है । यदि नियोजकों द्वारा प्रस्तुत की गई विवरणी की समुचित और नियमित ढंग से संवीक्षा की जाए तो नियोजकों द्वारा अपने अंशदान के भाग को जमा न करने संबंधी मामलों के बारे में आसानी से पता लगाया जा सकता है और इस राशि को समय पर वसूल करने के लिए क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा कार्रवाई की जा सकती है ।

4.5.1 नियोजक द्वारा निधि में राशियां जमा न करने पर क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को 1988 के अधिनियम सं० 33 द्वारा यथासंशोधित 1952 के अधिनियम के अधीन निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त हैं :—

(1) धारा 8 के अधीन राशि वसूल करने की शक्ति,

(2) धारा 14-ख के अधीन नुकसानी वसूल करने की शक्ति, जिसकी राशि बकाया राशि से अधिक न हो,

(3) अधिनियम की धारा 14 क ग के साथ पठित धारा 14 के अधीन चूककर्ता नियोजक के अभियोजन के लिए आपराधिक कार्रवाई आरंभ करने की शक्ति,

(4) अधिनियम में हाल ही में जोड़ी गई धारा 8क तथा धारा 8छ के अधीन, अन्य बातों के साथ-साथ, नियोजक अथवा स्थापन की संपत्तियां जब्त करके और उसकी बिक्री करके वसूली करने की शक्ति । क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को प्रदान की गई इन शक्तियों के बावजूद भी, इनका प्रयोग तुरंत और समय पर कम ही किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप कर्मचारियों को, अपनी ओर से कोई गलती न होने पर भी, कष्ट उठाना पड़ता है । यह उल्लेखनीय है कि 1952 की स्कीम के अधीन फैक्टरी अथवा स्थापन के कार्य में या उसके संबंध में लगाए गए प्रत्येक कर्मचारी के लिए निधि का सदस्य बनना आवश्यक है । सदस्य बनने की अपेक्षा अनिवार्य है । निधि का सदस्य बनने से और निधि में अपने वेतन में से कम से कम 8.33 प्रतिशत का अंशदान करने से कोई भी कर्मचारी इन्कार नहीं कर सकता । अतः, यह और भी जरूरी हो जाता है कि उसके अधिकारों और हितों की रक्षा की जाए तथा दूसरों की गलतियों के लिए उसे परेशान न होना पड़े । केवल उन्हीं कारणों से मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने नाथू लाल के मामले में यह निर्णय दिया कि किसी कर्मचारी को उसकी भविष्य निधि की देय संपूर्ण राशि का भुगतान इस बात पर ध्यान दिए बिना भी किया जाना चाहिए कि नियोजक ने अपना हिस्सा जमा किया है या नहीं । तथापि, जैसा कि पहले बताया गया है, एक अपील में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय पर 3 जुलाई, 1984 को रोक लगा दी गई है । उच्च न्यायालय के निर्णय का उच्चतम न्यायालय द्वारा अंशतः समर्थन किया जाए या नहीं, किन्तु राशि जमा करने में नियोजकों की चूक और क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा चूककर्ताओं के विरुद्ध कानून के अनुसार शीघ्र एवं तत्काल कार्रवाई न करने के कारण निरीह और असहाय कर्मचारियों को परेशानी में डालना अन्यायपूर्ण और अनुचित है ।

4.5.2 आयोग की राय है कि इस आशय का एक उपबंध शामिल कर के अधिनियम और स्कीम को संशोधित करने की आवश्यकता है कि किसी कर्मचारी को उसकी सेवानिवृत्ति पर देय भविष्य निधि की राशि या राशि वसूल करने के लिए उसे अन्यथा पात्र हो जाने पर अथवा उसकी मृत्यु के बाद स्कीम के अंतर्गत उसके नामित व्यक्ति अथवा हिताधिकारियों को दी जाने वाली भविष्य निधि संबंधी देय राशि को उस आधार पर नहीं रोका जाएगा कि नियोजक ने अपना या कर्मचारी की मजदूरी से काटा गया अंश या दोनों, निधि में जमा नहीं किये हैं । ऐसा करने के लिए भरपूर औचित्य, अर्थात्—

(1) अधिनियम और स्कीम के अंतर्गत एक बाध्यता है और उसका अनुपालन सुनिश्चित करने और उसे लागू करने की शक्ति और कानूनी प्राधिकार पूरी तरह भविष्य निधि प्राधिकारियों को दिया गया है ।

(2) अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए कर्मचारियों को कोई शक्ति या प्राधिकार नहीं दिया गया है । कानून के अधीन ऐसा करने के लिए उनके पास कोई हथियार, मशीनरी या साधन नहीं है और वे पूरी तरह असहाय हैं; यहां तक कि जिन प्राधिकारियों को शक्ति प्रदान की गई है, चाहे वे जानबूझकर अपने कर्तव्य की उपेक्षा करें तथा कानून के अधीन शीघ्र और प्रभावी कदम न उठाने के लिए दोषी हों । इसलिए उन्हें, कष्ट पहुंचाने का कोई युक्तिसंगत या नैतिक औचित्य नहीं है ।

(3) यह अधिनियम और स्कीम सामाजिक सुरक्षा उपाय के रूप में कर्मकारों के कल्याण के लिए बनाई गई है और ये किसी को यह प्राधिकार नहीं देते कि कर्मकारों का कोई दोष न होने पर भी उन्हें इस लाभदायक कानून के फायदों से वंचित रखा जाए ।

(4) कानून कर्मचारियों की मजदूरी (जो खून-पसीने की कमाई होती है) में से कटौती करने का अधिकार अधिनियम और स्कीम में इस कथन और आश्वासन पर देता है कि उनके भविष्य का ध्यान रखा जाएगा। अधिक मजदूरी दिए जाने की बजाय, जिससे कर्मचारी अपनी बचत कर सकें, कानून उनकी मजदूरी में से कटौती किए जाने का अधिकार देता है और नियोजकों पर कानून के उपबंधों के अनुसार उनका अपना अंशदान करने की तदनुरूपी बाध्यता डालता है। और भविष्य निधि संगठन को संचालन एजेंसी के रूप में कानून के अभिप्राय और प्रयोजन को साकार करने का वैधानिक आदेश दिया गया है। इस एजेंसी के विफल होने पर कर्मचारियों को दंडित नहीं किया जा सकता।

एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू भी है जिस पर इस संदर्भ में बल दिए जाने की आवश्यकता है। यदि किसी छूट न प्राप्त प्रतिष्ठान के नियोजक ने निधि में देय पूरा भविष्य निधि अंशदान या उसका कुछ भाग जमा न किया हो तो पदमुक्त होने वाले सदस्यों या उनके नामित व्यक्तियों/उत्तराधिकारियों की सहायता के लिए निधि के आरक्षित और जब्ती खाते में से 15 सितंबर, 1960 को एक विशेष आरक्षित निधि स्थापित की गई थी। इस निधि से सहायता प्राप्त करने की शर्तें समय-समय पर बदलती रही हैं।

केन्द्रीय सरकार के 10 मार्च, 1965 के निर्णय के अनुसार, सहायता उस मात्रा तक उपलब्ध होगी जितनी कि नियोजक द्वारा कर्मचारियों की मजदूरी में से अंशदान के भाग के रूप में वसूल की गई हो परंतु जो निधि में जमा न की गई है और उस पर ब्याज के समतुल्य हो। नियोजक के अंशदान के किसी भी ऐसे भाग का भुगतान इस निधि से नहीं किया जाएगा, जो निधि में जमा न हुआ हो।

ऐसा प्रतीत होता है कि जब तक केन्द्र सरकार ने 10 मार्च, 1965 के आदेश जारी नहीं किए थे तब तक नियोजक के ऐसे हिस्से का भुगतान भी कर्मचारी की आरक्षित निधि से किया जा रहा था, जो भविष्य निधि खाते में जमा नहीं हुआ था। न जाने किन कारणों से नियोजक के ऐसे हिस्से को तारीख 10 मार्च, 1965 के आदेश के अनुसार आरक्षित निधि से दी जाने वाली सहायता में शामिल नहीं किया गया है। नाथू लाल के मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने विशेष रूप से यह निर्णय दिया है कि इस बात पर ध्यान किए बिना कि नियोजक ने अपना या कर्मचारियों का या दोनों के अंशदान का हिस्सा निधि में जमा कराया है या नहीं, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त कर्मचारियों को निधि की संपूर्ण राशि का भुगतान करने के लिए बाध्य है।

केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की 1988-89 (पृष्ठ 44-45 देखें) की 36वीं वार्षिक रिपोर्ट से स्पष्ट है कि जब्ती खाते में 159.02 करोड़ रुपए की बहुत बड़ी राशि जमा खाते में पड़ी थी जिसमें से केवल 2.50 करोड़ रुपए की राशि विशेष आरक्षित निधि में अंतरित की गई थी। इस खाते से कर्मचारियों को केवल 23.79 करोड़ से अधिक की राशि का उपयोग इस प्रयोजन के लिए किया जा सकता है। उपयुक्त 36वीं रिपोर्ट के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि तथा एफ०पी०एफ० स्कीम में 11.69 करोड़ रुपए और बीमा स्कीम के अंतर्गत 14.99 करोड़ रुपए प्रशासनिक प्रभारों, निरीक्षण प्रभारों तथा दांडिक प्रभारों के अधिशेष का उपयोग पिछले व्यतिक्रमों से उत्पन्न दावों का भुगतान करने के लिए किया जा सकता है। और भविष्य के व्यतिक्रमों के लिए कोई बहाना नहीं बनाया जा सकता क्योंकि अब, धारा 8ठ तक के नए उपबंधों का समावेश किए जाने के बाद, जिसमें संगठन के अधिकारियों को, अन्य बातों के साथ-साथ, यह अधिकार दिया गया है कि यदि बकाया राशि की वसूली न हुई हो तो वह स्वयं व्यतिक्रमी की संपत्ति की जब्ती और बिक्री द्वारा वसूली की जा सकती है, केवल विभाग ही जिम्मेदार होगा। **किसी भी कल्याणकारी राज्य के लिए यह अत्यंत अनुचित होगा कि भविष्य निधि संगठन के दोष या विफलता के लिए कर्मचारी कष्ट पाएं।** इसलिए, 1952 की स्कीम के पैरा 72 के उपपैरा (1) में इससे संबंधित विशेष उपबंध किए जाने की आवश्यकता है। इन शब्दों के पश्चात् कि "इस बात पर ध्यान दिए बिना कि नियोजक ने अपना या कर्मचारियों का या दोनों के अंशदान का हिस्सा निधि में जमा कराया है या नहीं" पैरा 72 के उपपैरा (1) में, "यह आयुक्त की जिम्मेदारी होगी कि वह इस योजना के प्रावधानों के अनुसार शीघ्र भुगतान करे" शब्दों के पूर्व "यदि कोई नामित व्यक्ति हो" चिह्न और शब्द जोड़ने की आवश्यकता है। यह उपबंध भूतलक्षी होना चाहिए।

यदि इससे संगठन पर वित्तीय भार बढ़ता हो तो इसे प्रशासनिक प्रभारों में, जो अभी क०भ०नि० स्कीम के अंतर्गत मजदूरी का 0.37% तथा बीमा स्कीम के अंतर्गत 0.01% है, थोड़ी वृद्धि करने अथवा अधिनियम में शामिल समस्त स्थापनों पर थोड़ा प्रभार लगाकर समाप्त किया जा सकता है। एक प्रकार का बीमा फूल बनाने के उद्देश्य से इसकी वसूली नियोजक के अंशदान की हर किस्त के साथ की जा सकती है ताकि इस बाध्यता को पूरा करने के लिए वित्तीय

संसाधन जुटाए जा सकें। नियोजकों से बकाया राशियों की वसूली के लिए अधिनियम और स्कीम के तहत आवश्यक कार्रवाई करने में लापरवाही करने वाले संबंधित अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त करने या हटाए जाने के संबंध में भी एक उपबंध शामिल किया जाए ताकि संबंधित अधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी और मेहनत से करें।

4.6.1 उत्तराधिकार प्रमाण पत्र पर अनावश्यक बल देने के कारण होने वाला विलम्ब—भविष्य निधि संबंधी दावे के निपटारे में विलंब का एक मुख्य और बार-बार आने वाला कारण उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की मांग करना है भले ही कानून के तहत इसे प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है (देखें पैरा 2.5.7)। जब कभी भी किसी कर्मचारी के कानूनी हिताधिकारी द्वारा दावा दाखिल किया जाता है तो नियोजक आम कार्रवाई के रूप में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहता है। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त या न्यास, किसी मृतक कर्मचारी के संबंध में 1952 की स्कीम के पैरा 70 के अनुसार वैध नामांकन होने पर नामित व्यक्ति को, अथवा वैध नामांकन न होने पर पैरा 70 के खंड (III) के साथ पठित पैरा 2 के खंड (छ) की परिभाषा के अनुसार मृतक कर्मचारी के परिवार के सदस्यों को बराबर-बराबर हिस्सों में भविष्य निधि की संचित राशि का भुगतान करने के लिए बाध्य है। यदि मृतक कर्मचारी का कोई वैध नामांकन न हो और उसके परिवार में कोई सदस्य न हो तो भविष्य निधि की राशि का भुगतान उस व्यक्ति को किया जाएगा, जो कानूनी तौर पर इसका हकदार हो। जैसा कि पहले कहा गया है (पैरा 2.5.7), केवल स्कीम के पैरा 70 के खंड (III) के अंतर्गत आने वाली वास्तविक कठिनाई के संबंध में ही उत्तराधिकार प्रमाणपत्र की मांग की जा सकती है। इसके अतिरिक्त केवल निर्णय करने वाला अधिकारी, अर्थात्, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त या न्यास ही, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है। नियोजक मामले पर कार्रवाई नहीं रोक सकता तथा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र को मांग नहीं कर सकता।

4.6.2 जहां तक न्यास अथवा क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र मांगे जाने का संबंध है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, लेखा कार्यविधि नियमावली (खंड I) के भाग II, अध्याय III के पैरा 115, 116 तथा 117 में विशेष अनुदेश होने के बावजूद इन अनुदेशों का कड़ाई से पालन नहीं किया जा रहा है और ऐसा लगता है कि 1952 की स्कीम के पैरा 72 के खंड (III) के अंतर्गत आने वाले मामलों में भी एक नयी प्रक्रिया के तौर पर उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की मांग की जा रही है। आयोग सिफारिश करता है कि लेखा कार्यविधि नियमावली खंड (I) के अध्याय III के पैरा 115, 116 तथा 117 के अनुदेशों को 1952 की स्कीम में सम्मिलित किया जाना चाहिए ताकि इसे वैधानिक स्वरूप दिया जा सके और विशेष रूप से यह उपबंध किया जाना चाहिए कि 1952 की स्कीम के पैरा 72 के खंड (III) के अंतर्गत आने वाले मामलों के सिवाय अन्य मामलों में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की मांग नहीं की जाएगी।

4.7 कर्मचारियों की कमी—एक क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, अर्थात् क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, कलकत्ता ने भविष्य निधि संबंधी दावों के निपटान में विलंब का एक कारण कर्मचारियों की संख्या का कम होना बताया है। इस संबंध में और कोई जानकारी नहीं दी गई कि उन्होंने केन्द्रीय कार्यालय से कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करने का अनुरोध किया था या नहीं और यदि अनुरोध किया था तो उसका परिणाम क्या निकला? क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्तों के समस्त कार्यालयों के लिए आवश्यक कर्मचारियों की संख्या की समीक्षा किए जाने तथा आवश्यक होने पर उसमें वृद्धि किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि इन कार्यालयों में कार्यभार लगातार बढ़ रहा है।

4.8 किसी संगठन के विभिन्न विभागों अथवा दो कार्यालयों में समन्वय के अभाव तथा शीघ्र कार्रवाई न किए जाने के फलस्वरूप भी भविष्य निधि संबंधी दावों के निपटारे में विलंब होता है। यह देखा गया है कि अतिरिक्त जानकारी के संबंध में एक कार्यालय द्वारा दूसरे कार्यालय के पत्रों पर तत्परता से कार्रवाई नहीं की जाती (पैरा 1.5 में उद्धृत पत्र देखें)। आयोग महसूस करता है कि लोकपाल संस्था की स्थापना के बाद, विभिन्न प्राधिकारियों में समन्वय न होने और उनके द्वारा शीघ्र कार्रवाई न किए जाने के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं को बहुत हद तक कम किया जा सकेगा।

4.9 वेतन निर्धारण का सत्यापन न होना—वेतन निर्धारण का सत्यापन न होने के कारण भी भविष्य निधि संबंधी दावों तथा सेवानिवृत्ति संबंधी अन्य देय राशियों के निपटान में विलंब होता है। श्री गोडबोले (पैरा 2.7.2) का मामला इस तरह के मामलों का एक अच्छा उदाहरण है। आयोग अनुभव करता है कि एक समय सीमा निर्धारित की जाए जिसके भीतर वेतनमानों में संशोधन होने के बाद वेतन निर्धारण या किसी अन्य घटना के कारण किया गया पुनः वेतन निर्धारण, जो लेखा परीक्षा या अन्य प्राधिकारियों द्वारा सत्यापित कराना आवश्यक हो, अवश्य सत्यापित हो जाना चाहिए।

संबंधित प्राधिकारी द्वारा आवश्यक सत्यापन पूरा न किए जाने के कारण किसी कर्मचारी को परेशान नहीं किया जा सकता । इस संबंध में यह समझा जाता है कि आवश्यक सत्यापन पूरा करने के लिए तीन महीने की समय-सीमा पर्याप्त होगी और यदि किसी कारणवश आवश्यक सत्यापन तीन महीने की नियत अवधि में पूरा न किया जा सकता हो तो तीन महीने की अवधि की समाप्ति के 15 दिनों के अंदर भविष्य निधि संबंधी अथवा सेवानिवृत्ति संबंधी अन्य देय राशियों के दावों का अंतरिम आधार पर निपटारा करके कर्मचारी को अंतरिम राहत अवश्य प्रदान की जाए ।

4.10 दावों के विवादाद भाग का भुगतान—1952 की स्कीम के पैरा 72 के उप पैरा (2) में यह विशेष उपबंध है कि यदि देय राशि का कोई भाग विवादास्पद या संदेहास्पद हो तो आयुक्त राशि के उस भाग का शीघ्र भुगतान करेगा जिसकी बाबत कोई विवाद अथवा संदेह न हो और शेष राशि को यथाशीघ्र समायोजित किया जाएगा । छूट प्राप्त संगठनों के मामलों में इसी तरह का कार्य न्यास को सौंपा गया है । इस संबंध में विशेष उपबंध होने के बावजूद ऐसे मामलों की कोई कमी नहीं है जिनमें देय राशि का भी भुगतान नहीं किया गया है या जिसके संबंध में कोई विवाद नहीं है । पैरा 72 के उप पैरा (2) का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए तथा ऐसा न होने पर इसे गंभीर कदाचार मानकर दंड दिया जाना चाहिए जिसमें सेवा से बर्खास्तगी या पदावनति भी शामिल है ।

4.11 हिताधिकारी की पहचान—एक अन्य सामान्य समस्या, जिसका दावेदारों को सामना करना पड़ता है और जिसके कारण भी भविष्य निधि संबंधी दावों के निपटारे में विलंब होता है, मृतक कर्मचारी के नामित व्यक्ति अथवा कानूनी हिताधिकारी की पहचान करने संबंधी कठिनाई है । कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की लेखा कार्यविधि नियम पुस्तक के भाग II, अध्याय III के पैरा 82 में उपबंध है कि दावा संबंधी आवेदन उस नियोजक द्वारा साक्ष्यांकित और अग्रेषित होना चाहिए जिसके अधीन सदस्य अंतिम बार नियुक्त था और यदि सदस्य किसी कारणवश नियोजक के जरिए अथवा उसके द्वारा विधिवत् साक्ष्यांकित आवेदन भेजने में असमर्थ हो तो वह दावे को उसमें उल्लिखित किसी राजपत्रित अधिकारी की उपस्थिति में विधिवत् हस्ताक्षर करके तथा उससे साक्ष्यांकित करा कर अग्रेषित कर सकता है । इस उपबंध से समस्या का समाधान नहीं होता क्योंकि आवेदन पत्र नियोजक द्वारा अग्रेषित और साक्ष्यांकित कराने होते हैं और वे दावेदार की विशिष्ट पहचान पर बल देते हैं । अतः स्कीम में ही यह उपबंध किया जाए कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की लेखा कार्यविधि नियम-पुस्तक के भाग II के पैरा 82 में विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति द्वारा साक्ष्यांकित दावेदार की फोटो हो काफी होगी । जहां तक कि कानूनी वारिस की पहचान का संबंध है, इसके लिए यह उपबंध करने की आवश्यकता है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की लेखा कार्यविधि नियम-पुस्तक के अध्याय III के पैरा 82 में उल्लिखित किसी व्यक्ति से कराई गई और दावे के आवेदन के साथ लगाई गई पहचान पर्याप्त होगी और दावेदार की कोई अन्य अथवा और पहचान आवश्यक नहीं होगी अथवा इस पर बल नहीं दिया जाएगा ।

4.12 दावेदार की सहायता करने की इच्छा के साथ सहानुभूतिपूर्ण रुख अपनाने की आवश्यकता—प्रायः दावेदारों द्वारा प्रस्तुत दावों को दुःखी दावेदारों के प्रति सहानुभूति और उनकी परेशानी के प्रति संवेदनशीलता न दिखाते हुए मनमाने ढंग से रद्द कर दिया जाता है । इमाम भाई बनाम क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के मामले में गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को ध्यान में रखते हुए ये टिप्पणियां बिल्कुल उचित हैं :—

> "3. वर्तमान याचिका में उद्धृत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के कार्यालय के कार्यचालन के बारे में कुछ टिप्पणियां करना आवश्यक है । क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने मामले की गहराई से परीक्षा किए बिना, किसी जांच के और विषय पर अपेक्षित गंभीरता से विचार किए बिना याचिकादाता के आवेदन को अस्वीकार करते हुए एक पंक्ति का आदेश पारित किया है । यह महसूस किया जाना चाहिए था कि दावा मृतक कर्मकार के नामित व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है और उससे यह अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए कि वह दावे की रकम प्राप्त करने के लिए कानूनी व्यय उठाए । ऐसे मामलों को सहानुभूतिपूर्वक तथा उचित ढंग से निपटाए जाने की आवश्यकता है, अर्थात्, उनमें सहायता करने की इच्छा जाहिर होनी चाहिए । छानबीन किए बिना दावा अस्वीकार करने की व्यग्रता नहीं होनी चाहिए और आवेदक को अदालत से न्याय मांगने पर बाध्य नहीं किया जाना चाहिए । यदि विभाग इसी ढंग से कार्य करता रहा तो लाभदायी कानून बनाने का समग्र लक्ष्य ही समाप्त हो जाएगा । आवेदन को अस्वीकार करना तो सब से बाद की बात है जिसे सक्षम प्राधिकारी को अंतिम अवस्था में ही करना चाहिए तथा मामूली से बहाने पर पहली बार में ही ऐसा नहीं किया जाना चाहिए । अस्वीकार करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी से अपेक्षा की जाएगी कि वे ऐसे किसी पहलू के संबंध में आवेदक को अवसर प्रदान करे जो सक्षम अधिकारी की राय में मृतक कर्मकार की बकाया राशि के हकदार व्यक्ति के रास्ते में रोड़े अटकाता हो । यदि आवश्यक हो तो सक्षम

> प्राधिकारी अपने को आश्वस्त करने के लिए कानूनी सलाह भी ले सकता है । परंतु उसे किसी भी स्थिति में आवेदन को रद्द करने की जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए जैसा कि वर्तमान मामले में बिना किसी जांच के और मामले को गहराई से तथा सावधानी पूर्वक जांच किए बिना किया गया है ।"

तदनुसार हम सुझाव देते हैं कि एक उपबंध किया जाए जिससे कि सक्षम प्राधिकारी,—

(1) यदि संभव हो तो, दावे को अस्वीकार करके उसे निपटाने की जल्दी दिखाने की बजाय दावेदार को राहत दिलाने की भावना से उसके दावे की सावधानीपूर्वक और सहानुभूतिपूर्वक पूरी तरह जांच करने के लिए बाध्य हो ।

तथा यह उपबंध भी किया जाए कि —

(2) दावेदार को सुने बिना तथा उपयुक्त आदेश पारित किए बिना, जिसकी एक प्रति दावेदार को मुफ्त दी जाएगी, किसी भी दावे को अस्वीकार नहीं किया जाएगा ।

(3) किसी अधिकारी की अत्यंत उपेक्षा अथवा निष्ठुर उदासीनता को, जिसके कारण दावे दार को भुगतान करने में अनुचित विलंब हुआ है, गंभीर कदाचार माना जाए जिसके परिणाम स्वरूप संबंधित अधिकारी को सेवा से बर्खास्त या निष्कासित किया जा सकेगा ।

4.13 छूट प्राप्त संगठन.—छूट प्राप्त संगठन दो प्रकार के हैं । छूट प्राप्त संगठनों का एक वर्ग ऐसे संगठनों का है जिन पर 1952 के अधिनियम के उपबंध तो लागू होते हैं परंतु उनके अंतर्गत बनी स्कीम लागू नहीं होती । ऐसे संगठनों को अपनी निजी स्कीमें बनाने की इजाजत है । इस प्रकार के संगठनों को 1952 के अधिनियम की धारा 17 के अधीन छूट प्राप्त है । यद्यपि ऐसे छूट प्राप्त संगठन अपनी निजी स्कीमें बनाने के लिए स्वतंत्र हैं और सामान्यतः ऐसी स्कीमें अधिनियम के अंतर्गत बनी 1952 की स्कीम के आधार पर बनाई जाती हैं तथापि अधिनियम में ऐसा कोई विशेष उपबंध नहीं है जिससे अधिनियम द्वारा प्रदत्त सुरक्षा तथा उसकी स्कीम को शामिल करने की दृष्टि से ऐसे छूट प्राप्त संगठनों द्वारा तैयार की गई तथा केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा अनुमोदित स्कीम को अपनाने के लिए कहा जा सके । 1952 के अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन केवल यह अपेक्षा की गई है कि छूट प्राप्त संगठनों के कर्मचारियों को दिए जाने वाले लाभ उन से कम नहीं होने चाहिए, जिस पर 1952 की स्कीम लागू होती है । निधि आयोग अनुभव करता है कि 1952 के अधिनियम में एक विशेष उपबंध शामिल किया जाना चाहिए जिससे अधिनियम की धारा 17 के अधीन 1952 की स्कीम से छूट प्राप्त संगठनों के लिए अपनी स्कीमों पर उपर्युक्त दृष्टि से संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त से विशेष अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक हो जाए ।

छूट प्राप्त संगठनों की दूसरी श्रेणी उन संगठनों की है जिन पर अधिनियम की धारा 1(3) या धारा 16 के कारण 1952 की स्कीम के उपबंध लागू नहीं होते । 1952 के अधिनियम के परिशिष्ट 1 की प्रविष्टि सं० 12 को उदाहरण के तौर पर उद्धृत करने से स्पष्ट होता है कि अधिनियम के उपबंध निर्यातकों, आयातकों, विज्ञापनदाताओं, कमीशन अभिकर्ताओं तथा दलालों के स्थापनों तथा वस्तु और स्टॉक एक्सचेंजों सहित किसी माल का क्रय, विक्रय अथवा भंडारण करने वाली सभी व्यापारिक और वाणिज्यिक स्थापनों पर लागू होते हैं परंतु ये किसी केन्द्रीय अथवा राज्य अधिनियम के अधीन स्थापित बैंक या माल गोदामों पर लागू नहीं होते । इनमें से एक संगठन केन्द्रीय भांडागार निगम (Central Warehousing Corporation) है । चूंकि यह निगम 1952 के अधिनियम और इसके अंतर्गत बनाई गई स्कीम के अंतर्गत नहीं आता इसलिए इसने "केन्द्रीय भांडागार निगम कर्मचारी भविष्य निधि विनियम, 1962" नामक अपने निजी विनियम बनाए हैं । यद्यपि इन विनियमों के उपबंध मुख्यतः 1952 की स्कीम के उपबंधों के समान ही हैं तथापि, जहां तक भविष्य निधि में संचित राशि पर ब्याज देने का प्रश्न है, इनमें बड़ा अंतर है । 1952 की स्कीम के पैरा 60 के अनुसार, संबंधित दावेदार से दावा प्राप्त होने की तारीख पर ध्यान दिए बिना, भविष्य निधि की संचित राशि पर ब्याज का भुगतान अंतिम भुगतान प्राधिकृत किए जाने की तारीख के पूर्ववर्ती मास की समाप्ति तक किया जाता है । दूसरे शब्दों में, भले ही दावे के निपटाने में दस वर्ष लगे हों, परन्तु दावेदार उस अवधि की ब्याज का हकदार है जिस अवधि में मामले का निपटारा न हुआ हो और उसका भुगतान किया भी जाता है । दूसरी ओर, केन्द्रीय भांडागार विनियम, 1962 के विनियम, 14 में यह उपबंध है कि निधि के खाते में अभिदाता की बकाया समस्त राशि पर ब्याज उस तारीख तक दिया जाएगा जिस तारीख को वह निगम की सेवा छोड़ देता है या जिस तारीख को उसकी मृत्यु हो जाती है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो । केन्द्रीय भांडागार निगम के कर्मचारियों पर लागू होने वाले विनियमों के अनुसार, यदि भविष्य निधि में संचित राशि दावे के अंतिम निपटारे तक असंदत्त रहती है तो नियोजक अथवा न्यास ब्याज का भुगतान करने के

लिए दायी नहीं होगा। अभिदाता की राशि पर नियोजक द्वारा अर्जित किया जाने वाला ब्याज नियोजक का होगा
जिससे नियोजक की अन्यायपूर्ण समृद्धि होगी। यदि इस उपबंध को रहने दिया जाता है तो नियोजक द्वारा दावेदार को भुगतान
करने में जानबूझ कर विलंब करने तथा उस धन पर ब्याज अर्जित करने की, जो कि उसका नहीं है, संभावना से इंकार नहीं
किया जा सकता। आयोग का यह दृढ़ मत है कि केन्द्रीय भांडागार निगम कर्मचारी भविष्य निधि विनियम, 1962 के
विनियम 14 के उपबंधों को तुरंत समाप्त किया जाना चाहिए, जिसमें वस्तुतः निगम की सेवा छोड़ने या मृत्यु हो जाने
की तारीख से, जो भी पूर्वतर हो, अंतिम भुगतान की तारीख से पूर्ववर्ती मास की समाप्ति तक ब्याज न देने का अधिकार
दिया गया है तथा इसके स्थान पर 1952 की स्कीम के पैरा 60(2) ख के समान एक उपबंध रखा जाना चाहिए।
इसके अतिरिक्त केन्द्रीय भांडागार निगम कर्मचारी भविष्य निधि विनियम, 1962 के विनियम 15(2) में उपबंध
है कि कार्यकारिणी समिति के निर्देशों के अधीन रहते हुए, नियोजक को संपूर्ण अंशदान अथवा उसका कोई भाग उस
पर जमा खाते किए गए ब्याज सहित, अभिदाता के खाते में जमा कुल राशि में से काटा जा सकता है। ऐसी कटौती उस
दशा में भी की जा सकती है जब कर्मचारी के विरुद्ध की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप उसे नौकरी से पदच्युत कर
दिया गया हो या हटा दिया गया हो या स्वास्थ्य ठीक न रहने या अपरिहार्य कारणों से भिन्न कारणों से उसने नौकरी में आने
के 5 वर्ष के अंदर ही स्वेच्छा से अपनी नौकरी छोड़ दी हो। अधिनियम और स्कीम में दिए गए तत्स्थानी उपबंधों को
हाल ही में पहले ही हटा दिया गया है। तदनुसार विनियम 15(2) को भी निरस्त कर दिया या हटा दिया जाना
चाहिए। विनियम 15(3) में यह भी उपबंध है कि नियोजक का अंश और उस पर ब्याज प्रबंध निदेशक के अनुमोदन से
ही देय होगा अन्यथा नहीं। इसके बावजूद ये दोनों उपबंध उस नीति का विरोध करते हैं जिसके अंतर्गत कर्मचारी भविष्य
निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 और इसके अंतर्गत बनाई गई स्कीम अधिनियमित हुई है। अधिनियम
की धारा 10 में यह स्पष्ट व्यवस्था है कि भविष्य निधि के संचयन से किसी प्रकार की कटौतियां नहीं की जाएंगी या
उसकी कुर्की नहीं की जाएगी। किन्तु कार्यकारी समिति ने नियोजक के अंश की कटौती के लिए न तो कोई दिशा निर्देश
निर्धारित किए हैं और न ही कोई सीमा। यह मामला पूर्णतः कार्यकारी समिति के विवेकाधिकार पर निर्भर करता है।
ऐसे असीमित और बिना दिशा निर्देश के विवेकाधिकार को उचित और कानूनी नहीं कहा जा सकता। केन्द्रीय भांडागार
निगम कर्मचारी निधि विनियम, 1962 के विनियम 15(2) और 15(3) में दिए गए उपबंधों और अन्य ऐसे
संगठनों से संबंधित विनियमों में दिए गए इसी प्रकार के उपबंधों का जिसमें अधिनियम, 1962 के उपबंध लागू नहीं होते
हैं, ऐसे संगठनों के कर्मचारियों को अन्य संगठनों के कर्मचारियों के समकक्ष लाने की दृष्टि से हटाया जाना आवश्यक है।

4.14 लोक अदालतों का आयोजन.—जब बहुत बड़ी संख्या में दावे बिना निपटाए रह गए हों, तो दावेदारों
की कठिनाई को कम करने की दृष्टि से स्थापन के स्थल पर ही दावों को निपटाने के लिए लोक अदालत का आयोजन
करना वांछनीय है। इस कार्यक्रम के प्रति दावेदारों को जागरूक करने के लिए ऐसी किसी लोक अदालत का उचित रूप
से प्रचार किया जाना चाहिए। नियोजक और या भविष्य निधि संगठन द्वारा दावेदारों के पास व्यक्तिगत नोटिस भी भेजे
जाएं। ऐसी अदालत से मामले कार्यालय प्रधान के सामने आ जाएंगे और सभी संबंधित प्राधिकारी समस्या को समझ लेंगे
और मामलों पर तत्काल ध्यान देंगे और इस प्रकार समस्या के समाधान पर ध्यान केन्द्रित होगा। जब ऐसी लोक अदा-
लतों का आयोजन करना आवश्यक, वांछनीय या व्यावहारिक समझा जाए, तो लोकपाल को ऐसी लोक अदालत आयो-
जित करने का निदेश देने की शक्ति होगी। उसके निदेशों का पालन न करने पर दंड का उपबंध होना चाहिए। यदि यह
पद्धति अपनाई जाए, तो समस्या का समाधान सरल हो जाएगा और पीड़ित दावेदारों की शिकायतों को शीघ्र कम करना
संभव हो जाएगा। कथित लोक अदालत की बैठक में लोकपाल या उप-लोकपाल को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना
चाहिए।

तदनुसार, हम इसकी सिफारिश करते हैं।

अध्याय V

कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत नामांकनों की विधिक विवक्षा संबंधी समस्या—सुझाया गया समाधान

5.1 जीवन बीमा पालिसियों के अंतर्गत किए गए नामांकनों के संबंध में विभिन्न न्यायालयों के बीच में मतभेद था कि क्या नामांकित व्यक्ति, मृतक बीमाकृत व्यक्ति के वारिसों को अपने अधिकार से विवर्जित करके, लाभ भोगी के रूप में पालिसी के अंतर्गत देय राशि का हकदार होता है या क्या नामांकित व्यक्ति मृतक बीमाकृत व्यक्ति के कानूनी वारिसों के संबंध में मात्र राशि वसूल करने के लिए ही प्राधिकृत होता है। सरबती देवी के मामले (ए आई आर 1984 एस सी 346) में उच्चतम न्यायालय के निर्णय द्वारा इस मामले का समाधान हो गया है जिसमें परवर्ती मत का समर्थन किया गया है कि नामांकित व्यक्ति को कानूनी वारिसों के लाभ के लिए राशि को वसूल करने का ही मात्र अधिकार दिया गया है। उच्चतम न्यायालय द्वारा अपना निर्णय दिए जाने और जीवन बीमा अधिनियम के संगत उपबंध के निर्वचन के संदर्भ में इसकी कानूनी स्थिति निर्धारित किए जाने से पहले, भारतीय विधि आयोग ने अपनी 82 वीं रिपोर्ट में यह सिफारिश की थी कि संशोधन करके कानून को स्पष्ट किया जाना चाहिए ताकि नामांकित व्यक्ति, अपने अधिकार से, लाभ भोगी के रूप में, बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु होने पर, जीवन बीमा पालिसी के अंतर्गत देय राशि का हकदार हो जाए। सरकार ने न तो इस सिफारिश को स्वीकार किया है और न ही अस्वीकार किया है। इस प्रकार, वर्तमान में कानून उच्चतम न्यायालय द्वारा सरबती देवी के मामले में की गई घोषणा के अनुसार है।

5.2 कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम (संक्षेप में अधिनियम) के संदर्भ में एक ऐसा ही प्रश्न और भी उत्पन्न हुआ है। कथित अधिनियम की योजना पूर्णतया भिन्न है। कथित योजना में एक निर्णायक उपबंध धारा 10(2) में दिया गया है। जिसमें यह व्यवस्था है कि अधिनियम और स्कीम के अंतर्गत देय राशि नामांकित व्यक्ति को दी जाएगी। जो प्रश्न उत्पन्न हुआ है, वह इस प्रकार है :—

जब किसी सदस्य द्वारा अपनी निधि में विद्यमान राशि के संबंध में कर्मचारी भविष्य निधि और स्कीम के अंतर्गत कोई नामांकन किया जाता है (जो नामांकन इस राशि को प्राप्त करने से पहले सदस्य की मृत्यु होने पर प्रभावी होता है) :—

(i) तो क्या नामांकन में नामांकित व्यक्ति को राशि प्राप्त करने का अधिकार मिलता है, या

(ii) क्या इसका प्रभाव इससे भी आगे जाता है, और क्या नामांकित व्यक्ति दावा कर सकता है कि उसके द्वारा प्राप्त की गई राशि का वह हितधारी स्वामी है। पहले मामले में, नामांकन का प्रभाव केवल कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकारियों इत्यादि को अदायगी करने का है परन्तु यह नामांकित व्यक्ति को कोई हितकारी हक प्रदान नहीं करता जिससे कि स्कीम में विनिर्दिष्ट लाभभोगियों को विवर्जित किया जा सके। परवर्ती मामले में, नामांकन का अधिक सार्थक प्रभाव है और नामांकन नामांकित व्यक्ति के अधिकार के अनुसार उसे अदा की गई राशि का पूर्ण स्वामी बनाता है।

5.3 उच्च न्यायालयों के परस्पर-विरोधी विचार.—कलकत्ता उच्च न्यायालय ने विचार प्रकट किया है कि राशि पर केवल नामांकित व्यक्ति का ही अधिकार होता है और कानूनी वारिसों का उस पर कोई अधिकार नहीं होता। बीमा अधिनियम की धारा 39 में दिए गए उपबंधों में प्रभेद करते हुए उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि :—

"13. . . . . .भविष्य निधि अधिनियम के अंतर्गत किसी नामांकित व्यक्ति की स्थिति बीमा अधिनियम के अंतर्गत वाले उसके प्रतिपक्ष से पूर्णतया भिन्न होती है। दोनों अधिनियमों के अंतर्गत नामांकित व्यक्ति की स्थिति के बारे में बहुत आश्चर्यजनक अन्तर पहले उद्धृत भविष्य निधि अधिनियम की धारा 10(2) में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है जो स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था करती है कि किसी सदस्य की मृत्यु के समय उसके खाते की राशि नामांकित व्यक्ति में निहित होगी और यह राशि सदस्य की मृत्यु से पहले मृतक या उसके नामांकित व्यक्ति की किसी ऋण राशि या देयता से मुक्त होगी। धारा 10(2) से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि सदस्य की मृत्यु के बाद भविष्य निधि की राशि तुरंत नामांकित व्यक्ति की सम्पत्ति का भाग हो जाती है जबकि बीमा अधिनियम के अंतर्गत बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु के बाद वह उसी की सम्पत्ति बनी रहती है, और वह राशि, जो कि सदस्य के खाते में शेष थी, सदस्य की मृत्यु से पहले नामांकित व्यक्ति की ऋण राशि या देयता से भी मुक्त हो जाती है। केवल राशि के उसमें निहित होने के कारण, और जो सदस्य की मृत्यु के बाद नामांकित व्यक्ति की सम्पत्ति हो गई है, नामित व्यक्ति की सम्पत्ति होने के कारण ऐसा अन्यथा उपबंध शामिल किया जाना आवश्यक था।

यह सदस्य की मृत्यु से पहले उसके ऋण की राशि या दायित्व के संबंध में कुर्क की जा सकती थी। पहले बतायी गयी स्कीम के पैरा 61 और 70 के उपबंधों द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया है कि भविष्य निधि अधिनियम के अंतर्गत नामांकित व्यक्ति, जिसकी स्थिति बीमा अधिनियम के अंतर्गत नामांकित व्यक्ति से भिन्न है, राशि पाने का अधिकारी है।"

5.4 दूसरी ओर आन्ध्र प्रदेश और दिल्ली उच्च न्यायालयों ने सरबती देवी के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित तर्क पर निर्भर रहते हुए विचार व्यक्त किया है कि किसी भविष्य निधि के नामांकित व्यक्ति का केवल राशि को प्राप्त करने का ही अधिकार होता है और इससे उसको यह पूर्ण अधिकार नहीं मिल जाता कि वह कानूनी वारिसों को विवर्जित करके उस राशि को प्राप्त कर ले।

5.5 आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने पूर्ण रूप से इस दृष्टिकोण को अपनाया है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत नामांकन की स्थिति ठीक ऐसी ही है जैसी कि बीमा अधिनियम की धारा 39 के अंतर्गत किसी नामांकन के संबंध में होती है। बीमा अधिनियम के प्रयोजन के लिए उच्चतम न्यायालय ने सरबती देवी बनाम उषा देवी के मामले में निर्णय दिया है कि नामांकित व्यक्ति लाभभोगी स्वामी नहीं होता। इस प्रकार (आन्ध्र प्रदेश न्यायालय के अनुसार) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अंतर्गत भी नामांकित व्यक्ति लाभभोगी स्वामी नहीं होता। इसके विपरीत कलकत्ता उच्च न्यायालय ने यह कहा है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के मामले में सांविधिक भाषा बीमा अधिनियम की धारा 39 में प्रयुक्त भाषा से भिन्न है। विशेष रूप से, 1982 के कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम की धारा 10(2) में प्रयुक्त "नामांकित व्यक्ति में निहित" शब्दों के कारण, यह बताया जाना चाहिए कि सदस्य की मृत्यु के तुरन्त बाद भविष्य निधि की राशि नामांकित व्यक्ति की सम्पत्ति बन जाती है जबकि बीमा अधिनियम के अंतर्गत बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी राशि उसी की सम्पत्ति बनी रहती है। इसे स्कीम के पैरा 61 और 70 के जरिए स्पष्ट भी कर दिया गया है (कलकत्ता उच्च न्यायालय के अनुसार)। यह उल्लेख किया जा सकता है कि आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने मुख्य अधिनियम की धारा-10(2) पर शायद ध्यान नहीं दिया है और स्कीम के पैरा 61 और 70 के संबंध में वह न्यायालय "प्राप्त करने का अधिकार (और) अदेय हो जाना" शब्दों (स्कीम में प्रयुक्त) का ऐसा अर्थ नहीं लगाता है जैसा लाभभोगी को स्वामित्व प्रदान करने के आशय से अर्थ लगाता है। दोनों निर्णयों में नए अधिनियम और स्कीम के कुछ अन्य उपबंधों की चर्चा की गई है किन्तु वर्तमान प्रयोजन के लिए उनकी विस्तार में चर्चा करना आवश्यक नहीं है।

5.6 अधिमान्य विचार.—इस प्रकार 1952 के अधिनियम और उसके अधीन बनाई गई स्कीम के अंतर्गत किसी नामांकित व्यक्ति के अधिकारों के संबंध में परस्पर विरोधी निर्णयों के कारण यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि दोनों विचारों में से किसे स्वीकार किया जाए। 1952 के अधिनियम की धारा 10(2) और निम्न कारणों के लिए बनाई गई स्कीम के पैरा 61 और 70 में दिए गए सुसंगत उपबंधों के समग्र निर्वचन पर कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त किया गया विचार सही प्रतीत होता है :—

(i) 1952 के अधिनियम की धारा 10(2) में विशेष रूप से यह व्यवस्था है कि किसी सदस्य या छूट प्राप्त किसी कर्मचारी को मृत्यु के समय उसकी निधि या भविष्य निधि खाते में जमा राशि स्कीम या भविष्य निधि खाते में जमा राशि स्कीम या भविष्य निधि नियमों के अंतर्गत उसके नामांकित व्यक्ति को देय राशि, कथित स्कीम या नियमों द्वारा प्राधिकृत किसी कटौती के अधीन रहते हुए, नामांकित व्यक्ति में निहित होगी। बीमा अधिनियम, 1938 में ऐसा या इसके समकक्ष कोई उपबंध नहीं है।

(ii) 1952 की स्कीम का पैरा 61(3) नामांकन करने के बारे में अभिदाता के अधिकार पर प्रतिबंध लगाता है। इसमें यह प्रावधान है कि यदि नामांकन करते समय किसी अभिदाता का परिवार हो, तो नामांकन उसके परिवार के एक या अधिक व्यक्तियों के पक्ष में किया जाएगा और किसी सदस्य द्वारा अपने परिवार से भिन्न व्यक्ति के पक्ष में किया गया नामांकन अवैध हो जाएगा। इसके अतिरिक्त, 1952 की स्कीम के पैरा 61(4) में यह भी व्यवस्था है कि यदि नामांकन करते समय अभिदाता का कोई परिवार न हो, तो नामांकन किसी भी व्यक्ति के पक्ष में किया जा सकता है परन्तु यह नामांकन उसका परिवार होने पर तुरंत अवैध हो जाएगा। बीमा अधिनियम, 1938 में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। कथित अधिनियम के अंतर्गत, नामांकन किसी भी व्यक्ति के पक्ष में किया जा सकता है, अर्थात्, बीमा अधिनियम के अंतर्गत, बीमाकृत व्यक्ति नामांकन करते समय, चाहे उसका परिवार हो या न हो, बीमा पालिसी की राशि प्राप्त करने के लिए किसी भी व्यक्ति को नामांकित कर सकता है और ऐसा नामांकन तब तक वैध रहेगा जब तक इसे बीमाकृत

व्यक्ति द्वारा विशेष रूप से निरस्त या बीमाकृत के नामित व्यक्ति की मृत्यु के पहले बीमाकृत व्यक्ति द्वारा विशेष रूप से प्रतिसंहृत न कर दिया जाए। दोनों प्रावधानों के बीच अन्तर अनभिप्रेत नहीं है। विधान मंडल ने दोनों उपबंध विनिर्दिष्ट उद्देश्य से ही अलग-अलग से अधिनियमित किए हैं। उद्देश्य यह है कि 1952 के अधिनियम के अंतर्गत चूंकि नामांकन परिवार सदस्य तक सीमित होता है, इसलिए ऐसा नामांकित व्यक्ति निधि की राशि का पूर्णतः हकदार चाहिए और इसमें अन्य व्यक्ति विवर्जित होते हैं, जबकि बीमा अधिनियम के अंतर्गत नामांकन किसी भी व्यक्ति के पक्ष में किया जा सकता है। अतः ऐसे नामांकित व्यक्ति द्वारा सभी कानूनी वारिसों के लाभ के लिए राशि प्राप्त करनी चाहिए।

(iii) इस प्रस्ताव को कि 1952 के अधिनियम और इसके अधीन बनाई गई स्कीम के अंतर्गत नामांकित व्यक्ति, अन्य व्यक्तियों को छोड़कर, निधि की राशि में पूर्ण हित रखता है, स्कीम के पैरा 61(2) के उपबंधों से भी समर्थन प्राप्त है जिसमें यह कहा गया है कि अभिदाता अपनी निधि की राशि को अपने विवेकानुसार अपने नामित व्यक्तियों में वितरित कर सकता है। इस उपबंध द्वारा सुविचारित अवधारणा निःसंदेह स्थापित हो जाती है कि नामांकित व्यक्ति पूर्ण रूप से इस राशि को प्राप्त करेंगे। इस प्रावधान की व्याख्या इस अर्थ में नहीं की जा सकती कि अभिदाता द्वारा नामांकित व्यक्तियों में राशि का वितरण कानूनी वारिसों में और वितरण के लिए किया जाता है। मान लीजिए कि, एक उदाहरण के रूप में, कोई अभिदाता अपने दो पुत्रों को नामित करता है और यह भी व्यवस्था करता है कि ऐसे दोनों नामांकित व्यक्ति निधि की राशि में आधा भाग प्राप्त करेंगे। इनमें से एक नामांकित व्यक्ति की मृत्यु अभिदाता से पहले हो जाती है। अब प्रश्न यह पैदा होगा कि नामांकित व्यक्ति की मृत्यु अभिदाता से पहले होने का क्या प्रभाव पड़ेगा; क्या उत्तरजीवी नामांकित व्यक्ति सम्पूर्ण राशि प्राप्त करेगा या पूरा नामांकन निरस्त हो जाएगा? इस स्थिति का उत्तर स्कीम के पैरा 61(5) में मिलता है, जिसमें यह व्यवस्था है कि यदि नामांकित व्यक्ति की मृत्यु अभिदाता से पहले ही हो जाती है तो नामांकित व्यक्ति का हित अभिदाता को प्रत्यावर्तित हो जाएगा और वह ऐसे हित के संबंध में नया नामांकन करेगा। इसलिए, उदाहरण के रूप में लिए गए मामले में, अभिदाता से पहले किसी नामांकित व्यक्ति की मृत्यु हो जाने की स्थिति में, मृत नामांकित व्यक्ति का केवल आधा भाग ही अभिदाता को प्रत्यावर्तित होगा। निःसंदेह कोई अभिदाता किसी नामांकन को निरस्त या प्रतिसंहृत करने के लिए स्वतंत्र होता है, परन्तु नामांकित व्यक्ति को, अन्त में, निधि की राशि प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त हो जाता है।

(iv) इस प्रस्ताव को भी कि कोई नामांकित व्यक्ति अन्य वारिसों को पूर्णतया अपवर्जित करते हुए निधि की राशि को प्राप्त करेगा, स्कीम के पैरा 70(1) के उपबंधों का समर्थन प्राप्त है जो कि निधि की राशि के भाग के संबंध में नामांकन की अनुमति प्रदान करता है। यदि कोई नामांकित व्यक्ति पूर्ण लाभकारी हित प्राप्त करने के लिए नहीं होता तो विधान मंडल राशि के किसी भाग के संबंध में किसी नामांकन की व्यवस्था न करता। बीमा अधिनियम, 1938 में ऐसा कोई तत्स्थानी उपबंध नहीं है।

(v) 1952 के अधिनियम की धारा 10 (2) के साथ पठित स्कीम के पैरा 61 और 70 में उल्लिखित उपबंधों को अभिदाता पर लागू होने वाले उत्तराधिकार के संबंध में स्वीय विधि के एक अपवाद के रूप में पढ़ा जाता है। इन उपबंधों के अंतर्गत, राशि की अदायगी नामांकित व्यक्ति/व्यक्तियों को की जानी आवश्यक है, यदि कोई नामांकन किया गया हो। उन मामलों में, जहां कोई नामांकन न किया गया हो, राशि की अदायगी अभिदाता के परिवार के सदस्यों को बराबर भागों में की जाएगी। यद्यपि बालकों—पुत्रों या पुत्रियों—वयस्क या अवयस्क—विवाहित या अविवाहित—को स्कीम के पैरा 2 के खंड (छ) में "परिवार" शब्द की परिभाषा के अंतर्गत शामिल किया जाता है, तथापि स्कीम के पैरा 70(11) के परन्तुक के अन्तर्गत, वयस्क पुत्रों, किसी मृत पुत्र के वयस्क पुत्रों, विवाहित पुत्रियों, जिनके पति जीवित हैं, और किसी मृतक की विवाहित पुत्रियों, जिनके पति जीवित हैं, और किसी मृतक की विवाहित पुत्रियों, जिनके पति जीवित हैं, को विशेष रूप से "परिवार" से अलग कर दिया गया है और इस तथ्य के बावजूद कि वे अभिदाता के परिवार के सदस्य और उत्तराधिकार की स्वीय विधि के अंतर्गत कानूनी वारिस हैं, वे भविष्य निधि की राशि में किसी भाग के हकदार नहीं होते। इसके अतिरिक्त, स्कीम के पैरा 70 के खंड (III) में यह उपबंध भी है कि यदि खंड (I) या खंड (II) के अंतर्गत इस राशि को प्राप्त करने के लिए कोई व्यक्ति हकदार नहीं है, तो यह राशि कानूनी रूप से हकदार व्यक्तियों को, अर्थात्, उत्तराधिकार की स्वीय विधि के अनुसार कानूनी वारिसों को अदा की जाएगी। खंड (III) का उपबंध भी इसका समर्थन करता है कि स्कीम के पैरा 70 को उत्तराधिकार के संबंध में स्वीय विधि के उपबंधों के अपवाद के रूप में पढ़ा जाता है। दूसरे

शब्दों में, अधिनियम की धारा 10(2) के साथ पठित स्कीम के पैरा 61 और 70 में विहित उपबंध अभिदाता पर लागू होने वाले उत्तराधिकार को स्वीय विधि के अंतर्गत पूर्णतया भिन्न उत्तराधिकार की विधि निर्धारित करते हैं।

5.7 धारा 10(2) की भाषा, विषय-वस्तु और मत की दृष्टि से कलकत्ता उच्च न्यायालय के विचार सही प्रतीत होंगे और 1952 की स्कीम का पैरा 61(3) यह व्यवस्था करते हुए एक सूत्र प्रस्तुत करता है कि यदि सदस्य का परिवार है तो नामांकन उसके परिवार से संबंधित किसी व्यक्ति के पक्ष में होना चाहिए जैसा कि स्कीम के पैरा 2(छ) में परिभाषित किया गया है। इसके अतिरिक्त, सामान्य पुरुष या महिला शायद न्यायसंगत रूप से यह मान लेगा कि नामांकित व्यक्ति को कथित राशि का फायदाप्रद रूप से हकदार होना चाहिए। इसलिए, स्वाभाविक रूप से, अधिनियम के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति की नामांकन करने में यह इच्छा होती है कि उस व्यक्ति को रक्षात्मक आश्रय उपलब्ध होना चाहिए जिसके कल्याण में वह अपनी अकाल मृत्यु होने की स्थिति में सर्वाधिक संबंधित है और जो व्यक्ति कर्मचारी पर अधिनियम के अंतर्गत अनन्य रूप से आश्रित है और जो उसकी मृत्यु होने से निस्सहाय हो जाएगा। इसलिए सभी दृष्टिकोणों से, कलकत्ता उच्च न्यायालय का विचार अधिक विश्वासोत्पादक प्रतीत होगा।

5.8 अनिश्चितता को समाप्त करने और शीघ्रता से विधि निर्धारित करने की आवश्यकता—परिणामस्वरूप जो स्थिति है वह यह है कि एक उच्च न्यायालय यह उद्घोषित करता है कि भविष्य निधि की राशि पूर्ण रूप से, नामांकित व्यक्ति में, लाभभोगी के रूप में, उसके अपने निजी अधिकार से, निहित होती है जबकि दूसरा उच्च न्यायालय इस आशय के प्रतिकूल प्रभाव वाला यह निर्णय देता है कि नामांकित व्यक्ति, विधि के अंतर्गत, अंतिम लाभ भोगियों की ओर से केवल संग्रह करने वाला अभिकर्ता होता है। यदि किसी प्रकार की अपील की जाए तो जब तक उच्चतम न्यायालय विवाद का समाधान न कर दे और यदि मामले को सुनिश्चित रूप से निर्णीत मामले के रूप में वापस नहीं लिया जाता, तब तक अनिश्चय की स्थिति लगातार बनी रहेगी। जैसी कि स्थिति आज है, यदि कोई अपील उच्चतम न्यायालय तक चली जाए और गुण-दोष के आधार पर उसका निपटारा हो तो इसमें एक दशक से भी अधिक समय लगेगा। इसका परिणाम यह होगा :—

(1) कुछ राज्यों में, नामांकित व्यक्ति भविष्य निधि की राशि पूर्ण लाभभोगी के रूप में प्राप्त करेगा। अन्य राज्यों में, नामांकित व्यक्ति केवल वसूली अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए बाध्य होगा। इस प्रकार से एक ही विधि भारत के विभिन्न भागों में भिन्न प्रकार से कार्य करेगी और इससे व्यक्तियों को भिन्न प्रकार से लाभ होगा।

(2) नामांकन करने वाले व्यक्ति को स्वयं यह भी मालूम नहीं होगा कि वह क्या कर रहा है और यह नामांकन करने से किसे लाभ मिलेगा और नामांकन करने का उसका प्रयोजन अनिश्चितता के आधार पर निरस्त होने की संभावना रहती है क्योंकि न मालूम न्यायालय नामांकन का किस प्रकार से परिणाम निकाले।

(3) न तो नामांकित व्यक्ति को और न ही उसके परिवार के अन्य सदस्यों को इस बात का पता चलेगा कि आने वाले वर्षों में कौन सही दावेदार होगा और वे विधि को काम में लाने या प्रयोग में लाने में असमर्थ रहेंगे।

(4) नामांकित व्यक्ति और मृतक के परिवार के अन्य सदस्यों को एक दशक की मुकदमेबाजी में उलझे रहने की संभावना है।

(5) परिवार को निधि से सहायता उपलब्ध कराने के स्थान पर उसका मुकदमेबाजी में काफी खर्चा हो जाएगा।

5.9 इसका विपरीत प्रभाव होगा और ऐसी स्थिति का समर्थन करने के लिए परोपकारी विधि निर्माण का हितकर लक्ष्य ही विफल हो जाएगा। ऐसी स्थिति को कैसे सहन किया जा सकता है जहां पर यह अनिश्चित हो कि नामांकन करने वाले की ओर से कौन लाभान्वित होगा, परिवार के सदस्य, व्याख्याता और विधि प्रशासक कठिनाई का सामना करेंगे। इसलिए अत्यावश्यकता की दृष्टि से एक संतोषजनक हल ढूंढना आवश्यक है।

5.10 सुझाया गया समाधान—चिन्ताजनक मसले पर विचार करने पर यह प्रतीत होता है कि इसके तीन विकल्प हैं :—

I

पहले विकल्प के रूप में अधिनियम और स्कीम में इस आशय का सांविधिक उपबंध किया जाए कि नामांकित व्यक्ति, अपने अधिकार के आधार पर, पूर्ण लाभभोगी बन जाएगा।

II

दूसरा विकल्प, जो कि स्वयं यह सुझाव देता है यह है कि इस आशय का सांविधिक उपबंध किया जाए कि नामांकित व्यक्ति परिवार के स्कीम के पैरा 2(छ) में यथापरिभाषित सदस्यों की ओर से और उनके लिए, स्कीम के पैरा 70(ii) में विनिर्दिष्ट या चर्चित परिवार के सदस्यों के बीच विभाजित करने के प्रयोजन के लिए राशि प्राप्त करने का हकदार होगा।

दूसरे शब्दों में, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के लाभ के लिए, जो अन्यथा, कथित स्कीम के उपबंधों के अंतर्गत, राशि का भुगतान लेने का हकदार हो, नामित व्यक्ति को अदायगी की जाएगी, परन्तु यह तब जब कोई नामांकन न किया गया हो। यह अदायगी बिना उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए होगी।

III

तीसरा विकल्प जो स्वयं आदेश करता है, यह है कि ऐसा उपबंध किया जाए जो कर्मचारी को अपने प्रत्येक नामांकन आवेदन पत्र में लिखित रूप से यह बताने में समर्थ बनाए कि वह यह चाहता है कि "नामांकित व्यक्ति, अपने निजी अधिकार से, राशि को पूर्णतः प्राप्त करेगा" अथवा यह कि "नामांकित व्यक्ति इस राशि को वसूल करेगा और वह इसे मेरे परिवार के हकदार सदस्यों को स्कीम के पैरा 2(छ) के साथ पठित पैरा 70(ii) के अंतर्गत अदा करेगा"।

आयोग की यह राय है कि तीसरा विकल्प न्यायसंगत और उचित प्रतीत होगा और अधिमान्य होगा और कर्मचारी पूर्णतया जागरूक होगा कि वह नामांकन करते हुए क्या कर रहा है और इसका परिणाम क्या होगा।

5.11 सभी सम्बन्धित पहलुओं पर ध्यान से विचार करने के बाद एक ऐसा सूत्र तैयार करना संभव प्रतीत होता है जो संबंधित कर्मचारी की इच्छा के महत्व के अलावा सामाजिक न्याय और औचित्य की मांग को पूरा करे। यह हल ऐसा प्रतीत होता है जैसे यह उत्कृष्ट रूप से संतोषजनक हो। इस आशय का एक सांविधिक उपबंध किया जाए कि अधिनियम और स्कीम के अंतर्गत संदेय राशि उस नामांकित व्यक्ति में निहित होगी जिसे "लाभभोगी नामनिर्देशिती" कहा जाएगा सिवाय तब जब संबंधित व्यक्ति ने स्कीम के पैरा 70(ii) के अनुसार संवितरण के लिए पैरा 2(छ) में यथा परिभाषित परिवार के सदस्यों की ओर से राशि प्राप्त करने के विशिष्ट प्रयोजन के लिए एक "संग्रहकर्ता-नामनिर्देशिती" के रूप में किसी व्यक्ति का नाम न धर दिया हो। दूसरे शब्दों में, यह उस संबंधित कर्मकार को विकल्प देने के बराबर होगा जो उसे स्पष्ट किए जा रहे ऐसे नामांकन के महत्व पर किसी लाभभोगी या किसी संग्रहकर्ता-नामनिर्देशिती नामित व्यक्ति का नाम धर सकता है। उसे स्पष्ट रूप से अपना यह विकल्प भी बताना आवश्यक होगा कि नामांकित व्यक्ति संग्रहकर्ता-नामनिर्देशिती न होकर लाभभोगी-नामनिर्देशिती होगा या इसके विपरीत। यह विधि जीवन बीमा पॉलिसियों के संबंध में भी अपनायी जा सकती है और विधि आयोग 82वीं रिपोर्ट में की गई सिफारिश की इस संशोधन के साथ पुनरावृत्ति करता है।

5.12 जीवन बीमा पॉलिसियों के अंतर्गत नामांकन—यद्यपि यह मामला इस रिपोर्ट से बाहर का है तथापि यह सुझाव देना अनुचित नहीं होगा कि 2 फरवरी, 1960 को एक दशक से भी अधिक पहले प्रस्तुत की गई विधि आयोग द्वारा अपनी 82वीं रिपोर्ट में की गई सिफारिश के संदर्भ में जीवन बीमा पॉलिसियों के अंतर्गत किए जाने वाले नामांकनों के संबंध में भी यही विधि अपनायी जा सकती है।

5.13 जीवन बीमा पॉलिसियों के संबंध में भी जनता को बड़े पैमाने पर सही कानूनी स्थिति का पता नहीं है। जीवन बीमा पॉलिसियों के अंतर्गत सुरक्षा का सहारा लेने वाले बहुत से व्यक्ति इस प्रकार की गलत अवधारणा से प्रभावित हो सकते हैं कि नामांकित व्यक्ति अपने अधिकार से पूर्ण लाभभोगी हो जाएगा। यही स्थिति उनकी भी है जो अधिनियम और स्कीम के अंतर्गत आते हैं। इसलिए सभी संबंधित व्यक्तियों के हित में यह आवश्यक है कि कानूनी स्थिति सुनिश्चित की जाए। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, विधि आयोग ने, अन्य बारिसों को विवर्जित करके, किसी ऐसे व्यक्ति को नामित व्यक्ति बनाने की दृष्टि से, जिसमें फायदाप्रद लाभ निहित होगा, जीवन बीमा अधिनियम में पहले से ही संशोधन की सिफारिश कर दी है। लेकिन चूंकि अभी तक विधि आयोग की सिफारिश पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है, इसलिए मामला इस अर्थ में अब भी अनिश्चितता से मुक्त नहीं है कि जनसाधारण नामांकनों की विवक्षाओं और सरलता देवी के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आशय के प्रति पूर्णतया सचेत नहीं हैं। यही कारण है कि उपर्युक्त पैरा 3.11 के साथ पठित पैरा 5.12 में सुझायी गई विधि अपनाई जानी उचित है।

तदनुसार, हम इसकी सिफारिश करते हैं।

अध्याय VI

सिफारिशों के निष्कर्ष और सारांश

6.1 निष्कर्ष

I

भविष्य निधि अधिनियम और स्कीम से मिलने वाले इसी प्रकार के लाभों और छूट प्राप्त स्थापनों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा निर्मित स्कीमों को संबंधित कर्मचारियों के लिए रक्षात्मक उपाय के लिए तैयार किया गया है ताकि सेवानिवृत्ति पर व स्वयं या सेवा के दौरान उनकी मृत्यु होने पर उनके आश्रित किसी ऐसी असहाय स्थिति में न पड़ जाएं जैसे कि किसी तूफानी समुद्र में उतारी गई नाव के यात्री बिना जीवन नैया के तूफान का सामना करते हैं। इन उपबंधों का उचित जीवन-प्रयोजन व्यावहारिक रूप से समाप्त हो जाएगा यदि संबंधित व्यक्ति की सेवानिवृत्ति या मृत्यु होने पर इनके संवितरण में व्यर्थ का विलम्ब हो जाता है। इस परिप्रेक्ष्य में आयोग ने इन लाभों के संवितरणों में विलम्ब का सर्वेक्षण किया और इस सर्वेक्षण के दौरान बहुत से विलम्ब के मामलों का पता लगाया गया।

उन सेवानिवृत्ति कर्मचारियों की दुर्दशा, जिनका सेवानिवृत्ति होने पर आय का स्रोत पूर्ण रूप से सूख गया हो और उन मृत कर्मचारियों के (जो परिवार की रोटी चलाते थे) आश्रितों की कठिनाई, जिन्हें अकस्मात भूख का सामना करना पड़े, विशेष रूप से तब जब उन्हें भविष्य निधि के रक्षात्मक आश्रय से और अन्य लाभों से एक लम्बे समय तक (कभी-कभी दशकों तक) वंचित रखा गया हो, इतनी व्यापक है कि उनके लिए तुरंत उपचारी कार्रवाई आवश्यक है।

II

इस समस्या को देखते हुए ऐसे सर्वेक्षण की आवश्यकता पड़ी और आयोग ने सरकारी क्षेत्र के 62 उपक्रमों का सीमित सर्वेक्षण किया जिससे पता चला है कि अकेले इस क्षेत्र में हुए विलंब के कारण 8707 परिवार कठिनाई का सामना कर रहे हैं (पैरा 2.2 और छ I और छ II देखें) और अन्य हजारों परिवार इसी प्रकार की कठिनाई का सामना कर रहे हैं। सर्वेक्षण के दौरान आयोग को 481 शिकायतें प्राप्त हुईं और 21 वर्ष तक के अनुचित विलंब के मामले सामने आए जिनमें से आयोग ने 139 मामलों को संबंधित प्राधिकारियों के साथ उठाकर लगभग 3 माह के अंदर ही ठीक करा दिया है। आयोग का पूर्ण विश्वास है कि बिना कोई समय खोए उपचारी कार्रवाई करना अत्यावश्यक है।

6.2 आयोग निम्नलिखित सिफारिशें करता है :—

I

अध्याय III में उल्लिखित रूप में लोकपाल के पद का सृजन—कानून बनाकर भविष्य निधि लोकपाल का एक शक्तिशाली पद सृजित किया जाए जिसे निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त हों :—

(क) अन्य बातों के साथ-साथ, उन सभी नियोजकों, प्रतिष्ठानों से, जिनके पास भविष्य निधि संचयन इत्यादि की अदायगी के दावों के संबंध में भविष्य निधि संबंधी स्कीमें हैं, जानकारी प्राप्त करना और लंबित दावों के निपटारे के लिए के लिए उचित निर्देश देना और उनका अनुपालन सुनिश्चित करना।

(ख) ऐसे नियोजकों/स्थापनों पर निर्धारित अवधि के अन्दर लंबित दावों के संबंध में विवरणियां प्रस्तुत करने का कानूनी कर्तव्य होगा।

(ग) अधिनियम और स्कीमों के अंतर्गत आने वाले छूट प्राप्त एवं गैर-छूट प्राप्त स्थापनों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों एवं अन्य स्थापनों में, जहां पर भविष्य निधि संबंधी स्कीमें हैं, और जो अधिनियम के अंतर्गत नहीं आते हैं, भविष्य निधि की देय राशियों के संवितरणों में होने वाले विलंबों पर नियंत्रण रखने की अधिकारिता होनी चाहिए।

(घ) विवरणियों की संवीक्षा और अन्य आधार पर सभी कथित क्षेत्रों में विलम्ब के मामलों का पता लगाने और शीघ्र उचित निर्देश जारी करके शीघ्र संवितरण सुनिश्चित करने और निर्देशों के अनुपालन से शीघ्र कार्रवाई कराने की लोकपाल पर अनिवार्य बाध्यता होगी।

इसके साथ-साथ

लोकपाल का यह दायित्व भी होगा कि वह उचित दावेदारों को संवितरणों में विलम्ब के संबंध में लोक माध्यम से शिकायतें आमंत्रित करे और उचित निर्देश जारी करके उनकी शिकायतें दूर करे और दिए गए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अनुवर्ती कार्रवाई करे।

इसके अतिरिक्त

उसका यह दायित्व भी होगा कि वह अन्य सभी सामान्य मामलों के संबंध में विलंब को दूर करने के लिए ऐसे उचित निर्देश जारी करे जो उसके अपने अनुभव पर आधारित हों या जो वह उचित समझें।

II

लोकपाल से अपने कार्य की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अपेक्षा होगी जिसमें यह उल्लेख होगा कि उसे किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और ऐसी सिफारिशें होंगी जो प्रशासन को सरलता और सुगमतापूर्वक चलाने के लिए वह आवश्यक समझे। उसकी रिपोर्ट संसद् के समक्ष छह माह के अन्दर रखी जाएगी।

III

लोकपाल, लंबित मामलों को समय-समय पर निपटाने के लिए, या जब भी वह किसी प्रतिष्ठान विशेष या प्रतिष्ठानों के संबंध में उचित, आवश्यक या समीचीन समझे, भविष्य निधि संबंधी लोक अदालत का आयोजन करने के लिए निदेश दे सकता है और संबंधित अधिकारियों को, दंड-परिणामों के खतरे का ध्यान रखकर, उसके निर्देशों का अनुपालन करना होगा। ऐसी लोक अदालत के पर्यवेक्षण के प्रयोजनों के लिए लोकपाल या उसके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकेंगे। (अध्याय–I में की गई विस्तृत सिफारिशों को देखें)

अधिनियम और कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम के संगत उपबंधों में अध्याय-I में दिए गए अनुसार, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित आशय के तात्त्विक संशोधन किए जाने चाहिएं :—

(1) भविष्य निधि और ऐसे ही लाभों के संवितरण को निम्नलिखित कारणों से रोका नहीं जाना चाहिए :—

(क) संबंधित कर्मचारी ने उसे आवंटित किया गया आवास खाली नहीं किया है (4.1.3 देखें);

(ख) संबंधित कर्मचारी ने बेबाकी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है। (2.5.8 और 4.1.3 देखें);

(ग) संबंधित कर्मचारी ने उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया है। सिवाय उन मामलों के जो पैरा 70 (iii) के अंतर्गत आते हैं (4.6.2 देखें);

(घ) किसी ने नामित व्यक्ति या स्कीमों में यथापरिभाषित लाभभोगियों को अदायगी पर आपत्ति की है जिनको अदायगी करने के लिए प्राधिकारी तब तक आबद्ध है जब तक कि किसी न्यायालय द्वारा ऐसा करने से उसे रोक न दिया जाए। (4.2 देखें);

(ङ) कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लम्बित है (4.3 देखें);

(च) नियोजक कर्मचारी के वेतन से की गई कटौतियां और या अपना अंशदान जमा करने में असफल रहा है। (1.5.2 देखें);

(2) विभाग पूर्ण संवीक्षा के बिना और दावेदार की सुनवाई किए बिना और कारणयुक्त आदेश पारित किए बिना किसी दावे को अस्वीकार नहीं करेगा और सहानुभूतिपूर्वक कार्य करेगा।

(3) किसी अधिकारी द्वारा किसी दावेदार को अदायगी किए जाने में अनुचित विलंब करने की भारी लापरवाही या दर्शायी गई कठोर उदासीनता को भारी कदाचार माना जाना चाहिए जिसके कारण संबंधित अधिकारी को पदच्युत किया जा सकता है या सेवा से हटाया जा सकता है।

(4) नियोजक द्वारा अपने और कर्मचारी के अंशदान की राशि को जमा करने में चूक किए जाने के कारण रोके रखी गई सभी पिछली बकाया राशि को विभाग अपनी विशेष आरक्षित निधि से अदा करेगा जैसा कि अध्याय–IV के पैरा 4.5.2 में उल्लेख किया गया है और विभाग अध्याय VI में दिए गए अन्य उपाय भी करेगा।

V

सांविधिक उपबंध करना कि या तो वह यह चाहता है कि "नामनिर्देशिती अपने अधिकार से उसकी संपूर्ण राशि प्राप्त करेगा"
नामांकन करने के आवेदन पत्र में ही कर्मचारी को स्पष्ट रूप से लिखित में यह बताने के लिए समर्थ बनाने के लिए
या "नामनिर्देशिती इस राशि को वसूल करके कर्मचारी भविष्य निधि योजना के पैरा 2(छ) के साथ पठित पैरा 70(ii)
के अंतर्गत हकदार मेरे परिवार के सदस्यों को इसकी अदायगी करेगा" और पैरा 5.11 में दिए गए सुझाव के अनुसार
सुसंगत उपबंधों में संशोधन करना ताकि नामनिर्देशिती को नामांकनकर्ता की इच्छानुसार पूर्ण स्वामी या संग्रह अभिकर्ता
बनाया जा सके।

VI

नियत तारीख से वास्तविक अदायगी की तारीख तक ब्याज की इंकारी के संबंध में केन्द्रीय भांडागार निगम कर्मचारी
भविष्य निधि विनियम, 1942 के विनियम 14 को समाप्त किया जाना चाहिए और उस तारीख के, जिसको अन्तिम
अदायगी प्राधिकृत की जाए, पूर्ववर्ती मास तक ब्याज की अदायगी संबंधी उपबंध को अंतःस्थापित किया जाना चाहिए।
इसी प्रकार, "समपहरण" संबंधी विनियम 15(2) और (3) को भी समाप्त कर देना चाहिए और ऐसी सभी स्कीमों
को इसी प्रकार संशोधित किया जाना चाहिए जो सांविधिक नियमों और अन्य छूट प्राप्त या असंबद्ध प्रतिष्ठानों में विद्य-
मान हैं। (4.13 देखें) तदनुसार, आयोग सिफारिश करता है।

पश्च-लेख

यद्यपि इस रिपोर्ट को अन्तिम रूप दिया जा रहा है तथापि आयोग को एक विस्मयकारी तथ्य के विषय में अवगत
कराया गया है कि पश्चिम बंगाल के लगभग 400 कर्मचारी क्षेत्रीय भविष्य निधिआयुक्त के कार्यालय की कठोर उदासीनता
के कारण स्पष्ट रूप से अनुचित विलंब के शिकार हो रहे हैं। यह बात लगभग 4 वर्ष तक हुए विलंब की शिकायत के संदर्भ
में ध्यान में आयी है जिससे नेशनल आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लि० के एक सेवा-निवृत्त कर्मचारी परशुराम सिंह को बहुत
विपत्ति और तीव्र व्यथा का सामना करना पड़ा। वह बिना किसी औचित्य के लगभग चार वर्ष तक कठिनाई का सामना
करता रहा। जब उसकी शिकायत के संबंध में कम्पनी से सूचना मांगी गई तो आयोग को यह जानकारी दी गई कि ऐसे
लगभग 500 कर्मचारी हैं जो कि क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त की उदासीनता के कारण इसी प्रकार से पीड़ित हैं और
कम्पनी ने, अन्य बातों के साथ-साथ, तारीख 18 जनवरी, 1989 को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को अपनी ओर से
एक पत्र लिखा था कि वे कर्मचारी कठिनाई का सामना कर रहे हैं और इनमें से कुछ की तो मृत्यु भी हो चुकी है।
सुसंगत अंश इस प्रकार से हैं :—

(i) भविष्य निधि के लगभग 500 अन्तिम दावे आपके हावड़ा के लेखा ग्रुप में काफी लम्बे समय से लंबित
हैं;

(ii) यह सूचना मिली है कि संबंधित सदस्य भयंकर वित्तीय कठिनाई में हैं और प्रायः हमारे सामने अपने मामले
उठा रहे हैं;

(iii) उनमें से कुछ की तो बिना किसी इलाज और उचित खुराक के पहले ही मृत्यु हो चुकी है;

(iv) भविष्य निधि लाभभोगियों के क्रोध से ऐसा प्रतीत होता है कि निवृत्त सदस्य/उनके नामनिर्देशिती किसी भी
समय वातावरण की शान्ति भंग कर सकते हैं;

(v) आवश्यक निपटारे के लिए हमने पहले ही आपके कार्यालय में उनके भविष्य निधि की देय राशियां विनि-
र्दिष्ट रूप से जमा कर दी हैं;

(vi) मैं अनुभव करता हूँ और अनुरोध करता हूँ कि कर्मचारियों की असीम कठिनाई को कम करने के लिए
कथित दावों के शीघ्र निपटारे के मामले पर विचार करने और हमारे संगठन में आने और आई०आर० समस्या
को दूर करने के लिए आप कृपया ध्यान दें। फिर भी, ऐसा प्रतीत होता है कि क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त
ने लगभग 1½ वर्ष से अब तक कुछ भी कार्रवाई नहीं की है। जब आयोग ने 21-12-89 को क्षेत्रीय
भविष्य निधि आयुक्त को लिखा था तो तारीख 1-1-90 के एक चैक के जरिए परशुराम सिंह को देय
37,500 रु० की राशि की अदायगी की गई। यह अदायगी आयोग के पत्र के 11 दिन के अन्दर की गई
किन्तु इसमें लगभग 4 वर्ष का विलंब हुआ। जब आयोग ने यह मामला क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को
बताया तो उसने यह स्वीकार किया कि ऐसे लगभग 400 मामले लंबित हैं और उन पर कार्यवाही की जा

रही है। कम्पनी द्वारा क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त का ध्यान असहाय कर्मचारियों की स्थिति की ओर आकर्षित किए जाने के बावजूद क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने लगभग 1½ वर्ष तक कर्मचारियों की निधियों के संबंध में कठोर रूख अपनाया है और मामले पर अब भी मात्र कार्यवाही चल रही है। इस अक्षम्य निर्दयता के लिए केवल क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त का कार्यालय ही उत्तरदायी है। [इस रिपोर्ट के साथ संपूर्ण पत्राचार को संलग्न किया जा रहा है और परिशिष्ट क (I) से क (VI) तक परिशिष्टों को चिह्नित किया गया है]। यह मामलों की करुणाजनक स्थिति है जो अब लोकपाल के सांविधिक पद का सृजन करने की सिफारिशों को लागू करने की तत्काल आवश्यकता पर बल देती है।

हम अपनी अनुभूति के आधार पर उठी जागरूकता के संदर्भ में उत्पन्न तीव्र व्यथा पर एक टिप्पणी देकर इस रिपोर्ट को बंद करते हैं कि इसी प्रकार की परिस्थिति वाले हजारों निस्सहाय कर्मचारी या आश्रित काफी वर्षों से चुपचाप विपत्ति का सामना करते चले आ रहे हैं। परिहार्य विलंब वाले सभी मामलों में हमारा सख्त आदेश है कि किसी मामले पर आगे कोई विलंब न हो।

ह०/—
(एम० पी० ठक्कर)
अध्यक्ष

ह०/—
(वाई० बी० अब्जययुल)
सदस्य

ह०/—
(पी० एम० बक्शी)
सदस्य

ह०/—
(जी० वी० जी० कृष्णामूर्ति)
सदस्य-सचिव

नई दिल्ली, तारीख 20 सितम्बर, 1990

टिप्पणी और संदर्भ

1. श्रीमती पी० के० मरतियानी बनाम क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, अहमदाबाद एवं ए० एन० आर, 1983(2) जी० एल० आर०, 927.
2. इमाम भाई बनाम क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, 1982 (1) जी० एल० आर०, 581.
3. ओर्गेनो केमिकल इन्डस्ट्रीज बनाम भारत सरकार, ए० आई० आर०, 1979, उच्चतम न्यायालय, 1803.
4. नाथू लाल बनाम क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, इन्दौर, 1984 लेब, आई० सी०, 1438.
4.क कारपेरेम्बिल थियान लक्ष्मणन बनाम एयर इंडिया, 1986 (1) जी० एल० आर०, 138.
5. इमाम भाई गुलाम हुसैन शेख बनाम क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, 1982(1) जी० एल० आर०, 581, पृष्ठ 583-584, पैरा 3.
6. श्रीमती उषा मजुमदार बनाम श्रीमती स्मृति बसु, ए० आई० आर०, 1988, कलकत्ता.
7. शेख दाऊद बनाम महमूदा बेगम, ए० आई० आर०, 1985, ए० पी० 321.
8. श्रीमती ओमवती बनाम दिल्ली परिवहन निगम नई दिल्ली, 1988 एल० आइ० सी० 500 (दिल्ली).
9. श्रीमती सरबती देवी बनाम श्रीमती उषा देवी ए० आई० आर०, 1984, उच्चतम न्यायालय 346.
10. शेख दाऊद बनाम महमूदा बेगम, ए० आई० आर०, 1988, कलकत्ता 115.
11. कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952.
12. कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम का पैरा 70(ii) और 2(छ).

परिशिष्ट—क

सं० 6(3)/88-एन०सी० (एल०एस०)

भारत सरकार

विधि एवं न्याय मंत्रालय

विधि कार्य विभाग

विधि आयोग

शास्त्री भवन, 7वीं मंजिल,
नई दिल्ली-110 001
तारीख, 24 अक्तूबर, 1988

सेवा में,

सभी सरकारी क्षेत्र के उपक्रम और उनकी यूनियनें

विषय : न्यायिक सुधार

महोदय,

प्रणाली को सरल और कारगार बनाने और विलंब को समाप्त करने की दृष्टि से देश में न्यायिक प्रशासन की प्रणाली में संशोधन करने का कार्य भारतीय विधि आयोग को सौंपा गया है । इसी संदर्भ में यह पत्र भेजा जा रहा है ।

इसलिए विधि आयोग एक प्रभावी, उत्पादक और तीव्र प्रणाली विकसित करने की दृष्टि से ऐसे भविष्य निधि और सेवानिवृत्ति की देय राशियों के मामलों का विस्तृत अध्ययन करना चाहता है जो सेवानिवृत्ति या मृत्यु के बाद 6 माह से अधिक समय तक अन्तिम रूप देने के लिए लंबित पड़े हुए हैं और भविष्य निधि के ऐसे मामले जिन्हें अन्तिम रूप दे दिया गया है और जिनकी अदायगी संबंधित व्यक्ति को गत 2 वर्ष के दौरान 6 माह के बाद की गई है । अतः विधि आयोग को संगत सामग्री उपलब्ध कराने की दृष्टि से निम्नलिखित बातों पर विस्तृत सूचना प्राप्त करना आयोग के लिए आवश्यक है । मांगी गई जानकारी ऐसी मूल प्रकृति की है जो आप दे सकते हैं और जो आपके रिकार्डों में उपलब्ध है ।

विधि आयोग के पास समयबद्ध कार्यक्रम है । अतः आपसे अनुरोध है कि आप इस पत्र को प्राथमिकता दें और इस पत्र की प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर निम्नलिखित मुद्दों पर ठोस और सही जानकारी भेजें :—

(क) किसी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति या मृत्यु के बाद 6 माह से अधिक समय तक लंबित पड़े हुए भविष्य निधि और सेवानिवृत्ति की देय राशियों के मामलों की संख्या ।

(ख) यदि संभव हो तो कृपया भविष्य निधि और सेवानिवृत्ति की देय राशियों के ऐसे मामलों की संख्या के विषय में सूचना दें जिन्हें अंतिम रूप दे दिया गया है और गत 2½ वर्षों के दौरान संबंधित व्यक्ति या उसके उत्तराधिकारी को कर्मचारी की, यथास्थिति, सेवानिवृत्ति या मृत्यु के 6 माह बाद भुगतान किया गया हो ।

(ग) किसी कर्मचारी की भविष्य निधि और सेवानिवृत्ति की देय राशियों को अंतिम रूप देने और उसकी अदायगी करने में लिया गया औसत समय ।

आपके सहयोग और शीघ्र उत्तर के लिए हम अत्यन्त आभारी होंगे ।

भवदीय,
आर० एल० खुराना,
संयुक्त सचिव एवं विधि अधिकारी

परिशिष्ट–घ

सं०6(3)/88-एल०सी० (एल०एस०) पार्ट III
भारत सरकार
विधि एवं न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
विधि आयोग

शास्त्री भवन, नई दिल्ली
तारीख 28 नवम्बर, 1988

सेवा में,

सभी ट्रेड यूनियनें

विषय : न्यायिक सुधार

महोदय,

प्रणाली को सरल और कारगर बनाने और विलंब को समाप्त करने की दृष्टि से देश में न्यायिक प्रशासन की प्रणाली में संशोधन करने का कार्य भारतीय विधि आयोग को सौंपा गया है । इसी संदर्भ में यह पत्र आपको भेजा जा रहा है ।

2. इसलिए विधि आयोग प्रभावोत्पादक और तीव्र प्रणाली विकसित करने की दृष्टि से भविष्य निधि और सेवानिवृत्ति की देय राशियों के ऐसे मामलों का विस्तृत अध्ययन करना चाहता है जो सेवानिवृत्ति या मृत्यु के बाद 6 माह से अधिक समय से अन्तिम रूप देने के लिए लंबित पड़े हुए हैं और ऐसे मामले में गत दो वर्षों में अत्यधिक विलंब हुआ है । आयोग आपका अत्यन्त आभारी रहेगा, यदि आप आवश्यक और उचित जानकारी देकर आयोग को सहयोग दें ताकि आयोग सौंपे गए कार्य को कर सके । तदनुसार आयोग का आपसे अनुरोध है कि आप संगत सामग्री आयोग को उपलब्ध कराने की दृष्टि से निम्नलिखित मुद्दों पर विस्तृत जानकारी प्रदान करें ।

3. विधि आयोग के पास समयबद्ध कार्यक्रम है । अतः आपसे अनुरोध है कि आप कृपया इस पत्र को प्राथमिकता दें और इस पत्र की प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर निम्नलिखित मुद्दों पर पूर्ण और सही जानकारी भेजें :—

(क) किसी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति या मृत्यु के बाद 6 माह से अधिक समय से लंबित पड़े भविष्य निधि और सेवानिवृत्ति की देय राशियों के मामलों की संख्या ।

(ख) यदि संभव हो तो भविष्य निधि और सेवानिवृत्ति की देय राशियों के ऐसे मामलों की संख्या की सूचना दें जिनमें असाधारण विलम्ब हो जिनका पता गत दो वर्ष के दौरान चला हो ।

(ग) किसी कर्मचारी की भविष्य निधि और सेवानिवृत्ति की देय राशियों को अन्तिम रूप देने और उसकी अदायगी करने में लिया गया औसत समय ।

भवदीय,
आर० एल० खुराना,
संयुक्त सचिव एवं विधि अधिकारी

परिशिष्ट–ग

सं०6(3)/88-एल०सी० (एल० एस०) पार्ट III
भारत सरकार
विधि एवं न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
विधि आयोग

शास्त्री भवन, नई दिल्ली
तारीख 28 नवम्बर, 1988

सेवा में,

सभी भविष्य निधि आयुक्त ।

विषय : न्यायिक सुधार ।

महोदय,

प्रणाली को सरल और कारगर बनाने और विलंब को समाप्त करने की दृष्टि से देश में न्यायिक प्रशासन की प्रणाली में संशोधन करने का कार्य भारतीय विधि आयोग को सौंपा गया है । इसी संदर्भ में यह पत्र आपको भेजा जा रहा है ।

2. इसलिए विधि आयोग प्रभावोत्पादक और तीव्र प्रणाली विकसित करने की दृष्टि से भविष्य निधि के ऐसे मामलों का विस्तृत अध्ययन करना चाहता है जो सेवानिवृत्ति या मृत्यु के बाद 6 माह से अधिक समय तक अन्तिम रूप देने के लिए लंबित पड़े हुए हैं और भविष्य निधि के ऐसे मामले जिन्हें अन्तिम रूप दे दिया गया है और संबंधित व्यक्ति को जिनकी अदायगी गत 2 वर्षों के दौरान 6 माह बाद की गई है । आयोग आपका अत्यन्त आभारी रहेगा यदि आप आवश्यक और उचित जानकारी देकर आयोग को सहयोग दें ताकि आयोग सौंपे गए कार्य को कर सके । तदनुसार आयोग आपसे अनुरोध करता है कि आप संगत सामग्री आयोग को उपलब्ध कराने की दृष्टि से निम्नलिखित मुद्दों पर विस्तृत जानकारी प्रदान करें ।

3. विधि आयोग के पास समयबद्ध कार्यक्रम है । अतः आपसे अनुरोध है कि आप कृपया इस पत्र को प्राथमिकता दें और इस पत्र की प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर निम्नलिखित मुद्दों पर पूर्ण और सही जानकारी भेजें :—

(क) किसी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति या मृत्यु के बाद 6 माह से अधिक समय तक लंबित पड़े हुए भविष्य निधि और सेवानिवृत्ति की देय राशियों के मामलों की संख्या ।

(ख) यदि संभव हो, तो कृपया ऐसे भविष्य निधि के मामलों के संबंध में जानकारी दें जिन्हें अन्तिम रूप दे दिया गया है और जिनकी अदायगी संबंधित कर्मचारी या उसके उत्तराधिकारी को, उसको, यथास्थिति, सेवानिवृत्ति या मृत्यु के बाद गत दो वर्षों के दौरान 6 माह के बाद की गई हो ।

(ग) किसी कर्मचारी की भविष्य निधि की देय राशियों को अन्तिम रूप देने और उसकी अदायगी करने में लिया गया औसत समय ।

भवदीय,
आर० एल० खुराना
संयुक्त सचिव एवं विधि अधिकारी

6—92 M. of L. & J. C. A./N.D./93.

परिशिष्ट–घ I

तारीख 24-10-1988 के अनुरोध के उत्तर में भविष्य निधि/सेवानिवृत्ति की देय राशियों के लंबित मामलों के संबंध में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा दी गई सूचना

क्र० सं०	फाइल क्र० सं०	संगठन का नाम	100 और इससे अधिक भविष्य निधि/सेवानिवृत्ति के लंबित मामलों की संख्या
1	2	3	4
1.	56	स्टील ऑथोरिटी ऑफ इंडिया लि०, नई दिल्ली	3689
2.	75	भारत कुकिंग कोल लि०, धनबाद	3144
3.	50	नेशनल टेक्सटाईल कार्पोरेशन (गुजरात) लि०, अहमदाबाद	497
4.	13	हैवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, रांची	269
5.	44 बी	हुगली डॉक एण्ड पोर्ट इंजीनियर्स लि०, कलकत्ता	130
6.	78	इंडियन ऑयल कार्पोरेशन, नई दिल्ली	104
7.	72	बर्न स्टैन्डर्ड कंम्पनी लि०, 10 सी हिन्दू फोर्ड स्ट्रीट, कलकत्ता	99
8.	54	ऑयल एण्ड नैचुरल गैस कमीशन, सी आई एफ सैक्शन ,देहरादून	96
9.	63	हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लि०, न्यूजप्रिंग नगर, डाकघर कोट्टायम, जिला-केरल	79
10.	9	केन्द्रीय भांडागार निगम, नई दिल्ली	58
11.	64	नेशनल जूट मैन्युफैक्चरर्स कार्पोरेशन लि०, 4 नेताजी सुभाष मार्ग, कलकत्ता	47
12.	69	नेवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन लिमिटेड, डाकघर नवेली-607 801, साउथ आरकोट जिला, तमिलनाडु	44
13.	70	त्रिवेनी स्ट्रक्चरल्स लि०, नैनी, इलाहाबाद	41
14.	48	इंडियन ड्रग्स एंड फार्मेस्यूटिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली	39
15.	28	जेसप एंड कम्पनी लि०, कलकत्ता	30
16.	62	मिनरल एक्सप्लोरेशन कार्पोरेशन लिमिटेड, नागौर	27
17.	14	पाइराइटस, फास्फोट्स एंड केमिकल्स लि०	25
18.	73	दि फर्टीलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली	24
19.	36	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टीलाइजर्स लि०, बम्बई	21
20.	19	अंडमान निकोबार द्वीपसमूह, फोरेस्ट एंड प्लांटेशन डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, पोर्ट ब्लेयर	20
21.	29	टायर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली	15
22.	30	प्रोजेक्ट एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली	15
23.	35	हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड, कलकत्ता	11
24.	38	दि शिपिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि०, बम्बई	11
25.	42	एयर इंडिया एम्प्लॉइज प्राविडन्ट फंड, बम्बई	11
26.	46	दि फर्टीलाइजर्स एंड कैमिकल्स त्रावनकोर लिमिटेड, कोचीन	11
27.	53	हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस मैन्युफैक्चरिंग कं० लि०, ऊटकमंड	11
28.	54	नेशनल प्रोजक्ट्स कन्स्ट्रक्शन कार्पोरेशन लि०, नई दिल्ली	11
29.	20	हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि०, विशाखापत्तनम	10
30.	21	यूरेनियम कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि०, सिंहभूम, बिहार	9
31.	39	हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लि०, कोरापुट डिवीजन	9
32.	40	हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लि०, लखनऊ डिवीजन	9
33.	57	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लि०, कलकत्ता	8
34.	59	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि०, बम्बई	7
35.	60	हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लि०, बंगलौर	7

1	2	3	4
36.	61	दि, मिनरल्स एंड मेटल्स ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली	6
37.	41	नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन लि०, नई दिल्ली	6
38.	18	भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, बम्बई	6
39.	2	मेटालर्जिकल एंड इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स (इंडिया) लि०, रांची	6
40.	76	विशाखापत्तनम स्टील प्रोजेक्ट, विशाखापत्तनम	5
41.	52	दि, स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली	5
42.	3	भारत टूल्स लिमिटेड, सिकन्दराबाद	4
43.	1	इलैक्ट्रोनिक्स कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद	4
44.	7	सागेर लारी एंड कम्पनी लि०, कलकत्ता	4
45.	58	नेशनल सीड्स कार्पोरेशन लि०, नई दिल्ली	3
46.	34	एच० एम० टी० लिमिटेड, एर्नाकुलम	3
47.	10	मद्रास फर्टीलाइजर्स लिमिटेड, मद्रास	2
48.	15	हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, बैरकपुर (पश्चिम बंगाल)	2
49.	16	हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, कानपुर	2
50.	32	बंगाल इम्युनिटी लि०, कलकत्ता	2
51.	45	मझगांव डॉक लिमिटेड, बम्बई	2
52.	55	होटल औरंगाबाद अशोक, औरंगाबाद	2
53.	65	होटल वाराणसी अशोक दि माल, वाराणसी	2
54.	71	अशोक होटल, 50 सी चाणक्यपुरी, नई दिल्ली	2
55.	43	नेशनल इंस्ट्रूमेन्टस लिमिटेड, कलकत्ता	2
56.	4	एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि०, बम्बई	1
57.	8	थि माइका ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि०, पटना	1
58.	11	नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि०, बम्बई	1
59.	12	इंडियन मैडिसिन्स फार्मेस्यूटिकल्स कार्पोरेशन लि०, अलमोड़ा	1
60.	17	हिन्दुस्तान केमिकल्स लि०, कलकत्ता	1
61.	22	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोचीन	1
62.	33	सैन्ट्रल कोटेज इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि०, नई दिल्ली	1

परिशिष्ट—घ II

तारीख 24-10-1988 के अनुरोध के उत्तर में भविष्य निधि/सेवा—निवृत्ति की देय राशियों के लंबित मामलों के संबंध में विभिन्न सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा दी गई सूचना

क्र०सं०	उद्यम का नाम	छह माह से अधिक समय से अन्तिम रूप दिए जाने के लिए लंबित मामलों की संख्या	गत 2 वर्षों के दौरान सेवा-निवृत्ति/मृत्यु के छह माह बाद अंतिम रूप दिए गए मामलों की संख्या	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	भारत कोकिंग कोल लि०, धनबाद ।	3,144	4,111	दावे प्रस्तुत न करना/विलम्ब से प्रस्तुत करना, विवाद ग्रस्त दावे, आदि ।
2.	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली ।	3,689	2,187	कम्पनी का आवास खाली न करना, नामित व्यक्ति की अनुपस्थिति, उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्रस्तुत न करना ।
3.	हैवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, रांची ।	260	361	—
4.	नेशनल टेक्सटाइल कार्पोरेशन (गुजरात) अहमदाबाद ।	497	—	राष्ट्रीयकरण से पहले की अवधि के संबंधी मामले । उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकृत रिट याचिका के मामले में लंबित निषेधाज्ञा ।
5.	बर्न स्टैन्डर्ड कं० लिमिटेड, 10-सी, हुन्गर फोर्ड स्ट्रीट, कलकत्ता ।	99	297	बहुत से मामले निपटाने के लिए दावे प्राप्त न होने के कारण लंबित हैं ।
6.	आयल एंड नेचुरल गैस कमीशन सी०पी० सी०एफ० सैक्शन, देहरादून ।	96	70	—
7.	इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली ।	104	59	लंबित रहने के कारण :— संदर्भ : मद सं० 3 (क) सेवा-निवृत्ति : —कर्मचारियों ने अपनी जन्म/सेवा-निवृत्ति की तारीख को चुनौती देते हुए न्यायालय में मुकदमें दायर किए । —भविष्य निधि राशि को भविष्य निधि ट्रस्ट के पास रखने के लिए कर्मचारियों का अनुरोध (ख) मृत्यु : —शव-परीक्षण रिपोर्ट की प्राप्ति में विलम्ब । —संरक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त न होना । —उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त न होना । —सही पता प्राप्त न होना । —शपथ पत्रों/फार्मों का प्राप्त न होना । —मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त न होना । —कम्पनी के क्वार्टरों पर कब्जा बनाए रखना । [संदर्भ : मद सं० 4 (क) सेवा-निवृत्ति : टिकट तथा अंतिम रसीद प्राप्त न होना । (ख) मृत्यु : कानूनी नामित व्यक्ति से अपेक्षित दस्तावेजों का प्राप्त न होना —मृतक के नामित व्यक्ति द्वारा कम्पनी के क्वार्टर पर कब्जा बनाए रखना । —उत्तराधिकार प्रमाणपत्र/शपथपत्रों का प्राप्त न होना ।
8.	मिनरल एक्सप्लोरेशन कार्पोरेशन लि०, नागपुर ।	27	129	मृत्यु/उत्तराधिकार प्रमाणपत्र जैसे संगत दस्तावेज प्राप्त न करना ।
9.	सेन्ट्रल वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन, नई दिल्ली ।	59	96	—
10.	हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लि०, न्यूजप्रिंट नगर, डाकघर कोट्टायम, केरल ।	79	72	त्रुटिपूर्ण नामांकन प्रस्तुत करने, फार्म सं० 13 प्रस्तुत न करने/बे-बाकी प्रमाणपत्र प्रस्तुत न करने के कारण विलंब ।
11.	हुगली डाक एवं पोर्ट इंजीनियर्स लि०, कलकत्ता ।	130	—	भविष्य निधि प्राधिकारों के कारण विलंब ।
12.	नेशनल जूट मेन्युफैक्चरर्स कार्पोरेशन लिमिटेड, 4 नेताजी सुभाष मार्ग, कलकत्ता ।	47	69	संबंधित कर्मचारी/कानूनी वारिसों/नामित व्यक्ति द्वारा दावे प्रस्तुत न करना/विलंब से प्रस्तुत करना ।
13.	सालिमार एंड पोर्ट इंजीनियरिंग वर्क्स, कलकत्ता ।	—	82	—
14.	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लि० नैनी, इलाहाबाद ।	41	29	—
15.	जेसप एंड कं० लि० ।	30	40	—
16.	दि फर्टीलाइजर्स कार्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली ।	24	37	एक मामला न्यायालय में लंबित है । अन्य मामलों में संरक्षण प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किए जाने/विलंब से प्रस्तुत किए जाने के कारण निपटारा नहीं हुआ । विलंब से निपटारा हुआ जहां पर कोई नामांकन नहीं है । कुछ मामलों में सरकारी आवास को खाली न करने के कारण विलंब हुआ ।
17.	भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, बम्बई ।	6	54	त्यागपत्र देने वाले कर्मचारियों से सूचना के अभाव में और मृत्यु के मामले में दिए गए पते पर नामितियों के उपलब्ध न होने से विलंब हुआ ।
18.	दि ट्रेडिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, कलकत्ता ।	—	49	दावे प्राप्त होने में विलंब ।
19.	टायर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कलकत्ता ।	16	31	दावा/उत्तराधिकार प्रमाणपत्र उपलब्ध न होना, नामांकन पर विवाद या नाबालिग कानूनी वारिसों पर विवाद ।
20.	पाइराइट्स, फास्फेट्स एंड कैमिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली ।	25	19	—
21.	नेवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन लिमिटेड, डाकघर नेवेली-607 801 साउथ आरकोट, जिला तामिलनाडु ।	44	कुछ नहीं	कर्मचारियों को दिए गए सरकारी आवास के संबंध में बे-बाकी प्रमाणपत्र प्राप्त न होना
22.	अंडमान-निकोबार द्वीप समूह, फोरेस्ट एंड प्लांटेशन डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि०, पोर्ट ब्लेयर ।	20	23	—

1	2	3	4	5
23.	हिन्दुस्तान ऐरोनॉटिक्स लिमिटेड, बैंगलोर।	7	35	विवादग्रस्त मामले और नामित व्यक्तियों से दस्तावेज प्राप्त होने की प्रतीक्षा।
24.	इंडियन ड्रग्स एवं फार्मेस्युटिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली।	38	—	—
25.	नेशनल प्रोजेक्ट एंड कंस्ट्रक्शन कार्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली।	11	23	उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्राप्त न होना/बाहरी क्षेत्रों में स्थित यूनिटों से पूरी सूचना प्राप्त न होना।
26.	राष्ट्रीय कैमिकल्स एंड फर्टीलाइजर्स लिमिटेड, बम्बई।	21	8	—
27.	माझगांव डॉक लिमिटेड, बम्बई।	2	26	सम्पदा शुल्क प्रमाणपत्र और क्षतिपूर्ति बांड उपलब्ध न होना।
28.	प्रोजक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लि०, नई दिल्ली।	15	11	कम्पनी के रिहायशी क्वार्टरों को खाली न करना।
29.	नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन लि०, नई दिल्ली।	6	29	—
30.	स्टेट फार्म्स कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि०, नई दिल्ली।	—	49	दावा संबंधी कागजात विलंब से प्रस्तुत करना।
31.	मिनरल्स एंड मेटल्स ट्रेडिंग कार्पोरेशन लि०, नई दिल्ली।	6	17	पंजीकृत डाक द्वारा अनुस्मारकों के बावजूद दावा संबंधी संगत कागजात प्रस्तुत न करना।
32.	दि शिपिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, बम्बई।	11	11	नामांकन न होने की स्थिति में कानूनी वारिसों द्वारा कानूनी औपचारिकताएं पूरी न करना।
33.	हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड, उटकमंड।	11	8	—
34.	दि स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली।	5	13	—
35.	दि फर्टीलाइजर्स एंड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड, कोचीन।	11	7	नामांकन, उत्तराधिकार प्रमाणपत्र न होने और वारिसों के बीच विवाद।
36.	कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड, अंबला मुगल, केरल।	—	18	—
37.	बामेर लारी एंड कम्पनी लि०, कलकत्ता।	4	12	उत्तराधिकार प्रमाणपत्र और किसी छोटे नाबालिग के पक्ष में नामांकन न होना।
38.	हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम।	10	6	दावे के कागजात विलम्ब से प्राप्त होना/न्यायालय की या अनुशासनात्मक कार्यवाहियां अनिर्णीत रहना।
39.	गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लि०, कलकत्ता।	8	7	उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्रस्तुत न करना।
40.	रिहैबिलीटेशन इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड, कलकत्ता।	—	13	—
41.	हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड, कलकत्ता।	11	1	—
42.	हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, कोरापुट डिवीजन।	9	3	नामांकन उपलब्ध न होना और कानूनी औपचारिकताएं पूरी न करना।
43.	इलेक्ट्रोनिक्स कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद।	4	8	कानूनी वारिस या वैध नामांकन न होना या मामले का न्यायालय में लंबित होना।
44.	मैटलर्जीकल एंड इंजीनियरिंग कन्सल्टैंस (इंडिया) लिमिटेड, रांची।	6	5	सामान्यतः सेवा के दौरान मृत्यु के मामलों में जहां उचित नामांकन उपलब्ध नहीं होता, वहां उत्तराधिकार प्रमाणपत्र के कारण विलम्ब होता है।
45.	हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, लखनऊ डिवीजन।	8	3	कम्पनी को देय राशियों का समाशोधन न होना, कम्पनी के आवास को खाली न करना दावा संबंधी कागजात प्रस्तुत करना।
46.	एयर इंडिया एम्प्लाइज प्रोविडेंट फंड, बम्बई।	11	—	आवासीय क्वार्टरों का खाली न किया जाना।
47.	नेशनल कौंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, नई दिल्ली।	—	9	—
48.	यूरेनियम कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, सिंहभूम, बिहार।	9	—	—
49.	होटल औरंगाबाद अशोक, औरंगाबाद।	2	6	दावा फार्म विलम्ब से प्रस्तुत करना।
50.	विशाखापत्तनम स्टील प्रोजेक्ट, विशाखापत्तनम।	5	3	दावा फार्म प्राप्त न होना/संदिग्ध नामांकन और कम्पनी को देय राशियों का समाशोधन न होना।
51.	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, बम्बई।	7	—	(क) तीन मामलों में बकाया आवास ऋण का समाशोधन नहीं हुआ। (ख) एक मामले में कार्पोरेशन का क्वार्टर खाली नहीं किया गया। (ग) एक मामले में नामांकन/उत्तराधिकार प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं है। (घ) दो मामलों में सम्पदा शुल्क के समाशोधन की प्रतीक्षा है।
52.	भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, हैदराबाद।	—	7	—
53.	हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, कानपुर।	2	4	नाबालिग के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाणपत्र/नामांकन पत्र न होना, जन्म की तारीख में विसंगति/सरकारी सम्पत्ति को वापस न करना।
54.	हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन लिमिटेड, 75-सी पार्क स्ट्रीट, कलकत्ता।	3	3	लंबित रहने के कोई कारण नहीं दिए गए।
55.	बंगाल केमिकल्स एंड फार्मेस्यूटिकल्स लिमिटेड, 6 गणेश चन्द्र एवेन्यू, कलकत्ता-700 013।	कुछ नहीं	6	कर्मचारियों की ओर से कमियों के कारण विलंब।
56.	प्रागा टूल्स लिमिटेड, सिकन्दराबाद।	4	1	कानूनी वारिस प्रमाणपत्रों का विलम्ब से प्रस्तुत किया जाना। न्यायालय में लंबित विवाद। पिछले कार्यालय से रिकार्ड प्राप्त न होना।
57.	दि माइका ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि०, पटना।	1	4	दावा संबंधी कागजात प्राप्त न होना।
58.	हिन्दुस्तान प्रिफेब लिमिटेड, नई दिल्ली।	—	5	—
59.	बंगाल इम्युनिटी लिमिटेड, कलकत्ता।	2	3	दावा संबंधी कागजात का विलम्ब से प्रस्तुत किया जाना।
60.	एफ०एम०डी० लिमिटेड, एर्नाकुलम	3	2	दावे के कागजात प्राप्त नहीं हुए।

1	2	3	4	5
61.	मद्रास फर्टीलाइजर्स लिमिटेड, मद्रास ।	2	2	उत्तराधिकार प्रमाणपत्र का न होना और उत्तराधिकारियों के बीच विवाद ।
62.	नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, बम्बई ।	1	2	नाबालिग के पक्ष में नामांकन और अनुशासनात्मक कार्यवाहियों का लंबित होना ।
63.	नेशनल सीड्स कार्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली ।	3	—	(क) दो मामलों में उत्तराधिकार प्रमाणपत्र मांगा गया है । (ख) एक मामले में नामित व्यक्ति का पता ठिकाना नहीं ।
64.	दि एलगिन मिल्स कम्पनी लिमिटेड, 11/6 श्रीमती पार्वती बागला रोड, पोस्ट बॉक्स नं० 11, कानपुर ।	कुछ नहीं	3	(i) एक मामले में कर्मचारी 11-8-87 को सेवा निवृत्त हुआ । उसे अपना उपदान प्राप्त करने के लिए तारीख 11-9-87 के पत्र द्वारा सूचित किया गया । कर्मचारी अपना भुगतान लेने के लिए केवल 1-6-1988 को आया था । (ii) दूसरे मामले में कर्मचारी की मृत्यु 13-6-87 को हुई थी । उसके नामित व्यक्ति ने विभिन्न नामों से सेवानिवृत्ति की राशियों के भुगतान के लिए आवेदन किया और 20-3-1988 को उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए शपथ पत्र के आधार पर भुगतान किया गया । (iii) तीसरे मामले में कर्मचारी की मृत्यु बिना किसी नामांकन के तारीख 11-4-87 को हुई थी । कानूनी वारिस ने उत्तराधिकार प्रमाणपत्र के लिए आवेदन किया और उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्राप्त होने पर उसे तारीख 27-1-88 को भुगतान किया गया ।
65.	हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, बेरकपुर (पश्चिमी बंगाल)	2	1	उत्तराधिकार प्रमाणपत्र का न होना और कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने में विलंब ।
66.	बोगाईगांव रिफाइनरी एंड पैट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, असम ।	—	2	उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्राप्त न होना ।
67.	हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड, कलकत्ता ।	1	1	नामित व्यक्ति से दावा विलम्ब से प्राप्त होना ।
68.	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोचीन ।	1	1	नामित व्यक्ति से दावा विलम्ब से प्राप्त होना और उत्तराधिकार प्रमाणपत्र का न होना ।
69.	सैन्ट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली ।	1	1	—
70.	हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, बंगलौर ।	—	3	—
71.	नेशनल इन्स्ट्रूमेंट्स लिमिटेड, कलकत्ता ।	2	—	उत्तराधिकार प्रमाणपत्र का प्रस्तुत न किया जाना ।

1	2	3	4	5
72.	होटल वाराणसी अशोक, दि माल, वाराणसी ।	2	कुछ नहीं	एक मामले में कर्मचारी भविष्य निधि की राशि का भुगतान पहले ही कर दिया गया है । परिवार पेंशन की स्वीकृति के बारे में विवाद है । यह बताया गया है कि संगठन में अभी तक परिवार पेंशन योजना आरम्भ नहीं की गई है । दूसरे मामले में मार्च, 1986 से परिशोधन के लिए लंबित है । इस विलंब के कोई कारण नहीं दिए गए हैं ।
73.	अशोक होटल, 50-बी, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली ।	2	कुछ नहीं	—
74.	एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, बम्बई ।	1	—	उत्तराधिकार प्रमाणपत्र की कमी के कारण ।
75.	इंडियन मेडिसिन्स फार्मेस्यूटिकल कार्पोरेशन लिमिटेड, अल्मोड़ा ।	1	—	—
76.	कुथेरमुथ आयरन ओर कम्पनी लिमिटेड, बंगलोर ।	—	1	ऐसा सिविल मुकदमा लंबित जिसमें निषेधाज्ञा जारी की गई थी ।
77.	स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, लखनऊ ।	—	1	—
78.	इंडियन आयल ब्लेंडिंग लिमिटेड, बम्बई ।	—	—	कोई भी मामला लंबित नहीं है । तथापि, उपक्रम ने भविष्य निधि प्राधिकारियों द्वारा भविष्य निधि खातों के अन्तरण में विलंब के तीन मामलों का उल्लेख किया है ।
79.	सैन्ट्रल कोल लिमिटेड, रांची ।	कुछ नहीं	कुछ नहीं	यदि कोई मामला नीचे दी गई शर्तों से प्रभावित होता है, तो तब तक भुगतान नहीं किया जाता जब तक निम्नलिखित कानूनी अपेक्षाएं अन्तिम रूप से पूरी न की गई हों :— (क) ऐसे मामले जिनमें संबंधित व्यक्तियों ने समय पर दावे प्रस्तुत नहीं किए हैं । (ख) ऐसे मामले जिनमें दायभाग विवाद हैं और राशि का दावा एक से अधिक दावेदारों ने किया है । (ग) ऐसे मामले जिनमें मृतक कर्मचारी ने कोई नामांकन न किया हो और कानूनी वारिस द्वारा उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्राप्त करने में विलंब हुआ हो । (घ) ऐसे मामले जिनमें कर्मचारी ने कंपनी की बकाया राशियों, यदि कोई हो, की अदायगी न की हो ।

परिशिष्ट—ङ

तारीख 20-12-88

प्रेस विज्ञप्ति

विधि आयोग भविष्य निधि का संचालन करने वाले निजी उद्यमों, सरकारी उपक्रमों, ट्रस्टों आदि द्वारा भविष्य निधि और सेवा-निवृत्ति की देय राशियों की अदायगी में होने वाले विलंब की जांच कर रहा है और भविष्य निधि आयुक्तों से प्रभावोत्पादक और तीव्र प्रणाली विकसित करने के लिए कहा जा रहा है। सभी व्यक्तियों या उनके कानूनी प्रतिनिधियों या उनके मनोनीत व्यक्तियों से, जिन्होंने अपनी भविष्य निधि या सेवा-निवृत्ति की राशियां एक वर्ष से अधिक अवधि तक प्राप्त नहीं की हैं, अनुरोध है कि वे अपने मामलों के पूरे ब्यौरे सदस्य-सचिव, विधि आयोग, विधि कार्य विभाग, सातवीं मंजिल, "ए" विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110 001 को यथाशीघ्र प्रस्तुत करें ताकि आयोग इस मामले में अपने विचार प्रतिपादित कर सके।

परिशिष्ट—च

संबंधित प्राधिकारियों के पास लंबित ऐसे भविष्य निधि के मामलों का सारणीबद्ध विवरण जिनका निपटान हो गया है

क्र० सं०	परिवादी का नाम	संबंधित प्राधिकारियों को विधि आयोग द्वारा दिए गए विशेष निर्देश की तारीख आर पी एफ/सी सामान्य निर्देश. 28-11-88 को किया गया	अनुपालन करने की तारीख	संबंधित प्राधिकारियों के पास लंबित मामलों की अवधि (अनुमानित)	शिकायत सं० जिस पर कार्रवाई की गई	छूट-प्राप्त या गैर-छूट
1	2	3	4	5	6	7
		10 वर्ष से अधिक के भविष्य निधि के मामले के परिशोधन में शामिल विलंब				
1.	श्री लाल सिंह	12-7-89	20-7-89 एवं 20-8-89	28-8-89—1968-21 वर्ष	317	गैर-छूट प्राप्त
2.	श्री एस० एस० जोशी	19-6-89 16-2-90	13-7-89	5-7-89—1-7-73-16 वर्ष	251	सरकारी कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि के अंतर्गत आता है।
3.	श्री आर० के० कोल्हटकर	3-7-89	12-7-89	12-7-89—19-3-75-14 वर्ष 4 माह	274	छूट-प्राप्त।
4.	श्री ए० वी० पढेंडी	16-2-90 26-6-89	26-3-90	29-3-89—1-11-75-13 वर्ष 4 माह	214	गैर-छूट प्राप्त कोयला खान भविष्य निधि अधिनियम के अंतर्गत आता है।
5.	श्री एस० एन० माथुर	16-6-89	29-9-90	10-9-89—अप्रैल, 1977-12 वर्ष 5 माह (आंशिक रूप से निपटान किया गया)	173	गैर-छूट प्राप्त।
6	श्री यू० एस० पाठक	8-6-89 9-2-90	1-7-89	1-7-89—30-6-78-11 वर्ष (आंशिक रूप से निपटान किया गया)	151	नगर पालिका निगम।

1	2	3	4	5	6	7
7.	श्री जे० के० केपिला	8-6-89 25-1-90	7-7-89	7-7-89—23-9-78-10 वर्ष 10 माह	106	छूट-प्राप्त।
		6 से 10 वर्ष के भविष्य निधि मामले के परिशोधन में शामिल विलंब				
8.	श्री के० रामामूर्ति	10-7-89	19-7-89	10 वर्ष	361	छूट-प्राप्त।
9.	श्रीमति बुल्लामा, पत्नी श्री बी० दरवेश	16-6-89 16-2-90	30-3-90	9 वर्ष 11 माह	245	गैर-छूट प्राप्त।
10.	श्री जे० पी० पटनायक	19-6-89	30-8-89	30-8-89—1980-9 वर्ष 8 माह	230	गैर-छूट प्राप्त।
11.	श्री जे० जी० कामत	जुलाई, 1989	25-7-89	25-7-89—नवम्बर, 79-9 वर्ष 8 माह (आंशिक रूप से निपटान किया गया)	328	गैर-छूट प्राप्त।
12.	श्री जी० बी० आचारी	16-2-90 19-6-89	22-2-90	5-4-89—5-2-1980-9 वर्ष 2 माह	197	छूट-प्राप्त।
13.	श्री के० सुब्बा राव	12-6-89 25-1-90	23-6-89	23-6-89—अप्रैल, 81-8 वर्ष 2 माह (शेष का निपटान किया)	161	गैर-छूट प्राप्त।
14.	श्री सी० सी० पटनायक	16-2-90	1-3-90	1-3-90—1982-7 वर्ष 9 माह	226	सरकारी सेवा।
15.	श्री पेरमूलु राजुलु	12-6-89 25-1-90	23-8-89	12-8-88—22-5-81-7 वर्ष 9 माह (शेष का निपटान किया गया)	162	गैर-छूट प्राप्त।
16.	श्री एम० एन० आचार्य	8-6-89 25-1-90	20-12-89	20-12-89—1-10-82-7 वर्ष 2 माह (आंशिक रूप से निपटान किया गया)	114	गैर-छूट प्राप्त।
17.	श्री मदन लाल	12-7-89	30-8-89	1-5-89—31-3-82-7 वर्ष 2 माह (उपदान राशि के के संबंध में)	338	उपदान का मामला सरकारी कर्मचारी।
18.	श्री ए० बी० जोशी	26-5-89	22-6-89	भविष्य निधि विवरणियों के जारी होने में 7 वर्ष का विलंब (1983-84 और आगे के लेखे प्रक्रियागत हैं)	77	गैर-छूट प्राप्त।
19.	श्री ए० एन० घोष	4-7-89	26-7-89	11-4-89—30-6-82-6 वर्ष 10 माह	78	सरकारी सेवा।
20.	श्री पी० एन० दास	12-6-89	27-6-89	5-2-89—25-5-82-6 वर्ष 9 माह	76	गैर-छूट प्राप्त।
21.	श्रीमती एस० भट्टाचार्य	20-2-89	30-3-89	20-3-90—15-6-83-6 वर्ष 9 माह	341	गैर-छूट प्राप्त।
22.	श्री एन० एन० पारीख	19-6-89 16-2-90	7-7-89	(आंशिक रूप से निपटान किया गया) फरवरी, 1939-जुलाई, 1982=6 वर्ष 7 माह	241	गैर-छूट प्राप्त।
23.	श्री फ्रांसिस	26-2-90 12-7-89	16-3-90	15-11-89—1983-6 वर्ष 6 माह	313	गैर-छूट प्राप्त।

1	2	3	4	5	6	7
24.	श्री वी० शर्मा	16-2-90 19-6-89	27-2-90	26-7-89—जनवरी 83- 6 वर्ष 6 माह	218	छूट-प्राप्त
25.	श्री टी० बी० नारायणन	20-2-90 3-7-89	8-3-90	22-1-90—10-8-83- 6 वर्ष 4 माह	282	गैर-छूट प्राप्त
26.	श्री के० डी० जादा	20-12-89 12-7-89	9-2-90	2-2-90—30-11-83- 6 वर्ष 2 माह	367	सरकारी सेवा
27.	श्री आई० डी० अग्रवाल	19-6-89	21-8-89	21-8-89—जुलाई, 83- 6 वर्ष	223	सरकारी सेवा
28.	श्री एस० पी० बसंत	28-12-89	22-1-90	21-9-89—1-9-83- 6 वर्ष	430	सरकारी सेवा
29.	श्री बी० एस० सम्भुखराव	10-1-90 29-5-89	16-1-90	16-1-90—1984- 6 वर्ष (शेष का निपटान किया गया)	66	सरकारी सेवा
30.	श्रीमती शान्ति घोष	26-5-89 12-1-90	16-6-89 5-7-89	5-7-89—1983- 6 वर्ष	68	सरकारी सहायता प्राप्त
31.	श्री बी० एन० सेनगुप्ता	3-7-89	21-8-89	6 वर्ष	275	सरकारी सेवा
32.	श्री बी० डी० शर्मा	3-7-89 9-2-90	21-7-89	21-7-89—17-6-83- 6 वर्ष (आंशिक रूप से निपटान किया गया) 4 से 6 वर्ष का विलंब	267	छूट-प्राप्त के अंतर्गत नहीं आता
33.	श्रीमती के० बी० कुमारी	26-2-90 12-7-89	16-3-90	8-8-89—22-11-82- 5 वर्ष 9 माह	314	गैर-छूट प्राप्त
34.	श्री पी० जे० थोमस	16-2-90 19-6-89	13-3-90 27-2-90	26-7-89—19-1-83- 5 वर्ष 6 माह	207 (1)	छूट-प्राप्त
35.	श्री एस० जी० पगारे	14-6-89	25-7-89	13-4-89—दिसम्बर, 83- 5 वर्ष 4 माह	180	गैर-छूट प्राप्त
36.	श्रीमती सचाना बालम्मा	9-6-89 23-8-89	22-2-89	23-8-89—दिसम्बर, 84- 5 वर्ष 4 माह	148	गैर-छूट प्राप्त
37.	श्री ए० एम० भट्टाचार्य	13-3-89	26-8-89	3-3-89—17-1-84- 5 वर्ष 2 माह (पेंशन/उपदान का मामला)	375	सरकारी कर्मचारी
38.	श्री जिमी पी० वाई० अंबासी	19-6-89	11-7-89	1-4-89—1984- 5 वर्ष	240	गैर-छूट प्राप्त
39.	श्री एन० एम० गिरनारे	6-6-89 19-1-90	27-6-90 26-4-90 1-2-90 (परिवादी का पत्र)	1-2-90—28-2-85- 5 वर्ष	109	सरकारी सेवा
40.	श्री एस० सी० सरकार	19-6-89 16-2-90	10-2-90	20-12-89—4-12-84- 5 वर्ष	191	गैर-छूट प्राप्त
41.	श्रीमती मृणाल	20-2-90 3-7-89	27-3-90	1-8-89—17-9-84- 4 वर्ष 11 माह	259	गैर-छूट प्राप्त
42.	श्रीमती काबु	12-1-90 8-2-89	12-3-90	12-3-90—16-5-85- 4 वर्ष 10 माह	59	गैर-छूट प्राप्त
43.	श्री अलोकेश बोस	10-7-89	1-7-89	26-10-88—31-1-84- 4 वर्ष 9 माह	330	छूट-प्राप्त
44.	श्री पी० के० डी० नायर	16-2-90 19-6-89	27-2-90	10-9-87—जनवरी, 83- 4 वर्ष 8 माह	207 (2)	छूट-प्राप्त
45.	श्री एस० अप्पा राव	19-6-89	12-9-89 23-8-89	1-8-89—मार्च, 85- 4 वर्ष 5 माह	232	छूट-प्राप्त/बाहर
46.	श्री गिरीश कुमार लक्ष्मण जाटव	3-7-89	3-11-89	3-11-89—अगस्त, 1985- 4 वर्ष 3 माह	260	गैर-छूट प्राप्त

1	2	3	4	5	6	7
47.	श्री बी० चक्रवर्ती	12-6-89 12-1-90	24-1-90	24-1-90—8-10-85- 4 वर्ष 3 माह	93	गैर-छूट प्राप्त
				भविष्य निधि के निपटान में 3 से 4 वर्ष तक के विलंब के मामले		
48.	श्री एस० डी० कोल	8-6-89 19-6-89	21-9-89	1-8-89—10-10-85- 3 वर्ष 10 माह	128	छूट-प्राप्त
49.	श्रीमती लिली जोसफ	12-6-89 25-1-90	26-6-89	8-5-89—जून, 85- 3 वर्ष 10 माह	159	गैर-छूट प्राप्त
50.	श्री आर० डी० शर्मा	12-1-90 20-5-90	12-2-90	2-11-89—15-2-86- 3 वर्ष 8 माह	64	छूट-प्राप्त
51.	श्रीमती सरस्वती देवी	16-2-90 19-6-89	28-2-90	28-2-90—30-6-86- 3 वर्ष 8 माह	229	सरकारी सेवा
52.	श्री आर० पी० कड़क	19-6-89 16-2-90	27-7-89	31-1-89—1-7-85- 3 वर्ष 6 माह	249	छूट-प्राप्त
53.	श्री आर० पी० सतपुटे	8-6-89 19-6-88	21-8-89	24-7-89—30-4-86- 3 वर्ष	128	छूट-प्राप्त
54.	श्री मुकुल जैन	26-5-89	5-6-89	5-6-89—13-2-86- 3 वर्ष 3 माह	14	गैर-छूट प्राप्त
55.	श्रीमती के० बी० जोशी	17-1-90 19-5-89	11-2-90	3 वर्ष 3 माह उपदान अदायगी के संबंध में (आंशिक रूप से निपटाया गया)	73	बोर्ड का कर्मचारी (उपदान का मामला)
56.	श्री एस० एल० शर्मा	20-2-90 13-7-89	14-3-90	जनवरी, 90—30-11-86- 3 वर्ष 2 माह	269	सरकार से प्राप्य राशियां
57.	श्री एम० सी० सूरत	3-7-89	26-7-89 17-7-89	26-8-89—18-6-86- 3 वर्ष 2 माह	297	गैर-छूट प्राप्त
58.	मैसर्स पायनियम लि० द्वारा आगे बढ़ाया गया 8 सदस्यों का मामला	23-2-90	7-8-89 15-5-90	15-5-90—26-3-87- 3 वर्ष 2 माह	307	—यथोपरि—
59.	श्रीमती एस० बी० टावले	16-2-90 19-6-89	29-2-90	14-2-90—1-2-86- 3 वर्ष	204	नगर पालिका/बोर्ड
60.	श्री परशुराम सिंह	21-12-89 12-7-89	13-2-90	1-1-90—29-12-86- 3 वर्ष	392	गैर-छूट प्राप्त
61.	श्री जगन्नाथ कपूर	13-6-89	1-8-89	28-2-89—31-1-86- 3 वर्ष (आंशिक रूप से निपटाया गया)	213	छूट-प्राप्त
				भविष्य निधि के निपटाने में 2 से 3 वर्ष के विलंब संबंधी मामले		
62.	श्री आर० सी० रौट	28-12-89	16-1-90	10-7-89—1-9-86- 2 वर्ष 10 माह	417	गैर-छूट प्राप्त
63.	श्री ए० दास	28-12-89	16-1-90	13-7-89—1-9-86- 2 वर्ष 10 माह	417	गैर-छूट प्राप्त
64.	श्री मझोदी	8-6-89 19-6-89	21-8-89	2 वर्ष 9 माह	129	छूट-प्राप्त
65.	श्री पी० के० गुप्ता	16-2-90 19-6-89	2-4-90	31-8-89—23-12-86- 2 वर्ष 8 माह	198	गैर-छूट प्राप्त
66.	श्री एम० के० कार	19-1-90 29-5-89	19-2-90	10-5-89—अक्तूबर, 86- 2 वर्ष 7 माह (आंशिक रूप से निपटाया गया)	62	छूट-प्राप्त

1	2	3	4	5	6	7
67.	श्री नन्द लाल डागा	26-5-89 12-1-90	29-6-89	15-3-89—अगस्त, 1986- 2 वर्ष 7 माह	91	छूट-प्राप्त परन्तु परिसमापन हो गया।
68.	श्रीमती कुसुम कुमारी देवी	12-1-90 8-2-89	4-6-90	3-5-90—27-9-86- 2 वर्ष 6 माह (केवल उपदान निपटाया गया, आंशिक रूप से निपटाया गया)	48	बाहर
69.	श्री पी० सी० शाह	14-6-89 25-1-90	17-2-90	29-8-89—1-2-87- 2 वर्ष 6 माह	183	सरकारी सेवा
70.	श्रीमती बी० सान्याल	8-6-89	12-7-89	2-6-89—28-12-86- 2 वर्ष 5 माह	102	गैर-छूट प्राप्त (चूक नियोजक के कारण है क्योंकि गलत संख्या दी गई थी)
71.	डा० बी० बी० खानिलकर	28-12-89 19-6-89	12-2-90	नवम्बर, 89—5-6-87- 2 वर्ष 5 माह	242	गैर-छूट प्राप्त
72.	श्री ए० आर० पटेल	17-1-89 9-3-89	17-2-89	2 वर्ष 4 माह	32	—यथोपरि—
73.	श्री जे० सी० विमावत	20-2-90 3-7-89	23-4-90	16-1-90—1-11-87- 2 वर्ष 2 माह	285	सरकारी सेवा
74.	श्री देवदास राव	12-7-89 14-6-89	20-7-89	22-4-89—6-3-87- 2 वर्ष 1 माह	337	बाहरी स्थापन
75.	श्री राम दास,	25-1-90	8-2-90 परिवादी का पत्र	20-4-89—31-3-87- 2 वर्ष 1 माह	176	सरकारी सेवा
76.	श्री अनिल कांति चक्रवर्ती	12-7-89	22-8-89 को भुगतान किया गया	20-9-89—16-8-87- 2 वर्ष 1 माह	370	छूट-प्राप्त
77.	श्री बी० एन० भट्टाचार्य	7-2-90 19-6-89	7-3-90 परिवादी का पत्र 6-7-89	13-1-90—11-1-88- 2 वर्ष	235	गैर-छूट प्राप्त
78.	श्री अब्बास मियां	10-7-89 28-2-90	1-8-89 15-8-89	2 वर्ष (आंशिक रूप से निपटाया गया)	352	नगर पालिका, कर्मचारी अधिनियम के अंतर्गत नहीं आता
79.	श्री अनिल अग्रवाल	15-1-89 9-3-89 11-1-90	8-2-89 2-5-89 3-2-89	2 वर्ष	44	गैर-छूट प्राप्त
80.	श्रीमती उमा अजीत सावन्त	14-6-89	1-7-89	1-7-89—31-7-87- 1 वर्ष 11 माह	187	गैर-छूट प्राप्त
81.	श्रीमती किरण श्रीवास्तव	10-7-89	27-7-89 28-2-89	17-9-87—2-12-85- 1 वर्ष 10 माह (भविष्य निधि की राशि के संबंध में)	303	गैर-छूट प्राप्त
82.	श्री रमण गोपालन के० एन०	19-6-89	14-8-89	1 वर्ष 10 माह	252	सरकारी सेवा
83.	श्री ए० एन० पीटर	3-7-89	27-7-89	1 वर्ष 9 माह	261	सरकारी सेवा

1	2	3	4	5	6	7
84.	श्रीमती सरोजिनी अग्रवाल	26-5-89	9-6-89 24-7-89	1 वर्ष 9 माह	45	सरकारी सेवा
85.	श्री के० सरभाचारी	8-6-89 25-1-90	22-6-89	24-5-89—31-8-87- 1 वर्ष 9 माह	110	गैर-छूट प्राप्त
86.	श्री के० एन० कुमारे	8-6-89	31-8-89 11-9-89	11-9-89—7-12-87- 1 वर्ष 9 माह	150	बैंक कर्मचारी/बाहर
87.	श्री सूरज कुमार	3-7-89	21-7-89	21-7-89—11-11-87- 1 वर्ष 8 माह	268	छूट प्राप्त/बाहर
88.	श्री टी० एस० नटराजन	12-6-89 25-1-90	12-2-90	29-7-89—11-12-87- 1 वर्ष 8 माह (आंशिक रूप से निपटाया गया)	164	बोर्ड कर्मचारी/छूट प्राप्त
89.	श्री द्वारका सिंह	7-2-90 3-7-89	परिवादी का ता० 22-2-90 का पत्र	28-11-89—2-4-88- 1 वर्ष 8 माह (आंशिक रूप से निपटाया गया)	299	गैर-छूट प्राप्त
90.	श्री जे० आर० गुप्ता	26-3-89	9-6-89	9-6-89—19-11-87- 1 वर्ष 8 माह	52	गैर-छूट प्राप्त
91.	श्री सुरेन्द्र अरोड़ा	19-6-89	14-8-89	1 वर्ष 6 माह	225	गैर-छूट प्राप्त
92.	श्रीमती वाई० वी० देसाई	26-5-89	19-6-89	17-5-89—15-11-87- 1 वर्ष 6 माह	56	गैर-छूट प्राप्त
93.	श्री के० माथुरी	10-5-89	12-6-89	4-1-89—अगस्त, 1987- 1 वर्ष 6 माह	27	छूट प्राप्त/बाहर
94.	श्रीमती टी० रुक्मणी देवी	28-12-89	12-2-90	22-12-89—15-6-88- 1 वर्ष 6 माह	416	सरकारी सेवा
95.	श्री रामेश्वर देव	22-12-89	10-2-90	7-3-89—27-7-87-1 वर्ष 6 माह	399	सरकारी सेवा
96.	श्री डेविड	26-2-90 12-7-89	8-4-90 17-3-90	22-12-89—जुलाई, 88- 1 वर्ष 5 माह (आंशिक रूप से निपटाया गया)	302	गैर-छूट प्राप्त
97.	श्री टी० एम० पवार	8-6-89	30-6-89	31-1-89—1-8-87-1 वर्ष 5 माह	120	गैर-छूट प्राप्त
98.	11 सदस्यों का मामला यूनियन द्वारा उठाया गया	1-2-90 14-6-90	7-3-90	अधिकतम विलंब 1 वर्ष 5 माह	165	गैर-छूट प्राप्त
99.	श्री बी० वी० जे० एफ० नोरोनहा	9-6-89	23-2-89	16-2-89—5-10-87- 1 वर्ष 4 माह	134	छूट प्राप्त
100.	श्री वाई० एच० पारीख	2-4-90	10-4-90	13-1-90—20-7-88- 1 वर्ष 4 माह	443	छूट प्राप्त
101.	श्री आर० वेहरा	19-6-89	29-7-89	29-7-89—31-3-88- 1 वर्ष 4 माह	203	गैर-छूट प्राप्त
102.	श्री बी० पाधी	12-6-89	4-7-89	18-2-89—अक्तूबर, 87- 1 वर्ष 4 माह	159	सरकारी सेवा
103.	श्री सुबीर गांगुली	19-6-89	30-6-89	1-5-89—दिसम्बर, 87- 1 वर्ष 4 माह	205	गैर-छूट प्राप्त
104.	श्री पंकिल कक्कड़	3-7-89	8-8-89	8-8-89—30-5-88- 1 वर्ष 3 माह (आंशिक रूप से निपटाया गया)	295	गैर-छूट प्राप्त
105.	श्री एन० बी० डे	17-1-89 20-2-89	8-3-89	7-2-90—30-11-87- 1 वर्ष 3 माह (आंशिक रूप से निपटाया गया)	79	सरकारी सेवा

1	2	3	4	5	6	7
106.	श्री एम० के० बैंस	29-5-89 12-1-90	परिवादी का ता० 20-1-90 का पत्र	20-1-90—8/88-1 वर्ष 3 माह	49	गैर-छूट प्राप्त
107.	श्री वी० के० अग्रवाल	8-5-90	30-6-89	27-4-89—31-1-88-1 वर्ष 3 माह	105	गैर-छूट प्राप्त
108.	स्व० श्री जी० डी० राय की ओर श्रीमती भागनी राय	8-6-89 25-1-90	14-8-89 3-8-89	16-12-88—12-9-87-1 वर्ष 3 माह	126	सरकारी सेवा
109.	श्रीमती आशा दिनेश भंडारे	19-6-89	28-7-89	21-7-89—मार्च, 88-1 वर्ष 3 माह	254	गैर-छूट प्राप्त
110.	श्री सुमित अग्रवाल	10-7-89	14-8-89	26-7-89—अप्रैल, 88-1 वर्ष 3 माह	332	गैर-छूट प्राप्त
111.	श्री अनंतकृष्णन डी०	3-7-89	20-7-89	20-7-89—9-4-88-1 वर्ष 3 माह (आंशिक रूप से निपटान किया गया)	287	गैर-छूट प्राप्त
112.	श्री श्याम लाल	29-5-89 11-11-90	परिवादी पत्र ता० 16-2-90 को मिला	25-1-89—30-11-87-1 वर्ष 2 माह	35	सरकारी सेवा
113.	श्री डी० डी० सुधा	21-12-89	15-1-90	25-9-89—6-7-88-1 वर्ष 2 माह	396	गैर-छूट प्राप्त
114.	श्री बी० डी० गोयल	10-7-89	21-7-89	25-5-89—12-4-88-1 वर्ष 1 माह	312	गैर-छूट प्राप्त
115.	श्री नचेत राम	8-6-89	22-6-89	एक वर्ष (आंशिक रूप से निपटान किया गया)	112	गैर-छूट प्राप्त
116.	श्री जे० नायक	12-1-90 24-5-89	24-1-90	23-2-89—29-2-88-1 वर्ष	74	सरकारी सेवा
117.	श्री गजानन	12-1-90 29-5-89	19-1-90	2-3-89—31-3-88-1 वर्ष	54 एवं 70	सरकारी सेवा
118.	श्री एस० एस० पिलानी	20-12-89	2-1-90	2-1-90—20-12-88-1 वर्ष	386	छूट प्राप्त/पेंशन का मामला
119.	श्री एन० पी० रामाचंद्रन	22-12-89	23-1-90 8-1-90	18-9-89—25-8-88-1 वर्ष	400	सरकारी सेवा
120.	श्री आर० एन० टंडन	26-5-89	20-6-89 25-8-89	2-8-89—5-9-88-11 माह	65	गैर-छूट प्राप्त
121.	श्रीमती एस० रींगी	10-1-90	20-7-90	20-4-89—2-5-88-11 माह	43	गैर-छूट प्राप्त
122.	श्री ए० एम० एन० शेख	14-6-89	20-7-89	11-4-89—1-5-88-11 माह	190	सरकारी सेवा
123.	श्री पी० के० मुखर्जी	10-7-89	11-8-89	3-5-89—15-7-88-9 माह	333	गैर-छूट प्राप्त
124.	श्रीमती चांदनी मुखर्जी	9-6-89 25-1-90	20-6-89	भविष्य निधि 1-12-88-13-7-88-5 माह 13-2-89—13-7-88-7 माह 18-4-89—13-7-89-9 माह एफ०पी०एफ०-मई, 1989—15-7-88-10 माह	146	गैर-छूट प्राप्त

1	2	3	4	5	6	7
125.	श्री डी० के० जैन	26-5-89	30-6-89	29-12-88—1-3-88-9 माह	21	गैर-छूट प्राप्त
126.	श्री बी० सी० भट्टाचार्य	26-5-89 11-1-90	22-6-89	20-3-89—1-6-88-9 माह	10	गैर-छूट प्राप्त
127.	श्री पी० पी० नारायणन	10-7-89	17-7-89	28-2-89—24-4-88-9 माह	304	छूट प्राप्त
128.	श्री० सुश्री जी० व्यास	14-6-89	31-8-89	18-7-89—2-11-88-8 माह	186	गैर-छूट प्राप्त
129.	श्रीमती पी० किशन काकड़े	26-2-90 12-7-89	28-1-90 20-4-90	नवम्बर, 1989—20-3-89-8 माह	323	गैर-छूट प्राप्त
130.	श्री किशन एस० पवार	17-7-89	3-10-89	26-7-89—26-12-88-7 माह	372	गैर-छूट प्राप्त
131.	श्री अरुण बी०	3-7-89	3-8-89	6-9-88—24-3-88-6 माह	281	गैर-छूट प्राप्त
132.	श्री भवानी	9-6-89	21-6-89	4-4-89—19-9-88-6 माह	153	गैर-छूट प्राप्त
133.	श्री नरेश कुमार नियोगी	12-6-89	19-6-89	4-5-89—30-12-88-5 माह	92	छूट प्राप्त
134.	श्री बी० सी० रंजन	3-7-89	30-8-89	8-7-89—14-2-89-5 माह	277	सरकारी सेवा
135.	श्री आर० शिवरामन	19-6-89	23-6-89	23-6-89—23-2-89-4 माह	255	गैर-छूट प्राप्त
136.	श्री किशन दास गुप्ता	26-5-89	12-6-89	17-1-89—21-10-88-3 माह	26	गैर-छूट प्राप्त
137.	श्री एस० डी० कोंडे	30-2-89	26-5-89	15-10-88—3-6-88-3 माह (आंशिक रूप से निपटान किया गया)	88	सरकारी सेवा
138.	श्री बाबू लाल गुप्ता	17-7-89	28-8-89	8-9-89—3-6-89-1 माह	366	गैर-छूट प्राप्त
139.	श्री पी० के० गुहा	3-7-89	23-10-89	17-10-89—8-9-89-1 माह	272	गैर-छूट प्राप्त

परिशिष्ट छ

विवादग्रस्त मामलों में हुए विलम्ब का विवरण

क्रम सं०	विलम्ब	शिकायतों की संख्या
1.	35 से 40 वर्ष	1
2.	30 से 35 वर्ष	1
3.	25 से 30 वर्ष	3
4.	20 से 25 वर्ष	2
5.	15 से 20 वर्ष	5
6.	10 से 15 वर्ष	19
7.	5 से 10 वर्ष	95
8.	2 से 5 वर्ष	142
9.	0 से 2 वर्ष	68

परिशिष्ट ज—I

तीन माह से अधिक की अवधि वाले निपटाए गए भविष्य निधि के मामलों के ब्यौरों का उल्लेख करते हुए छूट प्राप्त/बाहरी स्थापन के नियोजक/न्यासी (ट्रस्टी) द्वारा भरे जाने वाला और लोकपाल को प्रस्तुत किए जाने वाला फार्म

.... माह की उपर्युक्त श्रेणी के नियोजक/न्यासियों द्वारा प्रस्तुत की गई विवरणी फैक्टरी/स्थापन का नाम और पता ....
कोड सं० ....

क० सं०	खाता सं०	कर्मचारी का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)	पिता का नाम (विवाहित महिलाओं के मामले में पति का नाम)	सेवा छोड़ने की तारीख	सेवा छोड़ने के कारण, अर्थात्, सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, मृत्यु, आदि	दावेदार की श्रेणी का उल्लेख करें, क्या कर्मचारी नामनिर्देशिती/वृत्तिभोगी है
1	2	3	4	5	6	7

क्या सेवा छोड़ने की तारीख को ही देय राशि का भुगतान किया गया था जहां पर उनका भुगतान करना इस प्रकार आवश्यक था	यदि सेवा छोड़ने की तारीख को भुगतान करने में कोई चूक हुई हो, तो बताएं कि सेवा छोड़ने की तारीख से कितना विलम्ब हुआ	भविष्य निधि आहरण के लिए या आवेदन की प्राप्ति की तारीख	कॉलम 10 में दी गई तारीख से कितनी अवधि तक मामला लंबित रहा	निपटान में विलम्ब के विस्तृत कारण
8	9	10	11	12

तारीख :

नियोजक के हस्ताक्षर..................
फैक्टरी/स्थापन की मोहर..................

परिशिष्ट ज—II

तीन माह से अधिक के विलम्ब वाले एवं स्कीमों के अनुपालन के लिए नियोजक/स्थापन के पास लंबित कर्मचारी भविष्य निधि और अन्य विविध उपबंधों के मामलों के ब्यौरों का गैर-छूट प्राप्त स्थापनों के नियोजकों द्वारा भरा जाने वाला और लोकपाल को प्रस्तुत किया जाने वाला फार्म

माह.................................... की उपर्युक्त श्रेणी के नियोजक द्वारा प्रस्तुत की गई विवरणी फैक्टरी/स्थापन का नाम और पता..
कोड सं०..........................

क०सं०	खाता सं०	सदस्य का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)	पिता का नाम (विवाहित महिला की दशा में पति का नाम)	सेवा छोड़ने की तारीख	सेवा छोड़ने के कारण, अर्थात्, सेवानिवृत्ति/त्यागपत्र/सेवा समाप्ति, मृत्यु, आदि	दावेदार की श्रेणी का उल्लेख करें,/ क्या सदस्य/कर्मचारी नामनिर्देशिती/वृत्तिभोगी है
1	2	3	4	5	6	7

सेवा छोड़ने की तारीख से आरंभ होकर आयुक्त के पास स्कीमों के अंतर्गत दावेदार के आवेदन पत्र को अग्रेषित करने में हुए विलंब की अवधि (विवरणी की तारीख को लंबित) वहां जहां आवेदन को उसी समय पर अग्रेषित करना आवश्यक था	सेवा छोड़ने की तारीख के प्रारंभ से लेकर विधिवत् साक्ष्यांकित आवेदन पत्र को सदस्य के पास आहरण के के लिए आयुक्त को प्रस्तुत करने में हुए विलंब की अवधि (विवरणी की तारीख को लंबित) वहां जहां आवेदन को उसी समय अग्रेषित करना आवश्यक था	भविष्य निधि और अन्य विविध प्रकीर्ण लाभों के आहरण के लिए आवेदन पत्र की प्राप्ति की तारीख	स्तंभ 10 में दी गई तारीख के प्रारंभ से लेकर सदस्य/नामनिर्देशिती/लाभभोगी के आवेदन पत्र को आयुक्त के पास भेजने में हुए विलंब की अवधि (विवरणी की तारीख को लंबित)	स्तंभ 8, 9, 11 जो भी लागू होता हो, में वर्णित कार्रवाई के संबंध में विलंब के विस्तृत कारण	संबंधित आयुक्त के विवरण
8	9	10	11	12	13

तारीख:

नियोजक के हस्ताक्षर : ....
फैक्टरी/स्थापन का नाम और पता : ....
फैक्टरी/स्थापन की मोहर : ....

परिशिष्ट ज—III

कर्मचारी भविष्य निधि और अन्य प्रकीर्ण उपबंधों के मामले के निपटारे होने में तीन माह से अधिक के विलंब वाले मामलों की बाबत क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा भरा जाने वाला और लोकपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाने वाला फार्म

यह माह जिस की बाबत क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा विवरणी प्रस्तुत की गई है,..................
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के कार्यालय के ब्यौरे..............................

क० सं०	फैक्टरी/स्थापन का नाम जिसकी बाबत मामला है	कर्मचारी/सदस्य का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)	पिता का नाम या विवाहित महिला की दशा में पति का नाम	सदस्य का लेखा संख्यांक	सेवा छोड़ने की तारीख	दावेदार की श्रेणी का उल्लेख करें कर्मचारी/सदस्य/नामनिर्देशिती या लाभभोगी	भविष्य निधि और अन्य प्रकीर्ण उपबंध लाभों के आहरण के लिए आवेदन पत्र की प्राप्ति की तारीख	आवेदन पत्र की प्राप्ति की तारीख के प्रारंभ से लेकर कितनी अवधि तक मामला लंबित रहा	निपटारा होने में विलंब के विस्तृत कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

तारीख :

आयुक्त के हस्ताक्षर :..........................
आयुक्त की मोहर : ....

परिशिष्ट झ—I

सेवा में,

सचिव,
भविष्य निधि विधि आयुक्त,
शास्त्री भवन,
नई दिल्ली-110 001

विषय : परशुराम सिंह की भविष्य निधि संचयन की वापसी-पी०एफ०सं० डब्ल्यू बी/63/471

प्रिय महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में आपका ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है कि मै॰ नेशनल आयरन स्टील कं॰ (एन॰ आई॰ एस॰ सी॰ ओ॰), बेलूर (हावड़ा) का कर्मचारी था और मैं तीन वर्ष पहले सेवा-निवृत्त हो चुका हूँ। मैंने ता॰ 29-12-86 के एफ/19 के जरिए अपना भविष्य निधि प्रतिदाय आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था और समय-समय पर अनुस्मारक भी प्रस्तुत किए थे।

मेरी उपर्युक्त देय राशियों की अदायगी न होने से मुझे वास्तव में कठिनाई हो रही है और मैं वित्तीय रूप से परेशान हूँ।

लेकिन बहुत दुःख के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि आपकी ओर से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

अतः, मैं आपका आभारी हूँगा, यदि आप इस मामले पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देने की कृपा करें।

धन्यवाद।

भवदीय,
ह॰/—
(परशुराम सिंह)
मार्फत बाली राम सिंह,
मार्ग सं॰ 8-ई-7/5 न्यू टाउन बर्नपुर,
जिला बर्दवान (पश्चिमी बंगाल)

ता॰

परिशिष्ट क—II

सं॰ 6(3)/88—एल॰ सी॰(एल॰ एस॰) पार्ट-IV/392

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
(विधि आयोग)

सातवीं मंजिल, "ए" विंग,
शास्त्री भवन, नई दिल्ली-1
तारीख 21-12-89

विषय : श्री परशुराम सिंह के संबंध में भविष्य निधि/सा॰भ॰नि॰/सेवा निवृत्ति की देय राशियों का भुगतान न किया जाना।

महोदय,

विधि आयोग ने संचार माध्यमों और समाचारपत्रों के जरिए उन सभी व्यक्तियों या उनके कानूनी प्रतिनिधियों/नामनिर्देशितियों को, जिन्होंने अपनी भविष्य निधि और सेवा-निवृत्ति/मृत्यु लाभ आदि एक वर्ष से अधिक की अवधि तक भी प्राप्त नहीं किए हैं, अपने मामले के पूर्ण ब्यौरे आयोग को प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया है ताकि आयोग इस समस्या का गहन अध्ययन कर अपने विचार प्रकट कर सके।

इस विज्ञापन के अनुपालन में, एक कर्मचारी श्री परशुराम सिंह मार्फत बाली रामसिंह, रोड सं॰ 8-ई/7/5, न्यू टाउन, बर्नपुर, जिला बर्दवान (पश्चिमी बंगाल) ने इस संबंध में अपना तारीख शून्य का आवेदन पत्र आयोग को सम्बोधित किया है। हम उक्त कर्मचारी के तारीख शून्य के उपर्युक्त आवेदन पत्र की एक फोटो प्रति आपके संदर्भ के लिए संलग्न कर रहे हैं जो कि स्वयं स्पष्ट है।

चूंकि, आयोग को सामाजिक-आर्थिक विधि की पयर्व-परीक्षा करना और ऐसे सभी उपाय करने आवश्यक हैं जो निर्धन व्यक्तियों की सेवा के लिए विधि और कानूनी प्रक्रियाओं का उपयोग करने के लिए आवश्यक हों, इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप इस पत्र को प्राथमिकता दें और इस पत्र की प्राप्ति से 15 दिन के भीतर निम्नलिखित जानकारी भेजने का कष्ट करें :—

(i) उक्त व्यक्ति की शिकायत के संबंध में ठोस तथ्यात्मक सूचना;
(ii) उक्त शिकायत के संबंध में अपने विचार; और
(iii) विलंब का कारण।

आपके सहयोग और शीघ्र उत्तर के लिए हम अत्यन्त आभारी रहेंगे।

भवदीय,
ह॰/—
(आर॰एल॰ खुराना)

परिशिष्ट—क—III

कार्यालय, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त,
पश्चिमी बंगाल अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह
44, पार्क स्ट्रीट, 13, लिंडसे स्ट्रीट,
कलकत्ता—16

संदर्भ सं॰ ए/एस एंड सी/विविध/कान्ट/एच एल ओ/11

तारीख : 13-2-90

सेवा में,

श्री आर॰ एल॰ खुराना,
संयुक्त सचिव एवं विधि अधिकारी,
भारत सरकार,
विधि एवं न्याय मंत्रालय,
विधि कार्य विभाग (विधि आयोग),
7वीं मंजिल, "ए" विंग,
शास्त्री भवन,
नई दिल्ली-110 001

विषय : श्री परशुराम सिंह, डब्ल्यु बी/163/471 के संबंध में भविष्य निधि की देय राशियों का अन्तिम निपटारा।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त व्यक्ति की भविष्य निधि की देय राशियों का भुगतान न किए जाने के संबंध में अपने तारीख 21-12-89 के पत्र सं॰ 6(3)/88-एल॰सी॰-पार्ट-I/39-2 ए को देखें।

आपको सूचित किया जाता है कि 37,500/- रु॰ की राशि पास कर दी गई है और यह राशि ता॰ 1-1-90 के चैक सं॰ 615996 के जरिए सदस्य को भेज दी गई है।

भवदीय,
ह॰/—
(ए॰ के॰ सेन)
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त
पश्चिमी बंगाल

परिशिष्ट क—IV

नेशनल आयरन एंड स्टील कम्पनी (1984) लिमिटेड (पश्चिम बंगाल सरकार का उद्यम)

पी एफ/पी एम/1215

तारीख 20-5-90
24

सेवा में,

संयुक्त सचिव एवं विधि अधिकारी,
7वीं मंजिल, "ए" विंग,
शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110 001

विषय : श्री परशुराम सिंह के संबंध में भविष्य निधि/जी॰पी॰यू॰एफ॰/सेवा-निवृत्ति की देय राशियों की गैर-अदायगी।

प्रिय महोदय,

कृपया अपने तारीख 21-12-89 के ज्ञापन सं॰ 6(3)/88-एल॰सी॰-पार्ट-IV/392 को देखें।

इस संबंध में हम आपको सूचित करते हैं कि हमारी कम्पनी का एक कर्मचारी श्री परशुराम सिंह तारीख 20-10-86 को सेवा-निवृत्त हो चुका है और प्रबंधक-वर्ग ने उसकी भविष्य निधि की देय राशियों के संबंध में उसका दावा फार्म सं॰ 19 क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के कार्यालय, पश्चिमी बंगाल, हावड़ा स्थानीय कार्यालय, 24, बेलीलियास रोड, हावड़ा को तारीख 29-12-89 को भेज दिया है और हमने भी इस प्रयोजन के लिए ता॰ 21-8-1986 के चालान द्वारा विनिर्दिष्ट राशि जमा कर दी है। हमने पहले ही अवसर पर अपने पत्र के जरिए उपर्युक्त मामले में आपका ध्यान आकर्षित किया था जिसकी एक फोटो प्रति आपके तत्काल संदर्भ के लिए संलग्न है।

इस संदर्भ में हम यह अभिपुष्टि करते हैं कि इसी प्रकार के लगभग 400 मामले क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, पश्चिमी बंगाल के कार्यालय में निपटारे के लिए लंबित हैं।

आपसे अनुरोध है कि कृपया श्री परशुराम सिंह के मामले के साथ-साथ उपर्युक्त कथित मामलों में भुगतान की निर्मुक्ति के लिए उक्त कार्यालय के साथ कार्रवाई करें।

आपके द्वारा शीघ्र कार्रवाई के लिए हम अत्यन्त आभारी हैं।

सधन्यवाद।

भवदीय,
ह०/–
(पी० के० बक्शी)
कार्मिक प्रबंधक
कृते नेशनल आयरन एंड स्टील कंपनी
(1984) लि०

पी० एम०/पी० एफ०/310

18 जनवरी, 90

सेवा में,

श्री ए० के० मुखर्जी, आई० ए० एस०,
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त,
पश्चिमी बंगाल, 44, पार्क स्ट्रीट,
कलकत्ता-16

माननीय महोदय,

विषय : कोड सं० डब्ल्यू बी/163 के अंतर्गत मैसर्स नेशनल आयरन एंड स्टील कं० (1984) लि० के संबंध में पदमुक्त कर्मचारियों को भविष्य निधि की देय राशियों की गैर-अदायगी।

उपर्युक्त विषय पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आपके लेखा ग्रुप हावड़ा में लगभग 500 भविष्य निधि के अन्तिम दावे काफी समय से लंबित पड़े हैं। संबंधित सदस्य वित्तीय कठिनाई का सामना कर रहे हैं और कभी-कभी हमारे समक्ष प्रदर्शन करते हैं। इनमें से कुछ व्यक्तियों की किसी इलाज और उचित खुराक के अभाव में मृत्यु भी हो चुकी है और भविष्य निधि लाभ-भोगियों के इस रोष से यह प्रतीत होता है कि पद मुक्त सदस्य/उनके नामनिर्देशिती किसी भी समय वातावरण को अशान्त कर सकते हैं। यद्यपि हमने भविष्य निधि की देय राशियों को आपके कार्यालय में आवश्यक निपटारे के लिए विशेष रूप से पहले ही जमा कर दिया है।

उपर्युक्त के संदर्भ में, मैं महसूस करता हूं और उत्साहपूर्वक आपसे अनुरोध करता हूं कि उनकी अकथित कठिनाई को कम करने के लिए उक्त दावों की शीघ्र निपटारे के मामले में शीघ्र कार्रवाई करें।

इस मामले में आपके सहयोग का अनुरोध है।

सधन्यवाद।

भवदीय,
ह०/–
(टी० एस० दास)
कार्मिक प्रबंधक
कृते नेशनल आयरन एंड स्टील कं० (1984) लि०

प्रतिलिपि :

1. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, पश्चिमी बंगाल, हावड़ा, स्थानीय कार्यालय, (छठी मंजिल) 24, बेलीलीज रोड, हावड़ा।
2. सचिव।

कार्यालय, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, पश्चिमी बंगाल
44, पार्क स्ट्रीट/13 लिंडसे स्ट्रीट
कलकत्ता-16

सं० ए/स्पेशल/विविध/काम्प्ट/एच०एल०ओ०/1072

तारीख 14-2-89

विषय : भविष्य निधि की देय राशियों की गैर-अदायगी।

सेवा में,

श्री टी० एस० दास,
कार्मिक प्रबंधक,
नेशनल आयरन एंड स्टील कं०,
(1984) लि० पी० ओ० बेलुरमठ, जिला हावड़ा,
पिन-711 202 (ई० आर० डब्ल्यू)

महोदय,

आपका तारीख 19-1-89 का पत्र सं० पी एम/पी एफ/310 प्राप्त हुआ जिस पर ध्यान दिया जा रहा है।

भवदीय,
ह०/–
आयाय एवं संवितरण अधिकारी

परिशिष्ट क—V

सं० 6(3)/88—एल सी(एल एल) पार्ट–1–392

भारत सरकार
विधि एवं न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
(विधि आयोग)

7 वीं मंजिल, "ए". विंग,
शास्त्री भवन, नई दिल्ली-1
तारीख 9-8-90

विषय : श्री परशुराम और 400 अन्य मामलों के संबंध में भविष्य निधि सा०भ०नि०/सेवा-निवृत्ति की देय राशियों का भुगतान न किया जाना।

महोदय,

आयोग ने संचार माध्यम और समाचारपत्रों के जरिए उन सभी व्यक्तियों/उनके कानूनी प्रतिनिधियों/नामनिर्देशितियों को, जिन्होंने अपनी भविष्य निधि और सेवा-निवृत्ति/मृत्यु लाभ आदि एक वर्ष से अधिक की अवधि तक भी प्राप्त नहीं किए हैं, अपने मामले के पूर्ण ब्यौरे आयोग को प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया था ताकि आयोग इस समस्या का गहन अध्ययन करके अपने विचार प्रकट कर सके।

इस विज्ञापन के अनुपालन में श्री पी० के० बक्शी, कार्मिक प्रबंधक, नेशनल आयरन एंड स्टील कं०, पी० ओ० बेलूरमठ, हावड़ा, पश्चिमी बंगाल ने इस संबंध में अपना तारीख 20/24-5-90 का आवेदन पत्र आयोग को भेजा है। हम उक्त कर्मचारी/उसके कानूनी प्रतिनिधियों/नाम निर्देशितियों के तारीख 20/24-5-90 के आवेदन पत्र की एक फोटो प्रति आपके संदर्भ के लिए संलग्न कर रहे हैं जो कि स्वयं स्पष्ट है।

चूंकि आयोग को सामाजिक-आर्थिक विधि की पश्च-परीक्षा करना और ऐसे सभी उपाय करने आवश्यक हैं जो निर्धन व्यक्तियों की सेवा के लिए विधि और कानूनी प्रक्रियाओं का उपयोग करने के लिए आवश्यक हों, इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप इस पत्र को प्राथमिकता दें और इस पत्र की प्राप्ति की तारीख से 15 दिन के भीतर निम्नलिखित जानकारी भेजने का कष्ट करें :—

(i) उक्त व्यक्ति की शिकायत के संबंध में ठोस तथ्यात्मक सूचना;
(ii) उक्त शिकायत के संबंध में अपने विचार; और

(iii) विलम्ब के कारण।

आपके सहयोग और शीघ्र उत्तर के लिए हम अत्यन्त आभारी रहेंगे।

भवदीय,
ह०/-
(अपर विधि अधिकारी)

अनुलग्नक : यथोपरि

परिशिष्ट ग—VI

कार्यालय, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त
पश्चिमी बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह,
हावड़ा स्थानीय कार्यालय,
24, बेलीलियस रोड़

संदर्भ सं० ए/015/163/ए० सेल/एच०एल०ओ०/127 ता० 31-8-90

सेवा में,

अपर विधि अधिकारी,
भारत सरकार,
विधि एवं न्याय मंत्रालय,
विधि कार्य विभाग,
7वीं मंजिल, "ए" विंग,
शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

विषय : परशुराम सिंह और अन्य के संबंध में भविष्य निधि को देय राशियों का भुगतान न किया जाना।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के संबंध में अपने तारीख 9-8-90 के पत्र सं० 8(3)/88-एल०सी० (एल०एस०) पार्ट IV/392 को देखें।

इस संबंध में आपको यह सूचना दी जाती है कि श्री परशुराम सिंह के दावे के मामले को पहले ही प्राधिकृत कर दिया गया है और 37,500 रु० का चैक जारी कर दिया गया है। मैसर्स नेशनल आयरन एंड स्टील कं० (1984) लि० के कार्मिक प्रबंधक श्री पी० के० बक्सी द्वारा प्रस्तुत की गई शिकायत के संबंध में यह सूचित किया जाता है कि 400 मामले प्रबंधक-वर्ग द्वारा भविष्य निधि अंशदान इस कार्यालय में समय पर जमा न किए जाने के कारण मुख्यतः रोक लिए गए थे। किन्तु कम्पनी द्वारा विनिर्दिष्ट राशि जमा कराने के बाद अधिकांश मामलों को निपटाया जा रहा है। इन मामलों में से बहुत-से मामलों पर पहले ही कार्रवाई की जा चुकी है और राशियां प्राधिकृत कर दी गई है।

यदि आप स कार्यालय को संबंधित व्यक्तियों की खाता संख्याएं उपलब्ध करा दें तो एक ब्यौरे-वार रिपोर्ट आपको भेज दी जाएगी।

भवदीय,
ह०/-
(एम० आर० रौत)
कृते क्षेत्रीय भविष्य निधि-आयुक्त,
पश्चिमी बंगाल, हावड़ा स्थानीय कार्यालय

प्रभासमुना—वि० 4—92 एम० ऑफ एल० अण्ड जे० सी० ए०/एन०डी/93—12-8-95—300 कॉपीज्

PLD, 92 ,CXXXVII (H)
300-1993 (DSK-IV)

मूल्य : (देश में) रु० 281 (विदेश में) पौंड 42.77 या डालर 101 16 सेंट्स

महाप्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, नासिक द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशन-नियंत्रक,
भारत सरकार, सिविल लाइन्स, दिल्ली-110 054 द्वारा प्रकाशित ।
1996

128

भारत का विधि आयोग

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

गंदी बस्तियों और पटरी पर रहने वालों के विधायी संरक्षण के संबंध में 138वीं रिपोर्ट

1990